खण्ड-317, अंक-1
मंगलवार, 9 वैशाख, शक संवत् 1897
(29 अप्रैल, 1975 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 317 में 1 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	६–४८
कतिपय विषय	४८
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड तथा दि इंडियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	४८–४९
संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (सदन के पटल पर रखा गया)	४९
कार्य-मंत्रणा-समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	४९
संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प (स्वीकृत)	५०–५३
सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचना	५३–५४
आश्वासन समिति का ४१ वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	५४–५७
गोरखपुर स्थित घुघली उपनगर के पास छोटी गंडक नदी पर ढोढीला (बैकुन्ठी घाट) पर पुल न बनने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में याचिका (उपस्थित की गयी)	५७
लोक आयुक्त विधेयक के मई मास में कानून बन जाने की घोषणा के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	५७–५८
स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	५९–६०
भारी उद्योग मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	६०–६२
श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा श्री तीरथ राम कोहली के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	६२–६५
श्री अध्यक्ष को पद से हटाने के संकल्प की सूचना	६५–६६
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	६७–६८
परिवहन मंत्री के सम्बन्ध में जांच समिति गठित करने के सम्बन्ध में नियम २०० के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत)	६८–८७
विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को नौकरी में प्राथमिकता तथा बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत)	८७
उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, १९७५ (पारित)	८८–९९
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें	९९
ग्राम धावां, चिनहट, जिला लखनऊ की भूमि को वन मंत्री के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम कराने के सम्बन्ध में वन मंत्री का स्पष्टीकरण ..	९९–१००
अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, आजमगढ़ के प्राचार्य सहित सभी कर्मचारियों को ६ माह से वेतन न मिलने से कई विषय के प्रवक्ता न होने के कारण छात्रों की पढ़ाई में रुकावट से छात्र असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	१००–१०१
सदन के अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१०१
नत्थियां	१०२–११९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २९ अप्रैल, १९७५

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६०

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्र मोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० आइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीद्दीन
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेडू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द्र, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
झामलाल अहिरवार, श्री

झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायण बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्म पाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह मंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)

निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास चौधरी,
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
श्री मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री

मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ कल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम गरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र वक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुस्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्षमण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री

लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
शीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहनलाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बक्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खन्डेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट—स्वायत्त शासन मंत्री श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २९ अप्रैल, १९७५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

श्री ननकू हरिजन, ग्राम अमानाबाद, थाना कमालगंज, फर्रुखाबाद के घर में डकैती

१—श्री बिमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक ५–६ अप्रैल, १९७५ की रात्रि को ग्राम अमानाबाद, पुलिस थाना कमालगंज, जिला फर्रुखाबाद में ननकू हरिजन के घर में डकैती पड़ी और प्रातः जब ननकू थाना कमालगंज रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो थाने में उसकी पिटाई की गई और उसे ही बन्द कर दिया गया तथा ननकू की पत्नी और उसके अन्य परिवार के व्यक्तियों के साथ भी स्थानीय पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया जिसके परिणाम स्वरूप जनपद के हरिजनों में असन्तोष व्याप्त है। यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने कमालगंज पुलिस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

मुख्यमंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

दिनांक ६–४–७५ को श्री ननकू, निवासी ग्राम अमानाबाद, जिला फर्रुखाबाद ने इस आशय की लिखित सूचना थाना कमालगंज पर दी कि दिनांक ५/६-४-७५ की रात में उनके घर में नकब लगाकर चोरी हुई है। इस सूचना के आधार जर उसी दिन थाना कमालगंज पर एक मुकदमा धारा ४५७/३६० भा० द०वि० के अन्तर्गत कायम किया गया और विवेचना शुरू की गयी।

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार ननकू को थाने में मारे पीटे जाने, बंद करने तथा उसकी पत्नी व उसके परिवार के व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की बात सही नहीं है। इस बारे में जिले में जिला हरिजन संघर्ष समिति का एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है जिस पर परगना अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है। जांच के उपरान्त आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जावेगी।

बांदा शहर में जल-पूर्ति की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था

२—श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा शहर में जल-पूर्ति की व्यवस्था अत्यधिक खराब होने के कारण वहां पीने के पानी का घोर संकट उत्पन्न हो गया है जिसके कारण पानी महंगे दामों में बिक रहा है ? यदि हां, तो इस अव्यवस्था के क्या कारण हैं और क्या शासन इसे दूर करने के लिये तुरन्त उचित कदम उठायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री जगदीश शरण अग्रवाल)—

शासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि बांदा नगर में वर्तमान समय में जल संकट है और पानी बिकने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जो सूचना उन्होंने दी वह बिल्कुल गलत है। बांदा में केन नदी पर पम्पिंग स्टेशन बना है। उसमें ३ मशीनें थीं। दो मशीनें बिल्कुल खराब हो गयीं हैं। एक जो मशीन है वह भी बिल्कुल खराब है। मेरी यह निश्चित सूचना है कि वहां पर पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और पानी बिक रहा है, बड़े मंहगे दामों पर। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

यह ठीक है कि वहां ३ पम्प हैं। ३ में से एक खराब हालत में है। जहां तक इसका संबंध है, मैं माननीय सदस्य को बतलाऊं कि मैं करूंगा नहीं-मैं कर चुका हूं। मैंने आज ही आदेश दे दिया कि तुरन्त व्यवस्था की जाय और जो कष्ट है उसका निवारण किया जाय।

श्री जमुना प्रसाद बोस (जिला बांदा)---

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से इस संबंध में जानना चाहता हूं कि क्या पिछले हफ्ते वहां २ दिन पानी की सप्लाई बंद रही और लोगों को ८ आने और एक रुपये बाल्टी पानी मिला ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

जैसा मैंने निवेदन किया कि मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य की सूचना को सूचना मानकर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आदेश दे दिये कि अधिकारी जांच करें। मैंने आदेश दिये हैं कि फौरन इसको देखें और इसका निराकरण करें।

श्री देव कुमार यादव---

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह व्यवस्था कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

मान्यवर, मैं समझता हूं कि इसमें हफ्तों का समय नहीं, दिनों का समय लगेगा।

श्री शफीकुरंहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इससे पहले सालों में भी क्या बांदा के अन्दर इस किस्म की हालत रही है और पानी की किल्लत रही है और अभी तक चली आ रही है और आज तक सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी यही हालत है। तो क्या वजह है कि बांदा के अन्दर हमारे भाइयों को इतनी परेशानी होते हुये गवर्नमेन्ट ने कोई ध्यान नहीं दिया ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

पहले वहां क्या हालत थी इसका तो मैं जिक्र कर नहीं सकता। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बांदा की तरफ पूरी तव्वजो दी जायगी और दी जा रही है।

नगरपालिका, सुल्तानपुर के चेयरमैन के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण अभियोग के अन्तर्गत मुकदमा

**३---डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)---

क्या यह सही है कि नगरपालिका, सुल्तानपुर के चेयरमैन के विरुद्ध कोई मुकदमा उच्च न्यायालय में खाद्य अपमिश्रण अभियोग के अन्तर्गत चल रहा है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन द्वारा उन्हें अब तक निलम्बित न किय जाने के क्या कारण हैं ? कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

जी हां। चेयरमैन के विरुद्ध कार्यवाही शासन के विचाराधीन है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिया जावेगा।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि चेयरमैन साहब के ऊपर सबसे पहले मुकदमा किस तारीख को कायम हुआ और क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि कब से उनके ऊपर फूड एडल्ट्रेशन का मुकदमा कायम है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर यह किस तारीख को मुकदमा किया गया, मैं नहीं कह सकता। २९-३-७५ को आख्या प्रस्तुत की गयी थी जिसमें था कि श्री राम निवास, अध्यक्ष पर धारा १६ के अन्तर्गत, फूड प्रीवेंशन ऐक्ट का मुकदमा उच्च न्यायालय में चल रहा है ।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

मान्यवर, यह मुकदमा कई साल से चल रहा है, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में और मंत्री जी के पास २९ मार्च की आख्या के साथ प्रस्तुत हो गया। अगर म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में फूड एडल्ट्रेशन के लिये निलंबन का प्राविधान है तो १ महीना बीत रहा है, कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

निलम्बन का कर देना अनिवार्य है या निलम्बन किया जा सकता है। माननीय सदस्य ने स्वयं बताया कि यह बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है और उच्च न्यायालय के पास है। एक दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर लें और उसके बाद आदेश दें। हो सकता है कि बीच में दें। माननीय सदस्य से परामर्श कर लेंगे और परामर्श के प्रकाश में कुछ कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर खाद्य अपमिश्रण अभियोग के अन्तर्गत मुकदमा चल रहा है। जहां तक मैं समझता हूं कि नगरपालिका के फूड इंसपेक्टर ने ही मामला पकड़ा होगा। नगरपालिका के चेयरमैन का मामला है तो निश्चित ही इस पद का दुरुपयोग है और जिस पद का अध्यक्ष महोदय काम कर रहे हैं, उन्हीं के अधीनस्थ कर्मचारी ने उनकी कम्पलेंट की है। तो स्थिति को देखते हुये तत्क्षण निलम्बित करने में क्या दिक्कत है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मेरी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है कि देर में जानकारी मिली। मैं इसका विश्वास दिलाता हूं कि जो न्याय संगत कार्यवाही होगी, करूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष जी, नगरपालिका के अध्यक्ष को, जिसको नगर पिता भी कहते हैं, उनका म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में और नियमों में यह पहला कर्त्तव्य है कि अच्छा पानी और अच्छा भोजन नगर के लोगों को दें। बजाय इसके इसी अपराध में उन्हें उनके अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा उनको मुलजिम बनाया गया है। तो क्या शासन. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं पूंछना चाहता हूं कि शासन को क्या दिक्कत है तत्काल निलम्बन करने में, क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में बताया है, उत्तर दे चुके हैं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, मैं उत्तर दे चुका हूं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि कोई कठिनाई नहीं है। मुझे अधिकारियों से पूछना है। पूछने के बाद कार्यवाही करूंगा।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष, नगरपालिका, सुल्तानपुर के ऊपर क्या अदालत ने चार्ज लगा दिये हैं और यदि नहीं लगाये हैं तो क्या चार्ज लगाने के पहले उनको मुअत्तल किया जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

मुकदमा चल रहा है, अब क्या चार्ज लगेंगे।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, मैंने तो निवेदन किया है कि अब तो यह उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा प्रश्न सं० ४ पुकारने पर)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो उत्तर हो चुके हैं, यह पर्याप्त है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

इस पर १–२ सवाल भी नहीं कर सके।

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत देर में खड़े हुये हैं, आसन ग्रहण करने की कृपा करें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, यह नगर पालिका के अध्यक्ष का सवाल नहीं है। यह पूरे उत्तर प्रदेश. . . .

श्री अध्यक्ष—

अब आप स्थान ग्रहण करने की कृपा करें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

आप इस बात में विश्वास करते हैं कि नियमों के अनुसार काम हो। जिसने काम किया उनको बचाने के लिये. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर सवाल हो चुके हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

[* * *]

[* * *] श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप मेरी स्वीकृति के बिना बोल रहे हैं। इस तरह से कोई कार्यवाही नहीं लिखी जायगी। आप बैठने की कृपा करें। व्यवधान न पैदा करें।

जनपद, शाहजहांपुर में केमिकल देशी शराब की अवैध बिक्री एवं जन-हानि

**४---श्री भाभी (जिला आजमगढ़)---

क्या आबकारी मंत्री को पता है कि जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के अन्तर्गत ग्राम आलमपुर खेड़ारठ अवा, थाना मीरानपुर कटरा के ग्राम नदइया लाइखेड़ा मनपुरा, थाना परौर में ग्राम सिमरिया नगरिया, निजामपुर के केमिकल देशी शराब तैयार करके रंग मिला कर अवैध रूप से खुल्लमखुल्ला बिक्री ठेका के नाम से बेची जाती है जिसके पीने से अनेकों व्यक्ति राम के प्यारे हो चुके हैं जिसकी शिकायत शाहजहांपुर के अधिकांश विधायकों ने अप्रैल, ७५ में आबकारी मंत्री से की है? यदि हां, तो इसकी रोक-थाम के लिये तत्काल सरकार कोई कदम उठायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

शाहजहांपुर के अधिकांश विधायकों के तथाकथित शिकायत की कोई जानकारी शासन को नहीं है। प्रश्न में उल्लिखित सूचना को आधार मानते हुये शिकायत की जांच किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री भाभी---

अध्यक्ष महोदय जांच के लिये आदेश किस दिनांक को दिये गये हैं और किस अधिकारी को दिये गये हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

मान्यवर, यह प्रश्न २३ अप्रैल को उपस्थित किया, २६ अप्रैल को सचिवालय में आया २८ अप्रैल को आबकारी मंत्री के कार्यालय में और २८ को हीं आदेश दे दिये गये हैं। किस के द्वारा जांच हो रही है इसकी सूचना नहीं है।

श्री भाभी---

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ऐसा है कि पूरे प्रदेश में रंग डालकर शराब लोगों को पिलायी जाती है जिससे लोगों की मौतें हो रही हैं। तो मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि इसकी रोकथाम के लिये सरकार तत्काल कौन सी कार्यवाही करने जा रही है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह---

श्रीमन्, जो अनियमितताये होती है उसको मैंने सदन को अवगत कराया और उसकी जांच फौरन करवा ली गयी है और जांच हो भी रही है।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शराब की दुकानों पर मेनडस और एल० एस० डी० की गोलियां जो ३५ पैसे की मिलती हैं पानी में घोलकर रंग डालकर शराब लोगों को दी जाती है और ज्यादा पिलाने पर मौतें लोगों की हो जाती हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस मिलावटी शराब को देने से कितने व्यक्तियों की मौतें हुई हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर इसकी तो सूचना नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

*१--श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री शिव कैलाश--

[२१-४-७५ को वक्तव्य हो जाने के कारण निरस्त ।]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

ग्राम घोसिया एवं माधो सिंह, ज्ञानपुर, वाराणसी के पास सड़क एवं पुलिया निर्माण योजना

*१--श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९७३ में तहसील ज्ञानपुर, जनपद वाराणसी के ग्राम घोसिया तथा माधो सिंह के नागरिकों ने सड़क एवं पुलिया बनाने हेतु जिलाधीश, वाराणसी के आश्वासन पर कि गांव के लोग जितनी पूंजी लगायेंगे ठीक उतनी और पूंजी सरकार लगायगी १०,००० (दस हजार) रुपया जमा किये ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक वहां क्या-क्या कार्य किया ?

सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)--

जी हां ।

वर्ष १९७३ में तत्कालीन जिलाधीश, वाराणसी ने सड़क तथा पुलिया निर्माण हेतु ग्राम धोसिया तथा माधोसिंह के निवासियों से उनके अनुरोध पर १२,४९६ रु० की धनराशि इस आश्वासन पर जमा करवायी थी कि उतनी ही राशि शासन से प्राप्त करके सड़क का निर्माण कराया जायगा । यह धनराशि जिला निधि में जमा करा दी गई थी और अब भी उपलब्ध है । इस सड़क की अनुमानित लागत १,५०,००० रु० आंकी गई थी । सम्पर्क मार्ग योजना के अन्तर्गत १९७४-७५ में शासन से कोई धनराशि न मिलने के कारण कोई ठोस अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

श्री गिरिजा शंकर पाठक--

मान्यवर क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि मांधोसिंह और धोसिया की अलग-अलग कितनी धनराशि जमा की गयी और क्या जिलाधीश, वाराणसी को अधिकार प्राप्त था कि आश्वासन देकर धन जमा करवायें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, जिलाधिकारी, वाराणसी ने जनता के उत्साह को देखकर जनता से यह कहा कि जो व्यय होने वाला है उसकी आधी धनराशि दें और आधी धनराशि लिंक रोड योजना के अन्तर्गत होगी और शासन से इस सड़क को बनवा दिया जायेगा । मान्यवर, जैसा उत्तर में

कहा क्या है कि १९७४–७५ में लिंक रोड योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि जिले को नहीं दी गयी है, इसलिये काम नहीं हो सका है। अलग-अलग सड़कों के लिए अलग-अलग धनराशि कितनी जमा हुई इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री गिरिजा शंकर पाठक––

मान्यवर, यह संदेह मुझे हो रहा है कि मेरे सामने १५ हजार रुपये जमा किये गये और वाराणसी का लिखा हुआ प्रमाण-पत्र है। लेकिन उसको घटाकर १२ हजार कुछ रुपये कर दिये गये हैं। तो मैं यह मनानीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो घटोत्तरी हुई है रकम में, तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

इसकी जांच करा ली जायेगी और यह भी जांच करा ली जायेगी कि कुल कितना धन जमा हुआ था।

श्री त्रिवेणी सहाय––

जब नियमों में प्राविधान है और वह रुपया जमा हो गया तो कायदे से सरकार को उतना ही रुपया जमा कर देना चाहिये था। तो क्या अब उस सड़क के बनाने के लिये प्राथमिकता देंगे और इस वित्तीय वर्ष में उसको बनवाने का प्रयास करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

मैं जिला परिषद्, वाराणसी को लिखने वाला हूं कि वह इस सड़क को तैयार करवा दें।

श्री गिरिजा शंकर पाठक––

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह १५,००० रुपया १९७३ में जमा किया गया था और अब १९७५ हो गया है तो इस वर्ष के अन्त तक माधो सिंह लिंक रोड बनवा देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य––

इस माधोसिंह सड़क के बारे में यह हुआ था कि यह सड़क उन्हीं रूपयों में बना दी जाय जो धन गांव वालों ने जमा किया है। लेकिन जब हमारे इन्जीनियर मौके पर पहुंचे तो जनता ने कहा कि जब तक इन दोनों मार्गों के निर्माण के लिये धन उपलब्ध नहीं होगा तब तक इस धन से निर्माण नहीं होना चाहिये इसलिये वह रुक गया। इसके अलावा पहले यह भी अन्दाजा था कि यह सड़क ३–४ फर्लांग की निकलेगी, लेकिन जब सर्वे हुआ तो यह सड़क २ मील की निकलेगी अब। पानी की निकासी के लिये और पुलियों के निर्माण का कार्य भी इस सड़क पर होना है। इसलिये अब १,८७,८३७ रुपया इसमें खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। जिला परिषद् से हम अब कह रहे हैं कि वह इस सड़क के निर्माण में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे।

सैदपुर, टाउन एरिया, गाजीपुर की अनियमितताएं

*२––श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)––

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले की सैदपुर टाउन एरिया के १९७३-७४ तथा १९७४-७५ के निरीक्षण में जिला अधिकारी, गाजीपुर ने अनेक अनियमितायें पाई हैं ? यदि हां, तो अनियमिततायें कौन-कौन और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां। पाई गई अनियमिततायें निम्न प्रकार हैं:

(१) समिति की बैठकों में कुछ सदस्यों द्वारा अनुपस्थित रहना।
(२) सड़क एवं नाली निर्मा ण, स्वच्छता पर समिति द्वारा ध्यान न दिया जाना।
(३) समय से कर-निर्धारण पर समिति द्वारा ध्यान न देना।
(४) समिति द्वारा टैक्सों की वसूली पर ध्यान न देना तथा अवशेष का अधिक होना।
(५) शासकीय ऋण एवं अनुदानों का उचित उपयोग न करना।
(६) समिति के सदस्यों पर समिति के टैक्स तथा जो मूल्य का बकाया होना। तथा
(७) सफाई मजदूरों के ५ मास के वेतन का बकाया होना।

उक्त अनियमितताओं को दूर करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री कालीचरण यादव—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री काशीनाथ पांडे, अध्यक्ष, टाउन एरिया समिति, सैदपुर जो कि कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी हैं, ने शासकीय ऋण एवं अनुदानों का उपयोग व्यक्तिगत हित में किया है और कर रहे हैं जिसके कारण वहां सारा निर्माण कार्य ठप्प पड़ा हुआ है और ५ मास से सफाई कर्मचारियों का वेतन बाकी है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

ऐसा नहीं है। स्थिति इस प्रकार है कि समिति के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा शासकीय ऋण एवं अनुदान जो प्राप्त हुये हैं उनका दुरुपयोग नहीं किया गया है। यह अवश्य है कि कुछ विषम परिस्थितियों में धनाभाव के कारण नये वेतन मान लागू होने पर सफाई कर्मचारियों द्वारा निश्चित दर से वेतन न मिलने पर हड़ताल कर देने की अवस्था में शासकीय अनुदान के कुछ धन को वेतन-भुगतान में व्यय कर दिया गया है। उक्त अनुदान की पूर्ति समिति ने अपने साधनों से वसूल करके कर दी है। शासकीय सड़क अनुदान का जो सम्पूर्ण धन ४०,००० रु० का था को टाउन एरिया फन्ड में दिनांक ३१ मार्च, १९७१ को जमा कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त ऋण का जो २०,००० रु०, जो सन् १९७१-७२ में प्राप्त हुआ था, वह स्टेट बैंक आफ इन्डिया में जमा है।

श्री काली चरण यादव—

क्या यह सही है कि जिन सदस्यों और व्यक्तियों के यहां टाउन एरिया का टैक्स बहुत दिनों से बाकी है उसकी वसूली इसलिये नहीं हो रही है क्योंकि वह अध्यक्ष के कृपा पात्र हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपने आक्षेप कर दिया।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि जो अध्यक्ष हैं वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और उन्होंने इस प्रकार के आरोप भी बताये कि वह व्यक्तिगत हित में पैसा खर्च कर रहे हैं ? जो आरोप लगाये क्या उनकी निश्चित जांच करा कर सदन के पटल पर जांच रिपोर्ट रखने की मन्त्री जी कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

जांच रिपोर्ट तो उन्होंने पढ़ दी।

श्री त्रिवेणी सहाय---

मान्यवर, नगरपालिका अधिनियम में यह प्राविधान है कि जो मेम्बर तीन मीटिंग्स में लगातार नहीं आयेगा वह निकाल दिया जायगा। अभी मन्त्री जी ने जवाब दिया कि कुछ मेम्बर्स ऐसे हैं जो अनुपस्थित रहे। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-कौन मेम्बर्स हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

इस प्रश्न से यह प्रश्न सम्बन्ध नहीं रखता। आप सीधा आरोप करते हैं।

फर्मों द्वारा अस्पतालों में सप्लाईड दवाइयों में मूल्य का बकाया

*३---श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

क्या यह सही है कि प्रदेश के अस्पतालों में साल १९७३-७४ में मुख्तलिफ फर्मों ने जो दवाइयां सप्लाई की थीं उनकी कीमत का भुगतान अभी बाकी है ? यदि हां तो उनके भुगतान के सम्बम्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)---

जी हां, प्रदेश के अस्पतालों में वर्ष १९७३-७४ में दवाइयां सप्लाई करने वाली फर्मों के बिलों का कुछ भुगतान अभी भी बाकी है।

इस सम्बन्ध में फर्मों से प्राप्त बिल 'टाइम बार्ड' होने के कारण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के उनके सम्प्रेक्षण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा अप्राप्त बिलों को मंगाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों व फर्मों से पत्र व्यवहार चल रहा है।

जिला स्तर के अधिकारियों को फर्म के बिलों का यथा समय भुगतान करने हेतु समय-मसय पर निदेशालय द्वारा आवश्यक निदेश दिये गये हैं।

श्री मोहम्मद रफी खां---

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह रकम जिसके बिल महालेखाकार ने वापस कर दिये हैं वह कितनी है और दूसरे यह कि कितने आर्डर्स दवाओं के दिये थे और वह इसलिये सप्लाई नहीं हुई क्योंकि पुराना पेमेन्ट नहीं हुआ ?

श्री प्रभुनारायण सिंह---

जहां तक महालेखाकार से बिलों के वापस करने की बात है जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उसके अनुसार बिल वापस नहीं आये हैं। जहां तक कम्पनियों के रिजेक्ट करने का सवाल है कि दवाएं नहीं मिलीं तो दवाओं की खरीद पूरी तरह से हुई है उसमें कमी नहीं हुई है।

श्री मोहम्मद रफी खां---

बलरामपुर अस्पताल, दारुलशफा का अस्पताल और मुख्तलिफ अस्पताल जिनमें जिला अस्पताल, शाहजहांपुर भी शामिल है वहां दवायें नहीं लिखी जातीं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह दूसरा सवाल है। यह अलग से सवाल करें।

श्री काशीनाथ मिश्र——

जो सप्लाई करने वाली फर्म्स हैं वह जो दवा मांगी जाती है वह न भेजकर सब्सीट्यूठ सप्लाई कर देती हैं। क्या निदेशालय के इस तरह के आदेश हैं....

श्री उपाध्यक्ष——

आप पहले प्रश्न को पढ़ें तब सवाल करें।

श्री काशीनाथ मिश्र——

मैंने प्रश्न पढ़ा है। क्यों नहीं भुगतान किया गया। वह बाकी इसलिये है कि सब्सीट्यूट दवाएं सप्लाई की गयीं और उनका पेमेन्ट नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष——

माननीय सदस्य कृपया सीधा प्रश्न करें।

श्री काशीनाथ मिश्र——

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी की गयी विज्ञप्तियों और नियमों के मुताबिक उन फर्मों की सप्लाई का पैसा बिल्कुल नहीं देना चाहिये, जिन्होंने सब्सीट्यूट दवाइयां सप्लाई कीं?

श्री प्रभु नारायण——

जो नियमों के अनुसार सप्लाई नहीं होगी, उसका पेमेन्ट नहीं किया जायेगा।

जिला सहकारी बैंक, फैजाबाद के संचालक मंडल का निर्वाचन

*४——श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)——

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला सहकारी बैंक फर्रुखाबाद के निबन्धक महोदय द्वारा ३ माह का नोटिस पाने की तिथि के अन्दर संचालक मन्डल का निर्वाचन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति के अधिनियम, १९६५ की धारा २९(४) के अनुसार नहीं कराया है जबकि नोटिस द्वारा बढ़ई गई अवधि ३१ दिसम्बर, १९७४ को समाप्त हो गई? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों के प्रति उदासीनता के इस कार्य के सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही करेगी?

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायण सिंह)——

जी हां।

श्री अनवार जमील——

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद की जिला सहकारी बैंक की अवधि ३१ दिसम्बर, १९७४ को समाप्त हो गयी, तो उसका चुनाव क्यों नहीं कराया? मन्त्री जी क्या यह भी बतायेंगे कि जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायण सिंह——

मान्यवर, चुनाव कराने के लिये दुबारा निश्चित समय दिया गया, लेकिन नहीं कराया। चुनाव न कराने के बाद, उनको फिर लिखा गया, यह कार्यवाही की गयी।

श्री अनवार जमील——

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो ४ विधायकों ने लिखकर मुख्य मन्त्री जी को १० पृष्ठों की कम्प्लेन्ट दी थी, क्या माननीय मन्त्री जी ने उस पर कोई कार्यवाही की?

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, कम्प्लेन्ट तहकीकात के लिये की गयी होगी, लेकिन अभी मेरे सामने नहीं आयी। जब आयेगी, तो सूचना देंगे।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर वह कौन सा कारण है कि ३ महीने की अवधि समाप्त हो गयी और चुनाव नहीं कराया। नोटिस में स्पष्ट था कि यदि चुनाव न कराया तो वह नामिनेटेड बोर्ड होगा, जो नहीं हुआ। क्या माननीय मन्त्री जी यह भी पता करेंगे कि जो संचालक बोर्ड का प्रस्ताव था, उसमें तिथि ३१ दिसम्बर, की थी और डिप्टी डायरेक्टर के यहां काटकर ३० किया गया जबकि प्रस्ताव और कार्यवाही रजिस्टर में वही ३१ ही बनी रही। क्या इस फोर्जरी के खिलाफ मन्त्री जी ऐक्शन लेंगे?

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर, दिनांक ३० जनवरी, १९७५ को एक्सपायर होता था। उसके बाद फिर डिप्टी रजिस्ट्रार को लिखा गया कि इलेक्शन अफसर को चुनाव कराने के लिये लिखें। दिनांक १४ जनवरी, १९७५ को उन्होंने डी० एम० को लिखा। दिनांक १६ जनवरी, १९७५ को इलेक्शन अफसर तय हो गया। लेकिन रूल्स में १५ दिन का टाइम था। अत: कार्यवाही नहीं हुयी। जो वार्ड वगैरह बनने थे, वह अधूरे रह गये, इसलिये चुनाव नहीं हो सका। उसके बाद यह कहा गया कि वह नामिनेशन किया जाय। आपने जो कहा, दरख्वास्त के बारे में, उसकी सूचना नहीं है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद का जिला सहकारी बैंक भ्रष्टाचार का गढ़ है। क्या इसकी जानकारी मन्त्री जी को है?

दिनांक २५ सितम्बर, १९७४ को फर्रुखाबाद के ४ विधायकों और प्रतिष्ठित नागरिकों ने मुख्य मन्त्री जी को एक प्रतिवेदन दिया था जिसमें कुछ चार्ज लगाये गये। क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि अनेकों ऐसे लोग, जो ४०९ के मुल्जिम रहे हैं और जमानत पर हैं मैं नाम बता सकता हूं—उनको सस्पेंड नहीं किया गया और वे बैंक में कार्य कर रहे हैं?

और दूसरी बात यह कह रहा था कि ३० जनवरी, को मियाद खत्म हो रही थी लेकिन जो मूल प्रस्ताव था वह ३१ जनवरी को चुनाव कराने का था जो एक दिन बाद था तब उस बोर्ड को फौरन ही सुपरसीड करने के लिये कदम क्यों नहीं उठाया गया जब कि प्रदेश में और जिलों में बोर्ड्स को सुपरसीड कर दिया गया?

श्री उपाध्यक्ष—

बड़े ब्यौरे का सवाल है। माननीय मन्त्री आखिरी भाग का उत्तर दे दें।

श्री नारायण सिंह—

फर्रुखाबाद जिला कोआपरेटिव बैंक के बारे में मालूमात हुई कि वह सुचारु रूप से नहीं चल रहा है और उस लिससिले में हमने यह विचार किया है कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और वह प्रोसेस जारी हैं। जिस वक्त प्रोसेस पूरा हो जायगा माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जायगा।

[२९ अप्रैल, १९७५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

इलाहाबाद नगर महापालिका की कार्यकारिणी में व्याप्त अनियमितताएं

*१—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका की कार्य-प्रणाली तथा वहां व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में सरकार को फरवरी, १९७४ से अक्तूबर, १९७४ के मध्य कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? शिकायतें क्या-क्या हैं तथा किनके-किनके विरुद्ध हैं? सरकार ने अब तक उन पर क्या कार्यवाही की है?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां। कुल २९ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जो संलग्नक के अनुसार हैं। यह शिकायतें कर्मचारियों, अधिकारियों तथा जन-प्रतिनिधियों सभी के विरुद्ध हैं। उनके सम्बन्ध में जांच अभी हो रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०२ पर।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

कुल कितने शिकायती-पत्र हैं और जांच कब बिठाई गयी और कौन- जांच कर रहा है?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

कुल शिकायतें २९ हैं। १ से ४ तक की शिकायतों की जांच प्रशासक के जरिये कराई जा रही है और ५ से ९ तक प्रशासक और आयुक्त मन्डल द्वारा कराई जा रही है और १० से २९ तक कमिश्नर द्वारा कराई जा रही है। दिनांक १८ अप्रैल, १९७५ को प्रशासक तथा आयुक्त मन्डल को आदेश दिये गये कि शीघ्र जांच पूरी करके अपनी संस्तुति सरकार को दे दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

कोई अन्तरिम जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है या नहीं हुई है? क्या कारण है कि इतने गम्भीर आरोप हैं नगरपालिका से सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार, गबन तथा अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं, और अधिकारियों में मुख्य नगर-अधिकारी, नगर अभियन्ता (विकास) तथा अन्य अधिकारी सम्मलित हैं तो अब तक उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जितने गम्भीर आरोप हैं उतनी ही गम्भीरता से उनकी जांच की जा रही है। जो छोटे अधिकारी हैं उनकी जांच प्रशासक के द्वारा कराई जा रही है और जहां प्रशासक का सम्बन्ध है वहां कमिश्नर को जांच दी गयी है और उनको स्मरण करा कर इस बातका का प्रयास किया गया है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

श्री ऊदल (जिला वाराणासी) —

जांच कब तक पूरी हो जायगी?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

ज्योंही वे अपनी मालूमात कर लेंगे उनकी रिपोर्ट हमारे पास आ जायगी।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

शिकायत किये हुए साल सवा साल हो गये और अभी तक जांच ही हो रही है तो सवा साल में कुछ अन्तरिम रिपोर्ट तो आप के पास आई होगी और किसी के खिलाफ कोई केस तो बना होगा? अगर बना है तो किसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

प्रशासन के पास अक्तूबर, १९७४ तक की शिकायतें आईं और उन पर जांच हो रही है। हमारी तरफ से कोई विलम्ब नहीं हुआ है और जल्दी से जल्दी इन्क्वायरी कराई जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

अक्तूबर, १९७४ तक की शिकायतें हैं लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ जब कि इन शिकायतों में गबन की भी शिकायत है ? यदि हां, तो गबन का मामला पुलिस को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

शिकायतें क्या हैं इस सम्बन्ध में छः पेज की तालिका आप के पास मौजूद है। गबन की शिकायत होना एक बात है मान्यवर, केवल आरोप होने मे किसी आदमी को निलम्बित कर देना उचित नहीं है जब तक कि प्राइमा फेसी केस न बन जाय। अभी इस पर कोई अन्तरिम रिपोर्ट भी नहीं आयी है। जब वह आ जायेगी तो फौरन ऐक्शन लिया जायगा।

श्री राम अधार—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि फरवरी, १९७४ का जो शिकायती-पत्र है वह आप को कब मिला ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, जो शिकायती पत्र आया है उसे आप देख लें। उसकी लम्बी तालिका है और हर एक की तिथि बताना मेरे लिये . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो विस्तृत हो जायेगा।

श्री राम अधार—

मान्यवर, फरवरी, १९७४ को शिकायत हुई है और आज २९ अप्रैल, है यानी सवा साल हो गया तो मन्त्री जी बतायें कि उस फरवरी, १९७४ के शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न हो चुका है।

श्री राम अधार—

उसका जवाब नहीं आया है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

अलग-अलग शिकायतों के ऊपर अलग अलग अधिकारी जांच कर रहे हैं। सामूहिक शिकायतों पर जांच की जा रही है। एक से लेकर चार तक एक अधिकारी जांच कर रहे हैं और १० से २९ तक दूसरे अधिकारी . . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मन्त्री जी तथ्यों को छिपा रहे हैं। माननीय कोहली और माननीय राम अधार जी ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर नहीं आ रहा है। प्रश्न यह है कि फरवरी, १९७४ के सन्दर्भ में जो शिकायत की गई है वह किस तिथि की है और क्या कारण है कि इतने दिनों तक उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

पहले जो शिकायती पत्र फरवरी, १९७४ . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, मैं टालने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि इतना स्पष्ट उत्तर होने के बाद भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। फरवरी, १९७४ का प्रश्न नहीं है। फरवरी, १९७४ को शिकायत आयी और उसके बाद भी आयी। शिकायतों का क्रम जारी रहा। उनका वर्गीकरण ३ श्रेणियों में किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

इतने विलम्ब का क्या कारण है, यह वे पूछ रहे हैं। जब इतने गम्भीर आरोप हैं और विभिन्न विभागों से आप जांच करवा रहे हैं तो विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें जल्दी होनी चाहिये। इन्क्वायरी स्थानीय अधिकारियों के पास भेज दी गई है और उसके लिये रिमाइन्डर्स भी भेजे गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरी बात उन्होंने यह पूछी है कि यह कब तक हो जायेगा।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी हो जाय। अप्रैल में ही आखिरी रिमाइन्डर भेजा गया है कि इसे शीघ्र करवा लिया जाय।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ का प्रभावीकरण

*२—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ किस तिथि से प्रभावी किया गया है तथा अधिनियम की धारा ६ के अन्तर्गत सलाहकार परिषद् गठित हो गई है? अथवा नहीं? यदि सलाहकार परिषद् नहीं गठित हुई है तो इसके क्या कारण हैं और कब तक गठित हो जावेगी?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ के अधीन गत अगस्त-सितम्बर, १९७४ में विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया। सलाहकार परिषद् का गठन नहीं किया गया। फिलहाल सलाहकार परिषद् के गठन का कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मूल प्रश्न यह था कि क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ किस तिथि से प्रभावी किया गया है तथा अधिनियम की धारा ६ के अन्तर्गत सलाहकार, परिषद् गठित हो गई है अथवा नहीं? तो आप यह बतादें कि किस तिथि से वह प्रभावी की गई है?

श्री काशीनाथ मिश्र—

कोई भी अधिनियम गजट में प्रकाशित हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी जवाब देने के लिये सक्षम हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, काशीनाथ जी को जानकारी नहीं है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, माननीय सदस्य कृपया उत्तर का पहला हिस्सा देख लें। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ के अधीन गत अगस्त, सितम्बर, १९७४ में विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया। दूसरे हिस्से का जवाब उसमें स्पष्ट है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, जो उत्तर आया है उसमें यह है कि अगस्त और सितम्बर, में विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है नगर-योजना और विकास अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधनियम संख्या ११,१९७३), तो यह किस तिथि से प्रभावी किया गया है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

इसका उत्तर जो मैंने समझा वह यह समझा कि यह इलाहाबाद का जो अधिनियम है, वह किस तारीख से प्रभावी किया गया। ऐक्ट किस तारीख से प्रभावी किया गया, यह मान्यवर, आप स्वयं देख सकते हैं, इसमें लिखा होता है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस अधिनियम में वह नहीं लिखा है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

तो वह मेरे पास भी नहीं है।

श्री ऊदल—

यह केवल इलाहाबाद के लिये नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश भर के लिये है, तो इसको कब से लागू किया गया है, इसे वह कृपया बतायें।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

यह उत्तर प्रदेश भर के लिये नहीं है। इसमें कुछ भ्रान्ति हो रही है। यह केवल ५ नगर महापालिकाओं के लिए है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, प्रश्न बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ किस तिथि से प्रभावी हुआ तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस प्रश्न को स्पष्टत: जानते हुए कौन से ऐसे कारण हैं, जिससे उनकी समझ में केवल इलाहाबाद आया है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

यह जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है जिसे आपने पढ़ दिया, उसमें 'प्रभावी हुआ' नहीं, 'प्रभावी किया गया है' है (व्यवधान) वहां पर किस तारीख को प्रभावी किया, वह बता दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा प्रश्न सिम्पल है चाहे 'किया गया' या 'हुआ' उससे फर्क नहीं पड़ता, किन्तु उसमें इलाहाबाद का नाम नहीं है, तो कौन सा कारण था कि इसमें इन्होंने इलाहाबाद का ही रेफरेन्स दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न को समझें और फिर ठीक से उत्तर दें। मुझे भ्रम हो रहा है। माननीय सदस्यों को सीधा उत्तर मिल नहीं रहा है।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

वाराणसी और इलाहाबाद में विकास क्षेत्र दिनांक २० अगस्त, १९७४ को घोषित हुआ और उसी दिन विकास प्राधिकरण का गठन हुआ तथा लखनऊ, कानपुर व आगरा में विकास क्षेत्र दिनांक ११ सितम्बर, १९७४ को घोषित हुआ और दिनांक १३ सितम्बर, १९७४ को विकास प्राधिकरण का वहां गठन हुआ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय मन्त्री जी ने अभी तक उत्तर नहीं दिया है माननीय मन्त्री जी विकास के सर्वोपरि मन्त्री हैं मेरा प्रश्न लिखित है कि किस तारीख को यह अधिनियम प्रभावी किया गया किन्तु अभी तक इन्होंने उत्तर नहीं दिया तो इस सम्बन्ध में अब मैं माननीय उपाध्यक्ष की सुरक्षा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं मन्त्री जी से कह तो रहा हूं, मैं उनके एवज में उत्तर तो नहीं दे सकता हूं।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मैंने निवेदन किया और पुनः निवेदन करता हूं कि वाराणसी और इलाहाबाद में दिनांक २० अगस्त, १९७४ से इसको प्रभावी किया गया और लखनऊ, कानपुर व आगरा में दिनांक १३ सितम्बर, १९७४ ई० से।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरा मूल प्रश्न यह था कि इसमें जो नियम ६ के अन्तर्गत सलाहकार परिषद् का गठन होना है, यह अभी तक क्यों नहीं हुआ है? इसमें दिया हुआ है कि लोकसभा के और राज्य विधान सभा के ऐसे सब सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास क्षेत्र का कोई भाग हो, वह राज्य सभा और राज्य की विधान परिषद् के ऐसे सब सदस्य जिनका निवास स्थान विकास क्षेत्र में हो, तो सारे अधिनियम में केवल एक ही ऐसी धारा है, जिसमें कि जनता के प्रतिनिधियों का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिये। माननीय मन्त्री, जी के उत्तर में यह भी आया है कि सलाहकार समिति के गठन का कोई मामला नहीं है, जब कि अधिनियम के अन्तर्गत एक स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि उसमें राज्य सभा, लोक सभा, विधान सभा तथा विधान परिषद् के सदस्य होंगे। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जन प्रतिनिधियों की अवहेलना करके अभी तक उक्त सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

मान्यवर, ६(१) में यह भी प्राविधान है कि राज्य सरकार यदि ठीक समझे तो विकास प्राधिकरण को सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति को गठित कर दे। अभी तक राज्य सरकार ने ठीक नहीं समझा, उसका कारण यह है कि अभी तक इस प्राधिकरण का कार्य आरम्भ ही नहीं हुआ है, जब कुछ कार्य में प्रगति होगी तब यह गठित की जायगी?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है। मान्यवर, इलाहाबाद में नगर महापालिका ने एक योजना बना रखी है जिसका नाम है श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा आवास योजना। उसमें जो संशोधन के प्रस्ताव आये हैं जहां पर पत्रकारों को प्रलोभन दिया था, तो यहां सुझाव आया यह है कि जहां पर वह योजना बनाई जा रही है, जो सरकार के विचाराधीन है, वह सरकारी कार्यालयों के लिये है। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या यही कारण है कि जिससे अभी तक सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप आरोप लगा रहे हैं।

"कानपुर में अपना घर आप बनाओ" योजना

*३—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरमहापालिका कानपुर ने "अपना घर आप बनाओ" योजना के अन्तर्गत कानपुर में जमीन आदि एलाट करना नवम्बर, १९७४, में बन्द कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

"अपना घर आप बनाओ" नाम की न कोई योजना थी और न वह बन्द की गई ?

'औषधि नियन्त्रण संगठन' का पुनर्गठन

*४—श्री मुहम्मद असरार अहमद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० ड्रग कन्ट्रोल आर्गनाइजेशन का पुनर्गठन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूप रेखा है और इसे कब से लागू किया जायेगा ?

श्री प्रभु नारायण—

प्रदेश में औषधि नियन्त्रण संगठन के पुनर्गठन हेतु एक समिति का गठन ३१ मई, १९७४ को किया गया था ? इस समिति को प्रमुख संस्तुतियों तथा उन पर कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०७ पर)

कृषि विभाग के अमीन एवं [अमीन चपरासियों की सेवाओं की समाप्ति

*५—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के अधीन कार्यरत समस्त अमीन तथा अमीन चपरासियों की सेवायें समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

जी नहीं।

कृषि विभाग के अमीनों एवं अमीन चपरासियों का स्थायीकरण

*६—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह सही है कि उपरोक्त अमीन तथा चपरासियों में २५ प्रतिशत की सेवायें स्थाई किये जाने सम्बन्धी कोई निर्णय सरकार द्वारा जुलाई, १९७४ में लिया गया था ? यदि हां, तो उसके अनुसार स्थाई किये गये अमीनों तथा अमीन चपरासियों की संख्या क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

शासन द्वारा १४५० अमीनों के पद तथा इतने ही पद चपरासियों के स्थाई घोषित किये जा चुके हैं किन्तु इन पदों पर अभी किसी का स्थायीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि कृषि पूर्ति संगठन का भविष्य अनिश्चित है।

बस्ती जनपद में कप्तानगंज–दुबलिया तथा कप्तानगंज–टिनिच मार्ग के निर्माण में विलम्ब के उत्तरदायी अधिकारियों को दण्ड

*७—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) तथा श्री केशरी लाल (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सही है कि बस्ती जनपद में कप्तान गंज-दुबलिया मार्ग व कप्तानगंज-टिनिच मार्ग के लिये क्रय किया गया दो लाख रुपये का सामान तारकोल तथा गिट्टी जो साइड पर पड़ा हुआ है व जिसका उपयोग नहीं किया गया है, के लिये सहायक अभियन्ता (अल्प सिंचाई), बस्ती दोषी हैं और इस कारण इन्होंने अक्तूबर,

१९७४ में. अपना स्थानान्तरण बाराबंकी जनपद कराया था? यदि हां, तो बाराबंकी को हुआ स्थानान्तरण क्यों रद्द किया गया और सम्बन्धित सहायक अभियन्ता तथा दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मधुकर दिवे—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक १० मार्च, १९७५ को प्रश्न किया था और दिनांक १० मार्च, १९७५ से आज हो गये दिनांक २९ अप्रैल, १९७५, तो कहां की सूचना इतने दिन से एकत्र कर रहे हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, दिनांक १० मार्च, १९७५ को टेबुल हुआ दिनांक २ अप्रैल, १९७५ को यह नियत अधिकारी जो इस प्रश्न का उत्तर देता है उसके पास भेजा उसके बाद ७ अप्रैल, १९७५ को भेजा फिर २६ को भेजा किन्तु खेद है कि अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मान्यवर मुझे भी खेद है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, इसका जरा ध्यान रखा जाय। मेरे सामने आये दिन ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि सरकार को स्मरण दिलाने के बाद भी उत्तर नहीं आता है केवल खेद प्रकट करने से काम चला लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में इसमें सुधार कर लिया जाय।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

मान्यवर, अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं वही कह रहा हूं।

श्री मोहन लाल कपूर—

मान्यवर, इसमें कौन अधिकारी जिम्मेदार है, यह बता दिया जाय और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

*८—श्री मधुकर दिये—

[८-४-७५ को तारांकित प्रश्न संख्या २३ पर उत्तरित।]

राजकीय एलोपैथिक अस्पताल, पिंडरा, वाराणसी के डाक्टर रणविजय सिंह के विरुद्ध जांच

*९—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय ऐलोपैथिक अस्पताल, पिंडरा-वाराणसी के डा० रण विजय सिंह के खिलाफ जिला परिषद्, वाराणसी के दो सदस्यों का लिखित पत्र तारीख २८ फरवरी, १९७५ को प्रश्नकर्ता ने उन्हें दिया है जिसमें गम्भीर चार्ज है कि मरीजों से पैसा मांगना, पैसा न देने पर घंटों बैठाना तथा न देखना और जिन लोगों से पैसा लिया है उनको तुरन्त देखना आदि? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां। कथित शिकायतों की जांच संयुक्त निदेशक, वाराणसी मन्डल से कराई जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फर्रुखाबाद में क्रैश प्रोग्राम योजना की प्रगति

*१०—श्री अनवार जमील—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष १९७२-७३ व १९७३-७४ में जो मार्ग निर्माण का कार्य कराया गया है उसमें जनपद फर्रुखाबाद के दस पुराने ब्लाकों में के केवल नौ ही क्यों लिखे गये और केवल विकास खंड कमालगंज को क्यों छोड़ दिया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद में कार्य वर्ष १९७१-७२ से प्रारम्भ हुआ। मार्ग निर्माण की परियोजनाओं का चयन त्वरित योजना की जिला परामर्श-दात्री समिति द्वारा किया गया। यह सही है कि कमालगंज ब्लाक में कोई निर्माण कार्य चयन नहीं हुआ जिसका मुख्य कारण यह था कि उक्त विकास खंड के अधिकांश भाग के शहर के समीप होने से निर्धारित दर पर मजदूरों के मिलने की कठिनाई थी।

श्री अनवार जमील—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि वहां पर शहरी आबादी नहीं है बल्कि ९५ फीसदी आबादी देहाती है। जिन अधिकारियों ने उत्तर दिया क्या माननीय मन्त्री जी उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, तत्कालीन जिलाधिकारी ने मदार दरवाजे से कानपुर रोड म्युनिसिपल चेक पोस्ट तक ५ किलोमिटर तक सड़क निर्माण के लिये शासन को एक प्रस्ताव भेजा था, शासन ने यहां से यह आदेश दिया कि जिला परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति के साथ इस प्रस्ताव को भेजा जाय। जब जिला परामर्शदात्री समिति में यह प्रश्न गया तो उसनें संशोधित प्रस्ताव भेजा शासन ने उसके प्रस्ताव की स्वीकृति यहां से भेज दिया, इस कारण से यह सड़क रह गयी, बन नहीं पायी।

श्री अनवार जमील—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परामर्शदात्री समिति किसी के खिलाफ है और खासतौर से कमालगंज ब्लाक के साथ ज्यादती क्यों की गयी। तो क्या माननीय मन्त्री जी फिर से उसको बनवाने की कृपा करेंगे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

क्रैस प्रोग्राम तो समाप्त हो गया और अब इस योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण सम्भव नहीं है। अब तो जो छोटे-मोटे काम हैं वे जिला परिषद् के द्वारा ही कराये जा सकते हैं। जिला परिषद् को यहां से लिख दिया जायेगा कि वह इस सड़क को देख लें और अगर उनके पास धन उपलब्ध हो तो उसका निर्माण करा दें।

उप निदेशक, पशुपालन (फार्म्स) द्वारा बरती गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच

*११—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें उपनिदेशक, पशुपालन फार्म्स द्वारा बरती गई गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जून, १९७४ के

प्रथम पक्ष में मन्त्रियों तथा विधायकों के शिकायती-पत्र जिनमें सतर्कता विभाग द्वारा तुरन्त जांच की मांग की गई थी प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं और जांच का परिणाम क्या रहा तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां।

शिकायतों के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है। उक्त स्थिति में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अभी किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बाबू लाल वर्मा —

मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मन्त्री जी बड़े भोले भाले .....

श्री उपाध्यक्ष—

सीधा प्रश्न करें। भोले भाले क्या ?

श्री बाबू लाल वर्मा—

प्रश्न मैंने यह किया था कि क्या सहकारिता मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दरख्वास्त दी गयी थी उसकी मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन शिकायतों के जांच का परिणाम क्या है। मान्यवर लाखों रुपये का घोटाला है। जो विधायकों को शिकायतें प्राप्त हुई वह क्या थीं ?

श्री नारायण सिंह—

जो प्रार्थना-पत्र दिया गया, जो उसे फौरन मुख्य मन्त्री जी ने डिपार्टमेंट को भेज दिया। तहकीकात चल रही है और जब तहकीकात पूरी हो जायेगी तो उसकी सूचना आपको दे दी जायेगी।

श्री बाबू लाल वर्मा—

शिकायतें क्या हैं और कौन जांच कर रहा है ?

श्री नारायण सिंह—

मान्यवर जो ओरिजनल दरख्वास्त थी उसी को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भेज दिया है। वह पत्र हमारे पास नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्ति। माननीय मन्त्री जी कह रहे हैं कि शिकायती-पत्र हमने नहीं देखा तो मैं जानना चाहता हूं कि वह जवाब किस आधार पर दे रहे हैं ?

श्री नारायण सिंह—

सवाल जो किया उसके विषय में उत्तर दे रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

जैसा आपने कहा कि मूल पत्र विभाग को भेज दिया और माननीय मन्त्री जी ने उसको देखा ही नहीं तो किस आधार पर उत्तर दे रहे हैं और क्या जांच हुई है ?

श्री नारायण सिंह—

मैंने कहा कि जिस वक्त तहकीकात पूरी हो जायेगी और उसकी रिपोर्ट हमारे पास आयेगी तो उसको सूचना हम दे देंगे। आप जानना चाहते हैं कि कौन तहकीकात कर रहा है। यह मामला विजिलेन्स के पास है। ओरिजनल शिकायती-पत्र क्या था, उसको कापी हमने नहीं मांगी है और न उसकी जरूरत ही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ---

अगर आपको जानकारी है तो शिकायतें क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी के पास दरख्वास्त नहीं है तो कैसे बतायेंगे ?

श्री बाबू लाल वर्मा---

इस उपनिदेशक ने कई लाख रुपये का घोटाला किया है और उनको बचाने के लिये माननीय मन्त्री जी उस पत्र को छिपा रहे हैं। क्या माननीय मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मानकर उसकी जांच करायेंगे और जो अधिकारी दोषी पाये जायें उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण सिंह---

दरख्वास्त के अन्दर क्या चीजें हैं, यह मुझे नहीं मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न स्थगित कर दिया जाये। मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं, मन्त्री जी दुबारा जवाब देंगे।

विकास क्षेत्र अधिकारी, दोस्तपुर, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*१२---डा० जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (अनुपस्थित)---

प्रथम सत्र १९७५ के २रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहायक निबन्धक सहकारी समितियों की जांच में कौन-कौन से आरोप पूर्ण अथवा आंशिक रूप में साबित हुये हैं? क्या किसी अन्य अधिकारी ने भी इस मामले की जांच की है? यदि हां, तो उनकी जांच के परिणाम क्या रहे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

नगरपालिका, गौरा बरहज, देवरिया का अवक्रमण

*१३---श्री हरिकेवल (जिला देवरिया), श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) तथा श्री जमुना प्रसाद बोस ---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका, गौरा बरहज, जनपद देवरिया को सरकारी नियन्त्रण में लेने के लिये जिला अधिकारी, देवरिया एवं क्षेत्रीय कमिश्नर, गोरखपुर ने संस्तुति १९७४-७५ से की है? यदि हां, तो अब तक उस पर सरकार ने कौनसी कार्यवाही की है ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

जी हां। नगरपालिका बोर्ड, गौरा बरहज को अवक्रमित किये जाने के सम्बन्ध में आरोप-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया के माध्यम से दिया गया है जिस पर नगरपालिका बोर्ड के स्पष्टीकरण तथा उस पर जिला मजिस्ट्रेट/आयुक्त की आज्ञा की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री हरिकेवल---

क्या माननीय मन्त्री जी जिलाधिकारी से जो रिपोर्ट आयी है उसको पढ़ेंगे और इस अवधि को २१ अप्रैल तक रखा गया था तो क्या उस नगरपालिका को अपने अधिकार में लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

यह ठीक है कि हमने जो दो महीने का समय दिया था वह २१ अप्रैल को समाप्त हो गया है। अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अधिकारियों की रिपोर्ट की जैसे ही वह रिपोर्ट प्राप्त हो जायगी, कार्यवाही करेंगे।

खन्ड विकास अधिकारी, गंगीरी, अलीगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

*१४—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खन्ड विकास अधिकारी, विकास क्षेत्र गंगीरी, जिला अलीगढ़ के विरुद्ध दिनांक ३ फरवरी, १९७५ और दिनांक २० फरवरी, १९७५ के स्थानीय जनता के हस्ताक्षरों से युक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुये हैं जिनमें उपरोक्त खन्ड विकास अधिकारी के प्रति रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं से सम्बन्धित गम्भीर आरोपों का उल्लेख है? यदि हां, तो आरोप क्या हैं, शिकायतकर्ता कौन-कौन हैं और जांच किसने कब की है? क्या आरोपकों को अपने आरोप सिद्ध करने हेतु जांच के समय अवसर प्रदान किया गया है जांच का निष्कर्ष क्या रहा तथा शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

दिनांक ३ फरवरी, १९७५ तथा दिनांक २० फरवरी, १९७५ को कोई भी शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं? अतः इस सम्बन्ध में किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जिला सहकारी बैंक लि०, बाराबंकी द्वारा दिया गया फर्जी कर्जा

*१५—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि साधन सहकारी समिति, तेलवारी, विकास खन्ड, राम नगर, जिला बाराबंकी के सदस्य श्री राम सेवक पुत्र सरजू, राम शंकर पुत्र राम नाथ, रामदयाल पुत्र मक्का व सन्त प्रसाद पुत्र गोपालदास क्रमशः १९६२, १९६५, १९६७ व १९६८ में मर चुके हैं, परन्तु उनके नाम से जिला सहकारी बैंक, बाराबंकी से ५७८० रु० का फर्जी कर्जा वर्ष १९७०-७१ में निकाला गया? यदि हां तो इसके लिये कौन-कौन दोषी पाये गये और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री नारायण सिंह—

साधन सहकारी समिति, तेलवारी विकास खन्ड राम नगर, जिला बाराबंकी में वर्ष १९७०-७१ व १९७१-७२ में निम्नलिखित मरे हुये सदस्यों के नाम जिला सहकारी बैंक लि०, बाराबंकी से ५८७० रु० का कर्जा निकाला गया:

(१) श्री बाबू लाल, पुत्र श्री पलटू,
(२) श्री बृज लाल, पुत्र श्री बनवारी,
(३) श्री रमाशंकर, पुत्र राम नाथ,
(४) श्री राम सेवक, पुत्र श्री सरजू,
(५) श्री सालिग, पुत्र श्री मैकू,
(६) श्री सन्तराम, पुत्र श्री गोपाल दास तथा
(७) श्री प्रसादी, पुत्र श्री सरजू।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

उपरोक्त फर्जी कर्जा वितरण के लिये उक्त समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं खजांची को दोषी पाया गया है। इन तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस म दिनांक २० मार्च, १९७५ को प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करा दी गई है ।

*१६—श्री जंगबहादुर वर्मा—

[९वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६३ पर स्थानान्तरित।]

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ द्वारा 'गर्भ निरोधक' औषधि का अनुसन्धान

*१७—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ ने परिवार नियोजन (गर्भ निरोध) के लिये हाल में किसी महत्वपूर्ण औषधि की खोज की है अथवा निर्माण किया है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या ह तथा क्या सरकार परिवार नियोजन कार्य-क्रम में उसका अविलम्ब उपयोग करने के विषय पर आदेश प्रसारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां । राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में स्थापित परिवार नियोजन शोध इकाई के अन्तर्गत वर्ष १९७०-७१ से एक 'विडंवादियोग' नामक एक गर्भ निरोधक आयुर्वेदिक औषधि पर अनुसन्धान कार्य हो रहा है। अन्वेषण कार्य अभी जारी है जिसके पूर्ण होने पर शासन द्वारा उक्त औषधि को परिवार नियोजन कार्य-क्रम में उपयोग किये जाने के विषय में विचार किया जायेगा ।

श्री अर्जुन प्रसाद कर पाठक, प्रधान लिपिक, उप निदेशक (कृषि) कार्यालय, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों पर जांच

*१८—श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक, कृषि जनपद गोरखपुर के कार्यालय के स्थानापन्न प्रधान लिपिक (श्री अर्जुन प्रसाद कर पाठक) के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा घोखा धड़ी के सम्बन्ध में अगस्त, १९७३ में कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को शिकायत प्राप्त हुई एवं उसकी जांच जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर से करा कर उनका स्थानान्तरण वाराणसी किया गया एवं पुन : जांच उपनिदेशक कृषि (कपास) ने भी की और जांच में दोषी पाया ? यदि हां, तो उसे अब तक निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

प्राप्त शिकायतों में से एक पर उप -निदेशक कृषि (कपास) तथा दूसरे पर जिला कृषि अधिकारी, गोरखपुर ने जांच की। श्री पाठक का स्थानान्तरण वाराणसी मन्डल को कर दिया गया। जांच रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही कृषि निदेशक के विचाराधीन है ।

निदेशक, पशुपालन के विरूद्ध शिकायतें

*१९—श्री तेज बहादुर (जिला पीलीभीत)—

विधान सभा १९७५ के प्रथम सत्र के दूसरे मंगलवार दिनांक १८ मार्च, १९७५ के तारांकित प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पशुपालन मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सतर्कता विभाग ने फर्जी यात्रा भत्ता लेने तथा राइस पालिस की खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने के लिये निदेशक, पशुपालन विभाग को दोषी पाया था और

उनके विरुद्ध 'अभियोग चलाने 'की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायण सिंह—

सतर्कता विभाग ने राइस पालिस की खरीद में भ्रष्टाचार करने के लिये निदेशक, पशुपाल को दोषी नहीं पाया था और उनके विरुद्ध अभियोग चलाने की सिफारिश की। मामले में शासन द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार जो कार्यवाही की गई उसके विषय में पूर्व प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है।

कानपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल योजना की प्रगति

*२०—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि कानपुर जिले के ग्रामीण अंचल में शुद्ध पेयजल की कोई स्कीम स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो किन-किन कस्बों तथा उनके पास में कौन-कौन गांवों में पेय जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और इसके लिये कुल कितना धन स्वीकार किया गया है तथा कब से कार्य प्रारम्भ किया जायेगा और अलग-अलग कस्बों में कब तक पेय जल की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

कानपुर जिले के गांवों में शुद्ध पेयजल की कोई योजना इस समय नहीं चल रही है। क्षेत्र समितियों की छः योजनायें स्वीकृत की जा चुकी हैं। घाटमपुर, गौसगंज-मूसानगर, अमरौधा, अकबरपुर, रूरा तथा झींझक की पेय जल योजनाओं पर जिनकी कुल अनुमानित लागत २४,९४,००० रुपया है मार्च, १९७५ तक १२,२८,००० रुपया अवमुक्त किया जा चुका है। घाटमपुर, गौसगंज-मूसानगर तथा अमरौधा योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। अकबरपुर योजना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। रूरा तथा झींझक की योजनायें आगामी वर्ष में पूरी हो जायेंगी।

*२१—सरदार कुलतार सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता), क्षेत्र समिति रामनगर, बाराबंकी के विरुद्ध आरोप

*२२—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री भगौती प्रसाद (जिला बाराबंकी)—

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि दिनांक ९ सितम्बर, १९७४ को क्षेत्र समिति राम नगर, जिला बाराबंकी द्वारा सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पारित किया गया और दिनांक २६ फरवरी, १९७५ को पुनः क्षेत्र समिति ने सहकारी विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया है ? यदि हां, तो प्रस्तावों का विवरण क्या है और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां। पारित प्रस्तावों का विवरण संलग्न है। प्रारम्भिक जांच के उपरान्त जिला अधिकारी, बाराबंकी ने सहायक विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की विधिवत् विभागीय जांच किये जाने के आदेश दे दिये हैं और उनका स्थानान्तरण भी कर दिया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११२ पर)।

*२३—ठाकुर राधा चरण सिंह—
[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

*२४—श्री सलाहउद्दीन उस्मानी—
[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

ज्ञानपुर, वाराणसी के ग्रामीण अंचल में पेयजल का संकट

*२५—श्री गिरिजा शंकर पाठक—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील ज्ञानपुर वाराणसी, जनपद वाराणसी के ग्रामीण अंचलों में कितने ग्राम के कुओं का पानी सूख गया है वह किन-किन ग्रामों में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया? सरकार इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

सूचना एकत्र की जा रही है?

बस्ती जनपद में डाक्टर एवं कम्पाउण्डर विहीन पशु अस्पताल

*२६—श्री राम रेखा यादव (जिला बस्ती)—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में कितने ऐसे पशु अस्पताल हैं जहां कि डाक्टर और कम्पाउण्डर नहीं हैं? कब तक भेजे जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण सिंह—

बस्ती जिले में केवल एक पशु-चिकित्सालय पर पशु कम्पाउण्डर नहीं है वहां शीघ्र ही पशु-कम्पाउण्डर तनात किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

*२७—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल तथा श्री जमुना प्रसाद घोस—
[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

ब्लाक प्रमुख, भदैयां, सुल्तानपुर की गिरफ्तारी

*२८—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर जनपद के विकास क्षेत्र भदैयां के प्रमुख को सहकारी बैंक के एक लाख रुपयों के गोलमाल करने के आरोप में दिनांक १६ मार्च, १९७५ के आसपास गिरफ्तार किया गया है? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री नारायण सिंह—

श्री राम किशोर दूबे, प्रमुख विकास क्षेत्र भदैयां को दिनांक ११ मार्च, १९७५ को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है परन्तु यह गिरफ्तारी प्रश्न में उल्लिखित सहकारी बैंक के धन के गोल-माल करने के आरोप में नहीं, बल्कि साधन सहकारी समिति, हनुमानगंज जिसके वे भूतपूर्व सभापति थे, में हुये गबन के सम्बन्ध में की गई है!

व्यायाम प्रशिक्षक, प्रादेशिक विकास दल का वेतनमान

*२९—श्री झाम लाल अहिरवार (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि व्यायाम प्रशिक्षक, प्रादेशिक विकास दल का पद ब्लाक आर्गनाइजर प्रा० वि० दल से उच्च माना गया था तथा वेतन

भी (सी० टी० ग्रेड) उच्च श्रेणी का दिया गया था जो बी० ओ० प्रा० वि० दल से उच्च था और उसी सी० टी० ग्रेड पर बी० आई० को स्थाई किया गया तथा बी० ओ० वि० दल को प्रमोटेड करके व्यायाम प्रशिक्षक पद पर भेजा गया, लेकिन अब किन कारणों से व्यायाम प्रशिक्षक का वेतन बी० ओ० प्रा० वि० दल से निम्न स्तर का कर दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह सही है कि व्यायम प्रशिक्षक विकास दल के पद का वेतन-मान पहले ब्लाक आर्गनाइजर प्रादेशिक विकास दल के वेतन-मान से अधिक था। वर्तमान वेतन-मान वेतन आयोग की सिफारिश पर रखा गया है।

विधायक निवास स्थित राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी द्वारा विधायकों को दी गई औषधियों का मूल्य

*३०—श्री चन्द्र शेखर (जिला गोरखपुर) तथा श्री धर्मपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास स्थित राजकीय डिस्पेन्सरी द्वारा वर्ष १९७३-७४ में कुल कितने रुपये की दवाइयां विधायकों को बांटी गईं ?

श्री प्रभु नारायण—

विधायक निवास स्थित राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरी तथा राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी द्वारा क्रमश : १,६५,४४३.७५ रुपये तथा १७,०६५.७३ रु० की दवाइयां वर्ष १९७३-७४ में विधायकों को बांटी गयीं।

विधायक निवास स्थित डिस्पेन्सरी में औषधियों का अभाव

*३१—श्री चन्द्र शेखर तथा श्री धर्म पाल सिंह—

क्या चिकित्सा मन्त्री को जानकारी है कि आजकल विधायक निवास स्थित डिस्पेन्सरी में दवाइयों के अभाव के कारण विधायकों को दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? तथा व्यवस्था सुधार के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं। ऐसा नहीं है कि आजकल विधायक निवास स्थित चिकित्सालय में दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। वस्तुत : दैनिक प्रयोग की सभी औषधियां उपलब्ध हैं। कभी-कभी जो दवायें विधायकों द्वारा बाहर से लिखवा कर लाई जाती हैं और अस्पताल में नहीं होती हैं वे स्थानीय क्रय करके उपलब्ध करा दी जाती हैं।

*३२—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

जिला परिषद् लखीमपुर खीरी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर शिकायतें

*३३—श्री सत्य वीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् लखीमपुर खीरी में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र छात्र महासंघ, लखीमपुर के अध्यक्ष, श्री बीरेन्द्र कुमार उर्फ बीरू द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक १७ मार्च, १९७५ को अथवा उसके आस-पास किसी दिन उन्हें मिला ? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां; शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। आयुक्त, लखनऊ मंडल को इस पर जांच करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११४ पर)

*३४-३५—श्री ब्रजपाल सिंह यादव—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

हाथरस खास की देशी शराब की दुकानों की नीलामी के विरुद्ध शिकायतें

*३६—श्री राजेन्द्र सिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस खास में देशी शराब की दुकानों के नीलाम में बरती गई अनियमितता की शिकायतें अभी हाल में उन्हें मिली हैं? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

आबकारी मन्त्री (डाक्टर चरण सिंह)—

जी हां।

शिकायतें निराधार पायी गयीं, अतएव कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

महेबा क्षेत्रीय सहकारी समिति, कालपी, जालौन में भ्रष्टाचार की शिकायत

*३७—श्री केशरी लाल—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महेवा क्षेत्रीय सहकारी समिति, कालपी, जिला जालौन के अन्तर्गत दिनांक २४ दिसम्बर, १९७४ को भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र सहायक निबन्धक, जालौन को सदस्यों द्वारा दिया गया था? यदि हां, तो अब तक उसमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण सिंह—

जी हां।

श्री राना राम नारायण, सदस्य, क्षेत्रीय सहकारी समिति, कालपी, जिला जालौन का दिनांक २४ दिसबबर, १९७४ का शिकायती-पत्र सहायक निबन्धक, जालौन को दिनांक १२ फरवरी, १९७५ को प्राप्त हुआ था।

इस सम्बन्ध में सहायक निबन्धक, जालौन ने जांच की तथा शिकायतों को निराधार पाया।

शीत-गृहों में आलू रखने के किराये में वृद्धि

*३८—श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि फर्रुखाबाद जिले के साथ ही राज्य भर के शीत-गृहो में आलू रखने का किराया निश्चित आठ रुपया प्र.ति कुन्टल से बढ़ाकर १५ रुपया कर दिया है? यदि हां, तो सरकार यह अनियमित कार्यवाही रोकने हेतु कौन से कदम उठा रही है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

आलू भन्डारण दर रु० १२.५० पैसे प्रति कुन्टल शासन द्वारा निर्धारित की गई है। सूचना प्राप्तहोने पर अनियमितता करने वाले शीत-गृहों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारियों को आदेश जा चुके हैं। जिलाधिकारियों को अपनी ओर से भी (Surprise raids) आयोजित करने के निर्देश दिये गये हैं।

*३९-४०—श्री अठई राम—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

*४१—श्री मोहन लाल कपूर—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

जिला अस्पताल, गोरखपुर में दन्त चिकित्सक की नियुक्ति

*४२—श्री गजाधर प्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, गोरखपुर में दातों के डाक्टर की जगह है ? यदि हां, तो वह गत कितने दिनों से रिक्त है और अब तक किसी डाक्टर की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां।

परन्तु यह पद रिक्त नहीं है। इसलिये नियुक्ति न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*४३—श्री गज़ाधर प्रसाद आर्य—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*४४—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

भूतपूर्व फार्म मैनेजर, हस्तिनापुर, मेरठ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

*४५—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या सहकारित मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व फार्म मैनेजर, हस्तिनापुर, जिला मेरठ के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के सम्बन्ध में सरकार ने सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराई थी ? यदि हां, तो क्या-क्या आरोप सिद्ध हुये और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां।

इनका मामला प्रशासनाधिकरण (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल) के सुपुर्द कर दिया गया है। भूतपूर्व फार्म मैनेजर तथा ४ कर्मचारियों के निलम्बन के आदेश हो चुके हैं।

मेरठ स्थित छपरौली एवं सिझावल के कृषि बीज गोदामों द्वारा खाद-वितरण में अनियमितताएं

*४६—श्री मंजूर अहमद—

क्या कृषि मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि बीज गोदाम, छपरौली, जिला मेरठ पर तथा कृषि बीज गोदाम, सिझावली, जिला मेरठ पर दिनांक १ अप्रैल, १९७४ से ३० जून, १९७४ तक गेहूं क्रय योजना में भेजी परन्तु पुरानी दर की रासायनिक खाद का अधिक भाग अवैधानिक रूप से बिना परमिट के बेचा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं।

नगरपालिका मेरठ की सीमा वृद्धि पर जिलाधीश, मेरठ की संस्तुति

*४७—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगरपालिका की सीमा वृद्धि के प्रस्ताव से सम्बन्धित जिलाधिकारी, मेरठ की संस्तुति अब शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां। मामला शासन के विचारधीन है।

शाहजहांपुर में अफीम की तस्करी की जांच

*४८—श्री गिरिजा किशोर मिश्र (जिला शाहजहांपुर)—

द्वितीय सत्र १९७४ के १०वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ७० के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शाहजहांपुर में अवैधानिक अफीम रैकेट की जांच से क्या यह पता चला है कि सम्बन्धित राजनैतिक नेता कौन था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुनः जांच करायेगी और कब तक इसका परिणाम मालूम होगा ?

डाक्टर चरण सिंह—

जांच में प्राप्त सामग्री के आधार पर शाहजहांपुर में अफीम की कथित तस्करी के सम्बन्ध में किसी राजनैतिक नेता का नाम प्रमाणिक रूप से नहीं लिया जा सकता है। पुनः जांच का आधार नहीं है।

आजमगढ़ में सहकारी दुग्ध योजना के लिये किसानों को दिया गया ऋण

*४९—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में दुग्ध शाला योजना के सम्बन्ध में जिसका कार्य लगभग ३ वर्ष से हो रहा है उसकी प्रगति क्या है ? दुधारू भैंस, गाय खरीदने के लिये प्रत्येक विकास खंडों में कितना कितना रुपया किसानों को ऋण के रूप में दिया जा चुका हैं तथा भवन आदि के लिये किनको भूमि प्राप्त हो चुकी है।

श्री नारायण सिंह—

आजमगढ़ की सहकारी दुग्धशाला की स्थापना के लिये २.१३१ एकड़ भूमि का गांव सभा रामपुर–मुशेपुर में प्रबन्ध किया जा रहा है। भवन निर्माण के नक्शे, एस्टीमेट आदि बन गये हैं। अब टेन्डर मांगे जायेंगे। मशीनरी खरीदने के आदेश भी दिये जा चुके हैं।

योजना अन्तर्गत दुधारू भैंस, गाय के खरीदने के लिये सहकारिता विभाग द्वारा कोई ऋण अभी तक वितरित नहीं किया गया है।

जिला कोआपरेटिव बैंक लि०, आजमगढ़ के संचालक मंडल का चुनाव एवं सम्बन्धित संस्था के मुकदमें की पैरवी

*५०—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोआपरेटिव बैंक लि०, आजमगढ़ के संचालक मण्डल का चुनाव कब हुआ था तथा भविष्य में कब होने वाला है प्रदेश सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में मुकदमें की पैरवी किस अधिकारी द्वारा हो रही है कि अब तक रिट पिटीशन का निर्णय नहीं हो सका ?

श्री नारायण सिंह--

जिला कोआपरेटिव बैंक लि०, आजमगढ़ का चुनाव दिनांक २ नवम्बर १९६९ को हुआ था।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में मुकदमें की पैरवी उप निबन्धक, गोरखपुर तथा सहायक निबन्धक, आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।

निर्णय न्यायालय के अधीन है।

पम्पिग सेट लगवाने हेतु भूमि विकास बैंक द्वारा किसानों को दिये गये ऋण के संबंध में शिकायत

*५१--श्री हरीश चन्द्र खन्डेलवाल (जिला पीलीभीत)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पम्पिग सेट भूमि विकास बैंक के द्वारा कर्जे पर किसान को लगभग ४,५०० रु० का मिलता ह वही पंपिंग सेट नकद मूल्य लेने पर ३,५०० रु० का मिल जाता है? इस प्रकार एक पंपिंग सेट पर लगभग १,००० रु० तुरन्त किसान के ऊपर अधिभार पड़ जाता है? यदि हां, तो सरकार इस गहन अधिभार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नारायण सिंह--

इस सम्बन्ध में शासन को भी शिकायतें प्राप्त हुयीं जिनको दृष्टिगत रखते हुये अब बैंक द्वारा नवीन संशोधित ऋण वितरण प्रणाली दिनांक १ मई, १९७५ से लागू करने का निश्चय किया गया है। जिसके अनुसार आई० एस० आई० मार्क एवं क्वालिटी मार्कयुक्त या निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वारा मान्यता प्राप्त पम्प सेट्स ही स्वीकृत किये जायेंगे कृषक को छूट होगी कि पम्प सेट कहीं भी क्रय करें उक्त प्रकार के पम्प सेट खुले बाजार में भी अब निर्धारित मूल्य पर ही मिलेंगे।

*५२--श्री गिरिजा किशोर मिश्र--

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

नगरपालिका, कानपुर के परिवार नियोजन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का स्थायीकरण तथा अन्य उपलब्धियां

*५३--श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरमहापालिका, कानपुर के परिवार नियोजन में कार्यरत कर्मचारियों एवं चिकित्सकों ने अपनी सेवाओं के स्थायीकरण व सेवा निवृत्त आदि लाभ सम्बन्धी एक प्रतिवेदन दिनांक २० मार्च, १९७५ को दिया है? यदि हां, तो उसके मूल तथ्य क्या हैं तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

नगर महापालिका, कानपुर के परिवार नियोजन में कार्यरत कर्मचारियों एवं चिकित्सकों का प्रतिवेदन इस तथ्य पर आधारित है कि महापालिका अधिनियम की धारा ११४(१६) के अनुसार सन्तति निग्रह केन्द्रों की स्थापना महापालिका का अनिवार्य कर्त्तव्य है, अतः परिवार नियोजन में कार्यरत कर्मचारियों को महापालिका कर्मचारी मानकर स्थायी किया जाय और उन्हें प्रावीडेन्ट फन्ड पेंशन आदि का लाभ दिया जाय।

स्थिति यह है कि कानपुर महापालिका द्वारा संचालित परिवार नियोजन कार्य-क्रम भारत सरकार की योजना है जिसके लिये महापालिका को शत प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। यह योजना पूर्णतः अस्थाई है और इसमें कार्यरत कर्मचारियों

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]
को राज्य कार्मचारियों की भांति वेतन, महंगाई भत्ता, हाउस रेन्ट व नगर प्रतिकर भी दिया जाता है। अतः इन कर्मचारियों को महापालिका कर्मचारी मानकर स्थायी करना तथा पेंशन आदि का लाभ देना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

पशुपालन विभाग, वाराणसी के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

*५४—श्री कैलाश सिंह (जिला बलिया)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों का नये वेतन-मान में वेतन निर्धारित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी अविलम्ब वेतन निर्धारण कर बकाया वेतन दिलाने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री नारायण सिंह—

केवल ३ अधिकारियों को छोड़कर शेष सबका वेतन निर्धारण किया जा चुका है और ७ आदमियों को छोड़ कर बाकी को बकाये का भुगतान हो चुका है।

यह भुगतान शीघ्र करने का प्रयास हो रहा है।

सूचना अधिकारी, परिवार नियोजन विभाग, मैनपुरी के विरुद्ध शिकायतें

*५५—श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सूचना अधिकारी परिवार नियोजन विभाग, मैनपुरी के विरुद्ध अनियमितताओं एवं अपने पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में अनेकों विधायकों द्वारा हस्ताक्षर युक्त एवं जनता के शिकायती-पत्र १९७५ में शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उनका स्थानान्तरण न करके कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण है।

श्री प्रभु नारायण—

जी हां।

जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पाई गईं। अतः कथित अधिकारी का मैनपुरी से स्थानान्तरण करने अथवा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जलकल विभाग, नगर महापालिका, लखनऊ में कार्यरत जूनियर फिटर्स का स्थायीकरण

*५६—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर महापालिका के वाटर वर्क्स विभाग के ३ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत समस्त जूनियर पाइप लाइन फिटर की सेवायें अस्थायी हैं? यदि हां, तो उन्हें स्थायी करने के आदेश दे दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार तत्काल उन्हें स्थायीकरण का आदेश देने का कष्ट करेगी?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

लखनऊ नगर महापालिका के जलकल विभाग में जूनियर फिटर (न कि जूनियर पाइप लाइन फिटर) के २२ पद हैं जिनमें ३ पद रिक्त हैं और शेष १९ में से १७ पदों के पदधारक स्थायी हैं और बाकी २ के स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

मुरादाबाद नगरपालिका के प्रशासक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच

*५७--श्री ओम प्रकाश (जिला मुरादाबाद)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगें कि सरकार द्वारा मुरादाबाद नगरपालिका प्रशासक के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी किसी शिकायत की जांच शासनादेश सं० ४०१९/११-२-७८ (६)-७३, दिनांक ५ नवम्बर, १९७३ द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद से कराई गई? यदि हां, तो जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र सं० ५३८७-२१-८९-एम०बी०एम (७४)-एम०सी०, दिनांक २२ जून, १९७४ के माध्यम से सरकार को क्या संस्तुति की और सरकार द्वारा उस पर क्या निर्णय लिया गया?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---

जी हां। जिला मजिस्ट्रेट ने अपने दिनांक २२ जून, १९७४ के पत्र में यह बताया था कि शिकायत में उल्लिखित ३६ प्रश्नों में से केवल चार में लगाये गये आरोपों में सत्यता का आभास प्रतीत हुआ जिनसे सम्बन्धित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करके यथासमय शासन को भेजा जायगा। साथ ही उसमें यह संस्तुति भी की गई थी कि मामले में किसी अन्य निष्पक्ष एजेन्सी से भी जांच करा ली जाय। तदनुसार निदेशक, स्थानीय निकाय को अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

*५८---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

बरकंडीह सहकारी समिति, फूलपुर, आजमगढ़ द्वारा दिये गये ऋणों में अवैधानिकता

*५९---श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमढ़)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ब्लाक फूलपुर में सहकारी समिति संघ के वरकंडीह के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिल कर १.५० लाख रुपया के करीब उसी गांव के गरीबों के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर गत पांच वर्षों में निकाल कर हड़प लिया है जबकि अधिकांश गरीब उक्त समिति/संघ के सदस्य भी नहीं हैं। उक्त गोलमाल की सूचना वसूली आने पर हुई जिससे गरीबों में भारी असन्तोष है? यदि हां, तो कब-कब किसके-किसके नाम कितना-कितना रुपया निकाला गया है?

श्री नारायण सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहकारिता विभाग के प्रक्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि

*६०---श्री भामी---

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रक्षेत्रों पर कार्यरत ग्रुप १, ग्रुप ११ तथा ट्रैक्टर मैकेनिक को शासनादेश सं० ६९३/१२(१)-१५४५-७२, दिनांक ३० मार्च, १९७३ के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाती जबकि उस वेतन-मान व उसी कैडर में काम करने वाले कृषि विभाग के कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध की जा चुकी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायण सिंह---

जी नहीं। ग्रुप १ के समस्त कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धियां यथासमय मिलती रही हैं।

[श्री नारायण सिंह]

शेष कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं, तदनुसार उनको शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायेगा।

*६१—श्री गोरे लाल शाक्य—

[दिनांक २५ फरवरी, १९७४ को तारांकित प्रश्न संख्या ३२ पर उत्तरित।]

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, खेड़ारठ, शाहजहांपुर में विषाक्त ग्लूकोज की जांच

*६२—श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर के ग्राम खेड़ारठ के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में वही विषाक्त ग्लूकोज जिसकी चर्चा विधान सभा में हो चुकी है, अभी भी मौजूद है और क्या यह भी सच है कि शाहजहांपुर के भूतपूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने अक्तूबर व जून, १९७४ में उपरोक्त ग्लूकोज तथा खेड़ारठ चिकित्सालय में दवाइयों के अभाव व अन्य अनियमितताओं के विषय में शाहजहांपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मन्त्री को पत्र लिखे? परन्तु अब तक कोई छानबीन नहीं हुई, न ही विषाक्त ग्लूकोज हटाया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री प्रभुनारायण—

प्रश्नगत अस्पताल में इस समय विषाक्त ग्लूकोज की कोई बोतल नहीं है। सन्देह उत्पन्न होने पर इन बोतलों को सितम्बर, १९७४ में ही नष्ट कर दिया गया था।

भूतपूर्व विधायक श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की शिकायतों की जांच क्षेत्रीय संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक, बरेली से करायी गयी थी। जांच में अस्पताल में दवाइयां तथा औजार आदि उचित मात्रा में पाये गये, किन्तु चिकित्सा अधिकारी द्वारा कुछ अनियमिततायें बरतने की बात प्रकाश में आयी थी। चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

*६३—श्री प्रेम दत्त—

[११वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ पर स्थानान्तरित।]

अतिरिक्त आलू को प्रदेश के बाहर भेजना

*६४—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान सीजन में आलू के उत्पादन में वृद्धि के कारण उपलब्ध अतिरिक्त आलू को प्रदेश के बाहर भेजने तथा उसकी बिक्री एवं भंडारों में रखने हेतु क्या कोई व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी हां।

जनपद फर्रुखाबाद, छिबरामऊ में देशी शराब की दुकान

*६५—श्री अनवार जमील—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में छिबरामऊ कस्बे की देशी शराब की दुकान बीच बाजार में है उसी से लगा हुआ हनुमान जी का मन्दिर भी है और सौ गज दूरी पर हीरा लाल इन्टर कालेज है? यदि हां, तो क्या सरकार इसको हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर चरण सिंह—

छिबरामऊ देशी शराब की दुकान लगभग बीच बाजार में है। उसी दुकान की सरहद में दुकान के मालिक की ही निजी एक छोठी सी हनुमाम जी की मठिया है। इस देशी शराब की दुकान से हीरा लाल इन्टर कालेज लगभग १७५ मीटर की दूरी पर स्थित है, जो दुकान के पीछे दूसरी सड़क पर है। यह दुकान इसी स्थान पर कई वर्षो से चल रही है। अन्य उपयुक्त प्रबन्ध के अभाव में दुकान को अन्यत्र हटाना सम्भव नहीं हुआ है।

*६६—श्री मधुकर दिघे—

[१२वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या २६ पर स्थानान्तरित।]

प्रदेश में बिदेशी शराब की फुटकर दुकनों की नीलामी

*६७—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्णय के बावजूद भी वित्तीय वर्ष १९७४–७५ और १९७५–७६ में प्रदेश के अन्दर अंग्रेजी शराब की दुकानों की बोली द्वारा निलामी नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? राज्य की आर्थिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये क्या राज्य के राजस्व पर नीलामी न करने के कारण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है?

डाक्टर चरण सिंह—

विधिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण वित्तीय वर्ष १९७४–७५ तथा १९७५-७६ में विदेशी शराब की फुटकर दुकानों का नीलाम करना सम्भव नहीं हुआ।

नीलाम प्रणाली से राजस्व में कितना लाभ होता तथा आबकारी आय की अन्य मदों पर क्या प्रभाव पड़ता इसके बारे में अन्य राज्यों के अनुभव के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

*६८—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

[११वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४५ पर स्थानान्तरित।]

जनपद बहराइच के विकास खण्ड सिरसिया, हरिहरपुर रानी, इकौना एवं गिलौला में अनियमिततायें एवं गबन

*६९—श्री अंगने लाल (जिला हरदोई) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बहराइच के विकास खंड सिरसिया, हरिहरपुर रानी, इकौना एवं गिलौला में पिछले चार वर्षों में एवं चालू वर्ष में आडिट द्वारा एवं बी० डी० सी० मीटिंग द्वारा गम्भीर अनियमितता, गबन आदि के सम्बन्ध में आपत्तियां उठाई हैं? यदि हां, तो मुख्य आपत्तियां क्या थीं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं।

जनपद बहराइच के कथित विकास खंडों में गम्भीर अनियमितायें, गबन आदि के सम्बन्ध में कोई आपत्तियां नहीं हैं।

*७०—श्री भगौती प्रसाद—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध जांच

*७१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या कृषि मन्त्री प्रथम सत्र १९७५ के तीसरे मंगल के नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न संख्या ६८ के सन्दर्भ में बतायेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, हरदोई की जांच कराई गई उनमें मुख्य अपराध कौन से पकड़े में आये तथा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

१९७४ में प्राप्त शिकायती पत्र पर कराई गयी जांच स्वरूप कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

*७२--श्री मोहम्मद रफी खां--

[१०वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या २८ पर स्थानान्तरित।]

ग्राम जाफर खेड़ा, थाना कृष्णानगर, लखनऊ में सुअर का बधशाला

*७३--श्री रघुनाथ (जिला बलिया)--

क्या स्वायत शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थाना कृष्णानगर, लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम जाफर खेड़ा के मिठाई लाल के हाते में सुअर काटने का कोई लाइसेन्स दिया गया था जिसके विरुद्ध वहां की जनता एवं कल्पना हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी ने १९७४-७५ में शिकायतें नगर महापालिका, लखनऊ एवं शासन को दीं ? यदि हां, तो वहां की जनता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त लाइसेन्स रद्द करने के सम्बन्ध में अविलम्ब सरकार कदम उठायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल--

जी हां।

निरीक्षण के उपरान्त पाया गया कि वधशाला घनी आबादी से काफी दूर है तथा इससे जन-स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अतः लाइसेन्स रद्द करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती

सदर अस्पताल, शाहजहांपुर के प्राइवेट वार्ड से प्राप्त आमदनी में गबन

*७४--श्री मोहम्मद रफी खां--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह जानकारी हो सकती है कि शाहजहांपुर के सदर अस्पताल में दिनांक १ अप्रैल, १९७३ से दिनांक १५ मार्च, १९७५ तक प्राइवेट वार्ड के मरीजों से सैलाइन ट्रान्सफ्यूजन खून तथा ग्लूकोज चढ़ाने के चार्जेज लिये गये लेकिन नियमानुसार उनको राजकीय खजाने में जमा नहीं किया गया ? अगर कुछ का जमा भी किया गया, तो महीनों के बाद ? यदि हां, तो इस टेम्पोरेरी व परमानेन्ट गबन के लिये जिम्मेदार कौन है ?

श्री प्रभु नारायण--

शाहजहांपुर सदर अस्पताल में दिनांक १ अप्रैल, १९७३ से दिनांक १५ मार्च, १९७५ तक की अवधि में प्राइवेट वार्ड के मरीजों से सैलाइन ट्रान्सफ्यूजन, खून तथा ग्लूकोज चढ़ाने के लिये जो चार्जेज लिये गये उसकी रसीद काटी गयी और वसूल की गयी धनराशि को वसूली की तारीख को ही रोकड़ बही में दर्ज कर सरकारी

लेखे जोखे में ले लिया गया और सरकारी तिजोरी में रक्खा गया था। तदोपरान्त उसे राजकीय कोषागार में जमा किया गया।

अतः फीस के जमा के विलम्ब में स्थायी या अस्थायी गबन निहित नहीं है।

*७५—श्री ऊदल—

[१०वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

नगरपालिका सुल्तानपुर द्वारा ३५३, सिविल लाइन्स की नजूल की भूमि की दुबारा नीलामी

*७६—श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)—

क्या यह सत्य है कि नगरपालिका सुल्तानपुर ने ३५३, सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर में स्थित नजूल की भूमि को १९७३ में दो बार नीलाम किया और १९७४ में फिर उसी भूमि का नीलाम किया? यदि हां, तो उसी भूमि का तीन बार नीलाम करने का क्या कारण था और वह इस अवधि में किसके-किसके कब्जे में रिकार्ड में दिखाई गई? उसका अन्तिम मालिक किसको घोषित किया गया?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी हां।

प्रथम बार जब इस भूमि का नीलाम दिनांक १८ जुलाई, १९७३ को किया गया तब बोली बहुत कम आयी। दिनांक २५ जुलाई, १९७३ को दोबारा नीलाम करने पर १९५०.०० रुपया की अधिकतम बोली आयी। जिलाधिकारी ने इस बोली को स्वीकार किया और अध्यक्ष, नगरपालिका को लिखा कि बोली की धनराशि जमा करने के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र पर शासन को पट्टा दिये जाने का प्रस्ताव भेजें। इसी बीच एक दूसरे मामले के सम्बन्ध में उक्त भूमि से लगी हुई एक अन्य भूमि का मूल्यांकन कराने पर वहां तहसीलदार द्वारा भूमि का मूल्य १४.७० पैसे प्रति वर्ग फुट आंका गया। उक्त मूल्यांकन होने पर इस भूमि की १९५०.०० रुपया की बोली भी कम प्रतीत हुई। अतएव दिनांक ७ सितम्बर, १९७४ को इस भूमि को पुनः नीलाम कराया गया जिसमें कुल बोली २९,१०० रुपये की आयी। भूमि का पट्टा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शासन द्वारा ही लिया जा सकता है परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में शासन को विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्नगत नजूल भूमि पर अभी किसी को कब्जा नहीं दिया गया है। भूमि नगरपालिका, सुल्तानपुर के प्रबन्धाधीन है और उस पर शासन का स्वामित्व है।

गोरखपुर जनपद के विकास खंडों में पशु चिकित्सालय भवनों की कमी

*७७—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के किन-किन विकास खंड में पशु चिकित्सालय भवन बने हुये हैं परन्तु उनका उपयोग लगभग १० माह से नहीं हो रहा है जिसके कारण ये चिकित्सालय दूसरों के घरों पर चलने के कारण लगभग ८० हजार रुपये सरकार को किराये के रूप में प्रतिमाह देना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या इसमें ब्लाक ब्रह्मपुर भी हैं? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री नारायण सिंह—

जी हां। केवल विकास खंड उरवा के पशु चिकित्सालय भवन में कुछ कमियां पाये जाने के कारण उसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है और उसके भवन का किराया केवल २५ रुपये प्रति माह दिया जा रहा है।

जी नहीं।

ब्रह्मपुर पशु चिकित्सालय भवन का कब्जा विभाग द्वारा दिनांक १ जनवरी, १९७५ को ही लिया गया है।

प्रदेश के जिला परिषदों को अम्बेसडर कार क्रय करने की स्वीकृति

*७८—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की समस्त जिला परिषदों को अभी हाल में एक-एक अम्बेसेडर कार खरीदने की स्वीकृति दी है? यदि हां, तो स्वीकृति देने का आधार क्या है? जबकि पहले ही से परिषद् में जीपें उपलब्ध हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पक्की सड़कें बन जाने के कारण यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष जिला परिषद् यदि चाहे तो वह जीप कार के स्थान पर एम्बेसेडर कार इस प्रतिबन्ध के साथ खरीद सकते हैं कि जीप कार क्रय हुये कम से कम ४ वर्ष हो चुके हों तथा वह अनुपयोगी घोषित की जा चुकी है व जिला परिषद् के पास एक जीप गाड़ी भी है।

मदरसा टाउन एरिया, फैजाबाद में पेयजल योजना

*६९—श्री हुबराज (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मदरसा टाउन एरिया फैजाबाद में पेय जल की कमी को दूर करने हेतु कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगदीश शरण अग्रवाल—

जी नहीं। मदरसा टाउन एरिया कमेटी के नगर की पेयजल पोजना के हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

राजपत्रित संवर्ग, पशु-चिकित्सा सेवा को सेलेक्शन ग्रेड देना

*८०—श्री राजेन्द्र सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ अप्रैल, १९७४ से पशु-चिकित्सकों में से २३१ व्यक्तियों को सेलेक्शन ग्रेड (५००–१०००) देने का निश्चय किया गया था? यदि हां, तो वह ग्रेड पशु-चिकित्सकों को अभी तक क्यों नहीं दिया गया है?

श्री नारायण सिंह—

जी नहीं। अधीनस्थ पशु-चिकित्सा सेवा (राजपत्रित) संवर्ग, जिसमें पशु-चिकित्सक भी सम्मिलित हैं, के २३१ अधिकारियों को ५००–१००० रु० का सेलेक्शन ग्रेड दिनांक १ अप्रैल, १९७४ से देने का निर्णय लिया गया। तदनुसार इस वर्ग के १९२ अधिकारियों को दिनांक १ अप्रैल, १९७४ से सेलेक्शन ग्रेड प्रदान कर दिया गया है। शेष ३९ अधिकारियों को यह ग्रेड प्रदान करने का मामला विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न

उपनिदेशक (कृषि), लखनऊ मंडल के अधीनस्थ लेखाधिकारी द्वारा लिया गया यात्रा भत्ता

१—श्री मधुकर दिघे, श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) तथा श्री राम निहोर (जिला वाराणसी)—
क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक (कृषि) लखनऊ मण्डल के अधीनस्थ कार्यरत अराजपत्रित लेखाधिकारी ने अप्रैल, १९७४ से जनवरी, १९७५ तक प्रति माह कितना यात्रा भत्ता लिया है ? उपरोक्त अधिकारी की यात्राओं का सम्पूर्ण विवरण क्या था ? क्या मन्त्री इसकी जांच निदेशालय के किसी उच्च अधिकारी द्वारा करायेंगे। यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—
जी हां। सूचना सदन के पटल पर रखा दी गई है। जांच की आवश्यकता नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११६ पर।)

जनपद बांदा में त्वरित योजना के अन्तर्गत जौरहीं बतिन्दवारी वाया जारी, लिंक रोड पर व्यय

२—श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—
क्या सामुदायिक विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में त्वरित योजना के अन्तर्गत बनाई जा रही लिंक रोड जौरहीं बतिन्दवारी वाया जारी में कितना कार्य हुआ है। इसका कार्य कब पूरा होना था तथा अब तक इस कार्य के पूरा होने में क्या बाधा रही है तथा इसे कब तक पूरा करने का विचार है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—
उक्त सड़क पर अब तक किये गये निर्माण कार्य की सूचना संलग्न है। यह निर्माण कार्य दिसम्बर, १९७४ तक पूर्ण हो जाना चाहिये था किन्तु रोड रोलर की अनुपलब्धता, तकनीकी संसाधनों के अभाव, पानी की कठिनाई, निर्धारित दर पर मजदूरों का उपलब्ध न हो पाना आदि कारणों से पूर्ण न हो सका। इस सड़क के सितम्बर, १९७५ तक उपयोगिता स्तर तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११८ पर।)

भूमि संरक्षण विभाग का कृषि विभाग से पृथक कैडर बनाना

३—श्री राम लाल राही (जिला सीतापुर)—
क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण परिषद् की गत बैठक में यह सूचित किया गया था कि कृषि विभाग के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अनुभाग के पृथक करने सम्बन्धी निर्णय को लागू करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—
उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण परिषद् की गत चौदहवीं बैठक (२०-२-१९७३) में यह निर्णय किया गया था कि भूमि संरक्षण को कृषि विभाग का एक अनुभाग बनाया जायगा।

इस विषय में कृषि विभाग की सेवा नियमावली को पुनरीक्षित कर भूमि संरक्षण का एक पृथक कैडर बनाने के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचित एवं असिंचित कृषि योग्य भूमि का ब्योरा

४—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि योग्य भूमि सिंचित तथा असिंचित कितनी थी ? साथ ही साथ यह भी बतायेंगे कि सरकारी साधनों द्वारा कितनी भूमि की सिंचाई होती है और व्यक्तिगत साधनों से कितनी होती है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११९ पर।)

५—श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी—

[२५-२-७५ को तारांकित प्रश्न संख्या २८ पर उत्तरित।]

६—श्री राम रेखा यादव—

[९वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २० पर स्थानान्तरित।]

शोहरतगढ़, नौगढ़, बस्ती में महिला अस्पताल के भवन का निर्माण

७—श्री राम रेखा यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र नौगढ़, जिला बस्ती के शोहरतगढ़ बाजार में कोई महिला अस्पताल के भवन का निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो उसका कार्य कब से चालू है और कब तक तैयार होगा ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं। इस समय उक्त स्थान पर किसी महिला अस्पताल के भवन का निर्माण नहीं हो रहा है।

विकास क्षेत्र, बभनजोत, गोंडा के आडिट में विलम्ब

८—श्री दशरथ सिंह—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास क्षेत्र बभनजोत, जिला गोंडा के तकाबी के हिसाब-किताब का आडिट कब से नहीं हुआ ? तथा क्या उसका आडिट शीघ्र करा कर हिसाब ठीक कराने की व्यवस्था करेंगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

विकास क्षेत्र बभनजोत, जिला गोंडा के तकाबी के हिसाब-किताब का आडिट महालेखाकार के आंकक्षेण टोली द्वारा ३/७० की अवधि के पश्चात् का नहीं हुआ है।

जिला कृषि अधिकारी ने जिला स्तरीय एकाउन्ट्स पार्टी को निरीक्षण करने हेतु निर्देश दिया है।

मेडिकल आफिसर, पी० एच० सी०, लक्ष्मीपुर, गोरखपुर के वेतन का बकाया

९—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लक्ष्मीपुर के मेडिकल आफिसर इन्चार्ज को नवम्बर, ७३ से फरवरी, ७५ तक का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां।

लक्ष्मीपुर जिला परिषद् डिस्पेन्सरी, जिला गोरखपुर को दिनांक १ नवम्बर, १९७३ से शासकीय अधिकार में ले लिया गया है। उक्त डिस्पेंसरी के डाक्टर को शासकीय सेवा में दिनांक १ नवम्बर, १९७३ से लिये जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। उक्त आदेश के आधार पर उक्त डाक्टर को नवम्बर, १९७३ से वेतन प्राप्त होगा।

वर्ष १९७३–७४ में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, पडरौना, देवरिया द्वारा कृषि हेतु वितरित ऋण

१०—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि वित्तीय वर्ष १९७३–७४ में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा पडरौना (देवरिया) द्वारा कृषि हेतु कुल कितना ऋण वितरित किया गया तथा दिनांक १९-३-७४ तथा ३०–३–७४ को कितना ऋण वितरित किया गया ?

श्री नारायण सिंह—

वित्तीय वर्ष १९७३–७४ में उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा पडरौना (देवरिया) द्वारा कृषि कार्य हेतु कुल १३,३२,८०० रुपये का ऋण वितरित किया गया। दिनांक १९–३–७४ को मु० १०,९०० रुपये तथा दिनांक ३०–३–७४ को १,२७,५०० रुपये का ऋण वितरित किया गया।

साधन सहकारी समिति ढोरही जड़हां, विकासखंड बिसुनपुरा, देवरिया के सचिव के विरुद्ध जांच

११—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील में बिसुनपुरा विकास खंड के साधन सहकारी समिति ढोरही जड़हां के सदस्यों द्वारा उक्त साधन सहकारी समिति के सचिव द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध वर्ष १९७३, वर्ष १९७४ तथा १९७५ में कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुये तथा प्राप्त शिकायती पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह—

साधन सहकारी समिति ढोरही जड़हां के सदस्यों द्वारा उक्त समिति के सचिव के विरुद्ध वर्ष १९७३ तथा १९७४ में एक–एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था।

जांच कराने पर उक्त समिति के सचिव अनियमित रूप से ऋण वितरण कराने के दोषी पाए गए। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिये समिति के अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है।

हरदोई के बीज भंडार से सामान की चोरी

१२—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ३-८–७३ को हरदोई के बीज भंडार का ताला तोड़कर ७० हजार के सामानों का अपहरण किया था जो १३–१–७४ को बरामद हुआ ? यदि हां तो कौन–कौन कृषि अधिकारी इसमें सम्मिलित थे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जी नहीं, दिनांक ३–८–७३ को हरदोई बीज भंडार का ताला तोड़कर किसी सामान का अपहरण नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

रिट्रेन्च कर्मचारियों का आबकारी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति तथा उनका वेतन निर्धारण

१३—श्री मधुकर दिघे—

क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि वर्ष १९७० से १९७३ तक कितने रिट्रेंच्ड सरकारी कर्मचारी आबकारी निरीक्षक के पद पर कब कब चुने गये और क्या उन सभी का वेतन निर्धारित किया जा चुका है या नहीं ?

डाक्टर चरण सिंह—

विवरण निम्नलिखित है —

चयन वर्ष	नियुक्ति वर्ष	कर्मचारियों की संख्या
१९६८	.. १९७०	.. १०
१९६९	.. १९७१	.. ६
तदेव	.. १९७२	.. २
१९७०	.. १९७२	.. ५
तदेव	.. १९७३	.. १
१९७१	.. १९७३	.. ७
	योग	.. ३१

कुल ३१ कर्मचारियों में से २१ का वेतन निर्धारण किया जा चुका है। शेष १० के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

१४—श्री प्रभु दयाल—

[२ विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त ।]

इलाहाबाद में आर० एम० पी० योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

१५—श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद में कौन कौन सी सड़कें आर० एम० पी० योजना के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९७४ तक बन चुकी हैं तथा ऐसी कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनका निर्माण चल रहा है तथा निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ? १ अप्रैल, १९७४ से या उसके बाद से अब तक के मध्य उक्त योजना के अन्तर्गत किन किन सड़कों को बनाने का कार्य योजनाबद्ध किया गया है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जनपद इलाहाबाद में ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९७४ तक निम्नलिखित सड़कें बन चुकी हैं :—

१—बरौत-टेलाबास, २—चौकी-विधिया, ३—सिरसा-मदराघाट, ४—जंघई दुर्गागंज, ५—धानूपुर मिठौल, ६—बनौल-दुर्गागंज ७—सदावाद,-सिरसा, ८—मेजा-खीरी, ९-करछना-प्रतापपुर (विकास खंड चाका), १०-करछना-प्रतापपुर (विकास खंड जसरा) तथा ११—करछना-प्रतापपुर (विकास खंड शंकर गढ़), हंडिया-लक्षागृह मार्ग पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है जो अगस्त १, १९७५ तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। अप्रैल १, १९७४ तथा उसके बाद से अब तक के मध्य उक्त योजना के अन्तर्गत किसी भी

सड़क के बनाने का कार्य योजनाबद्ध नहीं किया गया है, क्योंकि प्रदेश में उपर्युक्त योजना चौथी पंचवर्षीय योजना काल तक ही स्वीकृत थी ।

पुरुष अस्पताल, आंवला, बरेली का उच्चीकरण

१६—श्री श्याम बिहारी सिंह (जिला बरेली)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आंवला के पुरुष चिकित्सालय को ए क्लास करने तथा चिकित्सा सुविधाओं के विकास करने के लिये कोई पत्र वर्ष १९७४ में मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा कब तक चिकित्सालय ए क्लास घोषित किया जायेगा ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां । ऐसा एक प्रस्ताव नगरपालिका बरेली द्वारा स्वास्थ्य सेवा निदेशक को वर्ष १९७४ में दिया गया था किन्तु अस्पतालों के उच्चीकरण की योजना के अभाव में उसका कार्यान्वयन नहीं किया जा सका ।

क्षेत्र १, बिजनौर एवं सेक्टर १, मुरादाबाद के आबकारी इन्स्पेक्टरों का स्थानान्तरण

१७—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी इन्सपेक्टर ने जनपद बिजनौर व आबकारी इन्सपेक्टर बंधित गोदाम मुरादाबाद ने कब-कब चार्ज लिया और किन विशेष कारणों से इन दोनों का स्थानान्तरण दिनांक १७-२-७५ को किया गया ?

डाक्टर चरण सिंह—

आबकारी इन्सपेक्टर श्री प्रभाकर मिश्र ने क्षेत्र-१ बिजनौर का चार्ज १-२-७५ (अपरान्ह) को, तथा श्री जगत सिंह आबकारी निरीक्षक ने सेक्टर-१ मुरादाबाद (बन्धित गोदाम) का चार्ज ८-२-७५ (पूर्वान्ह) को लिया था ।

दिनांक १७-२-७५ को श्री मिश्र को बंधित गोदाम मुरादाबाद तथा श्री सिंह को बिजनौर जनहित में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

ब्लाक प्रमुख, लारून, फैजाबाद के विरुद्ध आरोपों की जांच

१८—श्री सीताराम निषाद (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फैजाबाद जनपद के अन्तर्गत ब्लाक प्रमुख लारून के खिलाफ आरोपों की जांच विकास आयुक्त फैजाबाद, ने १९७५ में किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ब्लाक प्रमुख लारून के विरुद्ध ग्राम सभा घमहर के प्रधान का एक आवेदन पत्र आयुक्त फैजाबाद मण्डल को क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की धारा १६ (१) के अन्तर्गत जनवरी, १९७५ में प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने उप विकास आयुक्त, फैजाबाद को जांच के लिये भेजा । ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच अभी उप विकास आयुक्त द्वारा पूरी नहीं की गई है ।

फुटकर विदेशी शराब की दुकनों में वृद्धि

१९—श्री त्रिवेणी सहाय, श्री दशरथ सिंह तथा श्री रामपति (जिला गोंडा)—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने सम्पूर्ण प्रदेश में विदेशी शराब की दुकानें खोले जाने के आदेश गत माह में किये हैं ? यदि हां, तो इस आदेश के तहत प्रदेश में कितनी दुकानें खोली जा रही हैं ? उनकी संख्या का जिलेवार विवरण क्या है ? इन दुकानों के आबंटन का क्या आधार निश्चित किया गया है ?

डाक्टर चरण सिंह---

कदाचित इस प्रश्न का अभिप्राय फुटकर विदेशी शराब की दुकानों से है। माह फरवरी अथवा मार्च, १९७५ में ऐसी कोई नई दुकान खोले जाने का प्रदेश सरकार ने आदेश नहीं दिए हैं। अतः शेष प्रश्न नहीं उठते ।

जिला अस्पताल, अलीगढ़ में अम्बुलेन्स की असुविधा

२०---श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)---

क्या चिकित्सा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिला अस्पताल में कुल ऐसी अम्बुलेन्स गाड़ियां कितनी हैं जो कि गत जनवरी, १९७४ से अब तक बेकार पड़ी हैं? यदि हां, तो इन्हें ठीक कराने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री प्रभु नारायण---

जिला अस्पताल अलीगढ़ में स्वीकृत एक चिकित्सा अम्बुलेन्स है, जो अगस्त १९७३ से खराब है और वह इस योग्य नहीं है कि उसकी मरम्मत करायी जा सके। इस कारण इसे निष्प्रयोज्य कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

मरीजों की सुविधा हेतु अन्य कार्यक्रम की एक वाहन उक्त अस्पताल में अम्बुलेन्स के रूप में प्रयोग की जा रही है।

कतिपय विषय

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

(* * *) (मंत्री जी को बुलाने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

यह इस सचिवालय से सम्बन्धित मामला है। आपको नियमों का पालन करना चाहिये। कृपा करके आप बैठें। मैंने माननीय उद्योग मंत्री जी को बुला लिया है। जब समय आये तब आप इसे उठाने की कृपा करें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क---

(* * *)

(इस समय १२ बजकर १ मिनट पर अध्यक्ष श्री वासुदेव सिंह पीठासीन हुए।)

(* * *)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

(* * *)

श्री अध्यक्ष---

यह नहीं लिखा जायगा।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ, किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड तथा दि इंडियन टरपेन्टाइन ऐंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टें†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मान्यवर, आपकी आज्ञा से :

(क) उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की ३० सितम्बर, १९७२ तथा ३० सितम्बर, १९७३ को समाप्त होने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्ट के संपरीक्षक के विवरण सहित :

(* * *) श्री अध्यक्ष तथा श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

†छापी नहीं गयी ।

(ख) किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड की ३० सितम्बर, १९७२ तथा ३० सितम्बर, १९७३ को समाप्त होने वाली अवधि की वार्षिक रिपोर्ट को, संपरीक्षक के विवरण सहित; तथा—

(ग) दि इंडियन टरपेन्टाइन ऐंड रोजिन कम्पनी लिमिटेड की पचासवी वार्षिक रिपोर्ट (१९७३–७४) को, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित :

को, कम्पनी ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१९-ए की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, यह आप क्या कह देंते हैं कि यह नहीं लिखा जायगा, वह नहीं लिखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

आज असरकारी दिवस है ।

संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ द्वारा भारत के संविधान में किए जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों को जो संविधान के अनुच्छेद ३६८ के खंड (२) के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के सम्बन्ध में राज्य सभा सचिवालय से विधान सभा सचिवालय को प्राप्त पत्र तथा उक्त विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १८२(१) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

२९ अप्रैल, १९७५ के कार्य–क्रम के सम्बन्ध में जो कार्य–मंत्रणा समिति ने फैसला किया है और जो आइटम १० पर है, मैं पढ़े देता हूं। यह इस प्रकार है :—

"विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक २८ अप्रैल, १९७५ की सायंकाल ७ बजे की बैठक में विधान सभा के २९ अप्रैल, १९७५ को होने वाले उपवेशन में निम्नलिखित कार्य लिए जाने की सिफारिश की है :

(१) प्रश्नोत्तर के बाद सिक्किम सम्बन्धी संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थन के संकल्प पर विचार एवं उसका पारण,

(२) श्री मलखान सिंह आदि के प्रस्ताव पर विचार,

(३) असरकारी सदस्यों के संकल्प (अपराह्न २ बजे से ५ बजे तक),

(४) अपराह्न ५ बजे से ७ बजे सायं तक उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७५, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य–मंत्रणा समिति की संस्तुति को स्वीकार किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य–मंत्रणा समिति की संस्तुति को स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १८२(१) में अपेक्षित वाद विवाद की प्रातिलिपि के प्राविधान को निलंबित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय मंत्री का नियम १८२(१) में अपेक्षित वाद-विवाद की प्रतिलपि के प्राविधान को निलंबित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ जो सिक्किम को संघ में राज्य बनाने के लिये है और जिसका संक्षिप्त नाम परिवर्तित करके संविधान (छतीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५ कर दिया गया है, द्वारा "भारत का संविधान" में किए जाने के लिए प्रस्तावित उन संशोधनों का, जो उसके अनुच्छेद ३६८ के खंड (२) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।" श्रीमन्, यह अपने माने में एक बड़े महत्व का प्रस्ताव है कि हमारे देश के २२ वें राज्य के रूप में सिक्किम का अभ्युदय हो रहा है। यह सभी सम्मानित सदस्य जनाते हैं कि सिक्किम की जनता की मनोभावनाओं के अनुकूल यह निर्णय हुआ है। सिक्किम की जनता ने वहां आम प्लबिसाइट के माध्यम से जो निर्णय किया जो वहां के मंत्रि-परिषद् ने, वहां की जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों ने जो निर्णय किया और केन्द्र से जो आग्रह किया और पालियामेंट में उस सम्बन्ध में जो निर्णय किया उसी का यह अनुसमर्थन है। मुझे विश्वास है कि यह सदन सर्वसम्मति से इसको स्वीकार करेगा और इस प्रकार सिक्किम की महान जनता को जो स्वयं इस देश की महान् जनता के अविभाज्य अंग के रूप में इस देश की जनता के साथ कदम ब कदम मिला कर आगे बढ़ने का निश्चय किया है उसका मौका देगा ।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी की ओर से जो प्रस्ताव पेश हुआ है सिक्किम के सिलसिले में कि सिक्किम अब हमारे देश का अंग होने जा रहा है मैं इसका स्वागत करता हूं। दरअसल जब अंग्रेज गये थे तभी बहुत से मसले हल हो जाने चाहिये थे लेकिन हमारे लीडरान इसको बुरा न मानें बहुगुणा जी, तिवारीजी क्योंकि इनसे ज्यादा मैं भी उनको लीडर मानता था सारी उम्र उस वक्त एक दूसरी दुनियां में रहते थे वास्तविकता से दूर। अब समय पा कर धीरे-धीरे भूल सुधार की। बाज ऐसी गलतियां इस सिलसिले में हो गयी हैं जो शायद सैकड़ों वर्षों तक हल न हो सकेंगी और देश उसके नतीजे भुगतेगा। खैर, अब जो प्रस्ताव यहां पेश किया गया है मैं उसक समर्थन करता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

जो माननीय तिवारीजी ने प्रस्ताव पेश किया है सिक्किम के बारे में अनुसमर्थन के लिये उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह तो सिक्किम के लोगों की भावनाओं के अनुकूल है। सही में हमारे माननीय चौधरी साहब ने जो विचार व्यक्त किये वह कांग्रेस से हटने के बाद ही व्यक्त कर सकते थे। हमने उनकी भावनाओं का बहुत जगह आदर किया है अधिकांश में आदर करता हूं। यह ज्ञान जिसको पहले से आये स्वाभाविक था कि वह वहां से हट जाये। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अनुसमर्थन करता हूं उस प्रस्ताव का जो हमारे तिवारी जी ने सिक्किम के सम्बन्ध में रखा है ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है मैं और मेरा दल इसका हृदय से स्वागत करते हैं। मान्यवर, मैं स्वयं एक ऐसे इलाके से हूं जहां एक देशी राज्य था और हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इन राजा, रजवाड़ों को रियासतों में जनता का शोषण हुआ। हमारे यहां भी जनता ने उठ कर उस शासन को खत्म किया। इसी प्रकार सिक्किम की जनता ने क्रान्तिकारी आन्दोलन को चलाकर मोनर्की को खत्म कर हमारा जो विशाल देश है उसके जनतन्त्र के साथ अपने को जोड़ दिया। इसीलिये हमलोग खुले दिल से इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)---

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो प्रस्ताव सिक्किम के सम्बन्ध में इस सदन में पेश किया है मैं और मेरे साथी, सभी उसका हृदय से स्वागत भी करते हैं और उसका अनुसमर्थन भी करते हैं। यह बात सही है, जैसा कि हमारे नेता विरोधी दल ने फरमाया कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिये था वह अब हुआ। फिर भी देर आयद दुरुस्त आयद।

चौधरी राम पाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय तिवारी जी ने सिक्किम के बारे में जो प्रस्ताव रखा है उसका हमारा दल और मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भारत सरकार ने वाकई में अपनी जगह पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। हमारा दल इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता है। माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात अब कही है उसको अगर १०-१५ वर्ष पहले कहा होता तो सिक्किम की जनता का और भला होता।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फजाबाद)---

मैं तिवारी जी के प्रस्ताव का आदर तो जरूर करता हूं, लेकिन मुझे अपने दल की नीतियों के आधार पर यह कहना है कि हमें भारतवर्ष के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनका भी आदर करना चाहिये। इस आधार पर सिक्किम को अपने में मिलाने का मतलब तो ठीक हो सकता है लेकिन आज जो स्थिति है . . . . . (व्यवधान) जो आदर हिन्दुस्तान की जनता का हिन्दुस्तान में हो रहा है . . . . . (व्यवधान) सिक्किम की जनता को जिस प्रकार आपने अपने में मिलाया है . . . . . (व्यवधान) मैं अवश्य कहूंगा, हम तो दलीय लाइन पर कहेंगे . . . . . (व्यवधान) आपने उसको अधिग्रहण किया है, न कि उसको अपने में मिलाया है। इन शब्दों के साथ इसका आदर करते हुये भी मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

(इस समय व्यवधान के बीच माननीय भगवती प्रसाद उत्तेजित स्वर में जो कुछ कह रहे थे वह स्पष्ट सुनायी नहीं पड़ रहा था।)

एक आवाज---

यह चीनी है।

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)---

हम चीनी नहीं हैं, चीनी आप में हैं . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य कृपया बैठें।

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)---

हमें आपको सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष---

आप तो बोल चुके हैं। अब आप उत्तेजित न हों। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)—

चीनी बात पर मैं जरूर कहूंगा . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं चाहता कि आपको निकाल कर वोट लूं। आप मान नहीं रहे हैं। उत्तेजना में नहीं आना चाहिये। (व्यवधान) उनको भी सारी बात कहने का मौका हो ताकि जनता में जाय कि उन्होंने क्या कहा है। आप लोग कृपया शांत रहें।

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)—

मेरा व्यवस्था का सवाल है। मैं इतना जरूर कहना चाहता कि जब चीनी बात कही गयी है तो पूरे सदन को मालूम होना चाहिये कि मैं माऊत्से तुंग का चीनी दलाल नहीं हूं मैं चीन का दलाल नहीं हूं। चीन के दलाल तो वे हैं जिन्होंने बंगाल में ६२९ आदमियों का कत्ल किया है। न मैं रूस का ही दलाल हूं। मैं तो हिन्दुस्तान की मार्क्समिस्ट कम्युनिष्ट पार्टी का सदस्य हूं। यह सारी स्थिति है जो मैं सत्तारुढ़ दल के लोगों को बतला देना चाहता हूं।

* **मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)**—

अध्यक्ष जी, एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस सदन में पास करने के इरादे से रखा गया है जो हमारे संविधान के स्वर्णिय इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ेगा जिसको आने वाली पीढ़ी हमेशा बड़े आदर के साथ देखेगी। मैं सिर्फ दो तीन बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि एक माननीय सदस्य ने कुछ ऐसा भाव प्रकट किया कि हमने अधिग्रहण किया है इस इलाके का। मैं इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी में यह इजाफा करने की हैसियत नहीं रखता हूं लेकिन हमारा इतना निवेदन है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट, १९३५ के मुताबिक सिक्किम ठीक उसी तरह से चेम्बर आफ प्रिंसेज का मेम्बर था जैसे जयपुर, बीकानेर, हैदराबाद, रामपुर और बनारस आदि भारत के कई राज्य जिन्होंने ब्रिटिश पारामाउन्टसी को स्वीकार किया था और उसके अंग थे, चेम्बर आफ प्रिंसेज के सदस्य भी थे। उसी तरह से सिक्किम के चोग्याल भी इसमें शामिल थे। इनकी भी सलामी थी अंग्रेजों के जमाने में जैसे टेहरी के लिये था कि कितने बन्दूकों की सलामी होगी। जयपुर, जोधपुर या निजाम हैदराबाद के लिये कितने बन्दूकों की सलामी होगी, उसी तरह से चोग्याल के लिये भी सलामी तय थी। फिर मेरे कहने का एकमात्र अर्थ यह है कि भारत के नक्शे में उस राजनैतिक चित्र में जो राजनीतिक चित्र अंग्रेजों का राज्य भारत में स्थापित होने के साथ-साथ बना, उसमें सिक्किम स्वयं भारत का एक अविभाज्य अंग बन गया था और यह भी सच है कि ब्रिटिश पारामाउन्टसी के लैप्स होने पर इंडियन इन्डिपेंडेंस ऐक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था उसमें राजाओं को और जनता को अधिकार था कि वे अपने को भारत से अलग रखें या भारत के साथ मिल जायं।

इंडियन इंडिपेंडेंस ऐक्ट चूंकि एक हिस्सा है और उसमें हिस्सा लिया हमारे देश के महान नेता सरदार बल्लभ भाई पटेल ने, सरदार पटेल के नेतृत्व में, पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में देशी राजे, रजवाड़ों ने स्वयं को भारत के साथ मिला लिया। देश के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों में यह कहानी लिखी जायेगी। ब्रिटिश पारामाउंटसी के लैप्स होने के बाद एक चोग्यास ही नहीं थे, बल्कि मुल्क के जितने भी राजा थे, वे किसी के दवाब से नहीं बल्कि स्वयं उन राजाओं के मन की भावना थी कि उनको भारत का अविभाज्य अंग बनना चाहिये। और उसका बनना उन्होंने स्वीकार किया। सिक्किम को उस स्थिति में लाने में समय लगा। इसलिये यह कहना कि उस वक्त के नेताओं ने कोई भूल की थी, ऐसा नहीं है, या तो भारत के अधिकारियों के मन का यह सबूत है कि हमने इतनें दिनों तक इन्तजार किया और जब सिक्किम की महान जनता ने ठीक उसी तरह से फैसला किया जैसे निजाम हैदराबाद की जनता ने फैसला सन् ४८ में किया था और सिक्कम की जनता ने सन् ७५ में यह फैसला लिया। सिर्फ सन् का फर्क है। जब वहां की महान जनता ने निर्णय लिया और कहा कि चोग्याल नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते हैं कि भारत की पार्लियामेंट के साथ हम शिरकत करें जब कि हम भारत का अविभाज्य अंग बनना चाहते हैं। यह तो जो हमारे देश के शत्रु हैं वे कहा करते हैं कि हमने उसको मिला लिया। हमने नहीं मिलाया, वहां की महान जनता ने भारत के राजनैतिक जीवन की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला लिया जिसका यह सदन स्वागत करता है, जिसका भारत की जनता स्वागत करती है। इन शब्दों के साथ में माननीय सदन को बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं इस दिन के लिये और सारे प्रदेश की जनता की तरफ से अगर आपकी आज्ञा हो मै माननीय सदन की तरफ से सिक्कम की महान जनता को भारत की मुख्य जीवन धारा में शामिल होने पर उसका हृदय से स्वागत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि "यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (अड़तीसवां संशोधन) विधेयक, १९७५ जो सिक्किम को संघ में राज्य बनाने के लिये है और जिसका संक्षिप्त नाम परिवर्तित करके संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, १९७५ कर दिया गया है द्वारा "भारत का संविधान" में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों का जो उसके अनुच्छेद ३६८ के खंड (२) के परन्तुक के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष जी, किसी ने नहीं कहा है, इसलिये इसको सर्वसम्मति से पास होता है ऐसा माना जाय।

(कई सदस्यों ने एक स्वर से कहा जी हां, सर्वसम्मति से स्वीकृत माना जाय।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

अध्यक्ष जी, इतिहास को झुठलाने से कोई फायदा नहीं है। इतिहास को साक्षी रहने दिया जाय कि किसने यहां पर क्या कहा ?

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)--

मैं जो कहना चाहता था उसको अध्यक्ष महोदय ने कहने नहीं दिया।

सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को सूचित करता हूं कि सर्वश्री तेजसिंह, रामेश्वर नाथ चौबे, श्याम बिहारी सिंह तथा श्री मसूद खां, सदस्य, विधान सभा की गिरफ्तारी तथा जेल भेजे जाने की सूचना सदन को २८-४-७५ को दी गयी थी। जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ ने अपने दिनांक २८-४-७५ के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि इन माननीय सदस्यों को २८-४-७५ को जेल से रिहा कर दिया गया है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सचित करना चाहता हूं कि सर्वश्री प्यारे लाल, कमला प्रसाद वर्मा, सत्यवीर सिंह यादव, कल्लू सिंह, चन्द्र शेखर सिंह की गिरफ्तारी तथा जेल भेजे जाने की सूचना सदन को क्रमशः दिनांक १४, १४, १८, २२ तथा २३ अप्रैल, १९७५ को दी गयी थी। जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ ने अपने दिनांक २८-४-७५ के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि इन माननीय सदस्यों को २८-४-७५ को जेल से रिहा कर दिया गया है।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष--

अभी एक और है। मैं माननीय सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, लखनऊ ने दिनांक २८-४-७५ को यह सूचना दी थी कि श्री जंगबहादुर सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा को दिनांक २८-४-७५ को दिन के ११.४५

[श्री अध्यक्ष]

बजे और सर्व श्री अवधेश कुमार, मोहनलाल कपूर, बाबूलाल वर्मा, सत्य प्रकाश अग्रवाल, शफीकुर्रहमान, सुल्तान सिंह, मुलतान सिंह, पुरुषोत्तम कौशिक, धीरेन्द्र सहाय, शिवपाल सिंह, श्रीमती गायत्री देवी, बैजनाथ कुशवाहा, सुन्दर लाल कुरील, राघवेन्द्र सिंह, राम प्रकाश यादव तथा बलवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा को दिनांक २८-४-७५ को अपराह्न ३.१५ बजे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १५१/१०७/११६ के अन्तर्गत बन्दी कर लिया गया है और उन्हें जिला जेल, लखनऊ में रखा गया है। इन माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट ने यह भी सूचित किया है कि ये सब माननीय सदस्य २८-४-७५ को ही रिहा कर दिये गये हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में यह सूचना देना चाहता हूं कि शासन ने निर्णय लिया है कि जो सत्याग्रह इन दिनों चला था उसके सम्बन्ध में जितने भी लोग पकड़े गये हैं, चाहे वे जिस धारा में हों, और बहुत साधारण धारायें हैं उन सब को जहां मुकदमा वापस लेना हो वहां मुकदमा वापस ले कर भी सब को छोड़ दिया जायगा।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

मुझे निवेदन करना था कि कल तीन या चार जत्थे सत्याग्रहियों के पकड़े गये थे, उनमें विधायकों के अतिरिक्त छात्र भी थे और उनको भी पकड़ कर बन्द कर दिया गया था। खैर, हम लोगों को तो आखिर में छोड़ दिया गया लेकिन उनको पकड़ कर के रखा है तो क्या उनको भी छोड़ देंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सबको। मैंने यह कहा है कि विद्यार्थी ही नहीं जो भी व्यक्ति १४ तारीख से २८ तारीख तक पकड़े गये हैं सत्याग्रह के सिलसिले में उन सबको छोड़ दिया जायगा।

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन सभी लोगों को गलत धाराओं में बन्द किया गया है..... (व्यवधान)

आश्वासन समिति का ४१ वां प्रतिवेदन

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष जी, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से, समिति का ४१ वां प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रतिवेदन में उन ३११ आश्वासनों की स्थिति अंकित की गयी है जो वर्ष १९७३ की अवधि में सदन में शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये थे। इन आश्वासनों पर वर्तमान समिति ने अपनी ५ सितम्बर, १९७४ से १२ फरवरी, १९७५ के बीच हुई बठकों में विचार किया था। शासन द्वारा इन आश्वासनों की पूर्ति की दिशा में की गई कार्यवाही का विश्लेषण करने तथा विभागीय सचिवों का साक्ष्य लेने के उपरान्त समिति ने २७३ आश्वासनों को पूर्ण माना अथवा शासन द्वारा की गयी कार्यवाही को संतोषजनक मानकर उन्हें जारी न रखने का निश्चय किया। शेष ३८ आश्वासन अपूर्ण माने गये। समिति इन आश्वासनों से संबंधित विभागों से यह अपेक्षा करती है कि वह इनकी पूर्ति यथा सम्भव शीघ्र करने का प्रयास करेंगे। समिति की बैठकों की कार्यवाहियों का संक्षिप्त कार्य-विवरण पृष्ठ १८२ से ११२ पर उल्लिखित है।

सदन में समय-समय पर जो आश्वासन दिये जाते हैं, उनकी सूचना शासन को देते समय यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि आश्वासन की पूर्ति समिति द्वारा निर्धारित तीन माह की अवधि में हो जानी चाहिये। यदि इस अवधि में आश्वासन की पूर्ति न हो सके तो समिति को उन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारणों से अवगत कराया जाय, जिनके कारण आश्वासन की पूर्ति निर्धारित समय में नहीं हो सकी तथा उसके कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है। स्पष्ट निर्देश तथा समिति के पूर्व प्रतिवेदनों में अनेक बार शासन का ध्यान आकर्षित करने के उपरान्त भी ३८ आश्वासनों की पूर्ति २ वर्षों में भी न हो पाना इस बात का द्योतक है कि संबंधित विभाग इस ओर कितने उदासीन हैं। उदाहरण के लिये निम्नलिखित आश्वासन उल्लेखनीय है :—

(१) विधान सभा में दिनांक २७ अप्रैल, १९७३ को शासन की ओर से आ० सं० २९०/७३ सदन को आश्वासन दिया गया था कि जिला बुलन्दशहर में सिकन्दराबाद कस्बे के पास एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। इस प्रयोजन हेतु लगभग ८८९ एकड़ भूमि अर्जित की गई है और यह कहा गया था कि आगामी दो मास में अर्जित भूमि का मुआवजा बाजार दर पर दे दिया जायेगा। जब आश्वासन की संतोषजनक प्रगति न हो पाई तब आश्वासन समिति ने १ फरवरी, १९७५ को संबंधित विभाग के सचिव को समिति के समक्ष साक्ष्य हेतु बुलाया था। अपने साक्ष्य में सचिव ने समिति को बताया कि शासन मुआवजा देने के लिये तैयार है किन्तु उसका भुगतान जिलाधिकारी करता है। जहां तक उनके विभाग से संबंध है वे तुरन्त रुपया दे देंगे और यह भी आश्वासन उन्होंने दिया है कि वे उसे जल्दी से जल्दी पूर्ण करवाने की कोशिश भी करेंगे। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा भूमि का मुआवजा देने के संबंध में भूमि अर्जन (उत्तर प्रदेश संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९७४ पारित किया जा चुका है और अधिनियम बन चुका है। इस अधिनियम की धारा ४ में व्यवस्था है कि यदि कलेक्टर की राय में धारा ११ के अधीन अधिनिर्णय देने में विलम्ब होने की सम्भावना हो और भूमि पर धारा १७ के अधीन कब्जा ले लिया गया है तो कलेक्टर, हितबद्ध व्यक्ति को प्रतिकर के रूप में अवधारित अथवा अवधारित की जा सकने वाली धनराशि के दो तिहाई तक का "लेखामद्दे" भुगतान कब्जा लेने के अधिक से अधिक ६ मास में अवश्य करेगा। समिति को खेद है कि अधिकारियों ने इस कानून की भी उपेक्षा की। खेद का विषय है इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी आश्वासन अभी अपूर्ण पड़ा हुआ है और प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा नहीं मिला है।

(२) इसी प्रकार २२-१-७३ को मगदागंज कृषि केन्द्र, रायबरेली पर कृषि विभाग के सुपरवाइजर द्वारा कृषकों को गेहूं न देकर काले बाजार में बेचने के संबंध में कृषि मन्त्री ने आश्वासन (सं० ४३/७३) देते हुये कहा था कि यह आदेश दिया गया है कि कृषि निदेशालय मुख्यालय पर से संयुक्त निदेशक स्वयं मौके पर जाकर पूरी जांच करें और अविलम्ब रिपोर्ट दें। अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार कर्मचारी को दंड दिया जायेगा। इस संबंध में शासन द्वारा कोई सूचना न देने पर समिति के कार्यालय द्वारा ८-६-७३, ८-८-७३, २६-९-७३ तथा १६-४-७४ को स्मरण-पत्र भेजने पर ८ जनवरी, १९७४ को एक अंतरिम उत्तर प्राप्त हुआ। अन्त में समिति को विवश होकर १२ फरवरी, १९७५ को संबंधित विभाग के सचिव को साक्ष्य हेतु समिति के समक्ष बुलाना पड़ा। उनके साक्ष्य से ज्ञात हुआ कि जांच अभी भी चल रही है। समिति को खेद है कि जो जांच तीन महीने में पूरी करके संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दंड दिया जा सकता था, उसमें दो वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर भी कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हो सकी। संयुक्त निदेशक, श्री हर्ष देव नैथानी कीजांच पद्धति से भी समिति को असंतोष है। समिति को ज्ञात हुआ कि श्री नैथानी जब जांच करने गये तब गौरा या अन्य केन्द्रों पर कोई गवाही नहीं ली और शीघ्र चले आये। इस प्रकार श्री नैथानी ने अपने कर्त्तव्यों का सही रूप से निर्वहन नहीं किया।

(३) चमोली जिले के राजकीय आधारित विद्यालयों को भवन निर्माण हेतु धन देने के संबंध में २०-५-७३ को श्री शेर सिंह दानू के अतारांकित प्रश्न सं० ९ के उत्तर में सक्रिय रूप से विचार करने का आश्वासन (सं० ३१९/७३) दिया गया था। शासन ने अपने ८-११-७४ के पत्र में सूचित किया कि इस समय २०० स्कूल भवनहीन हैं। बीस हजार रुपये प्रति स्कूल की लागत भी रखी जाय तो नवनिर्माण पर ही चालीस लाख रुपये व्यय अनुमानित है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

इनमें जूनियर हाई स्कूल भी हैं पर्वतीय क्षेत्र में जिनकी लागत प्रति विद्यालय डेढ़ से दो लाख रुपया तक बैठती हैं। अतः नये भवनों पर ही ४० लाख से भी कहीं व्यय अधिक होगा। अत्यन्त जीर्ण भवनों की विशेष मरम्मत तथा ६९२ भवनों की मरम्मत पर भी बड़ी धनराशि व्यय होगी। इनके अलावा पांच अन्य पर्वतीय जिले भी हैं, जिनके स्कूलों की विशेष मरम्मत व निर्माण भी शासन को कराना है। अतः इन पर एक बहुत बड़ी रकम चाहिये। विभाग के मतानुसार इस आश्वासन को पूर्ति तुरन्त अथवा किसी निर्धारित अवधि में कर पाना सम्भव नहीं है। अतः इस आश्वासन को निरस्त करने की समिति से अनुरोध किया गया है। समिति शासन के इस उत्तर को दुर्भाग्यपूर्ण समझती है। देहाती क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में जहां सरकार इतनी धनराशि व्यय करती है और यह भी कहती हैं कि विकास के संबंध में शिक्षा अत्यन्त आवश्यक ह वहीं शिक्षा के निमित्त शिक्षा भवनों के निर्माण कार्य की ओर दुर्लक्ष्य अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। शासन के उत्तर से स्पष्ट है कि सरकार ने इन भवनों को एक निश्चित अवधि के अन्दर निर्माण करने का विचार छोड़ दिया है। शासन के लिये यह उचित है कि इस पिछड़े हुये क्षेत्र में शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु जितना सम्भव हो सके अनुदान दें और भवन निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न करायें। इस बात को देखते हुये कि शासन ने इस आश्वासन को समाप्त करने की सलाह दी है और भवन निर्माण करने में अपनी पूर्ण असमर्थता व्यक्त की है,—समिति ने इससे अपनी असहमति प्रकट करते हुये यह निश्चय किया कि इस आश्वासन को अब जारी न रखा जाय। इस विषय पर समिति सदन का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करती है।

उपरिलिखित अवधि के आश्वासनों पर विचार करते समय समिति के समक्ष कुछ ऐसे आश्वासन भी आये हैं जिनकी पूर्ति की दिशा मेंशासन द्वारा प्रदान की गयी सूचना का आश्वासन से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। आश्वासन का विषय कुछ तथा सूचना कुछ और ही दीगयी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित विभाग या तो असावधानी से बगैर समझे बूझे सूचना भेज देते हैं अथवा जानबूझ कर समिति को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिये १० फरवरी, १९७३ को डी० एच० एल० के खरीदी गयी मशीनों के संबंध में आश्वासन (सं० १/७३) दिया गया था कि जो सामान बिजली का इनसे खरीदा गया वह ठीक नहीं निकला और मशीनों के खराब होने की भी शिकायत मिली है जिसके बारे में जांच हो रही है।

१३ अप्रैल, १९७४ को विद्युत– १ विभाग ने सूचित किया है कि हरदुआगंज को ५५ मेगावाट की जो नई मशीन बन्द हो गई थी उसे ४ फरवरी, १९७३ को पुनः चालू कर दिया गया था। इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा जांच भी की गई थी और मशीन की खराबी के लिये किसी कर्मचारी या अधिकारी को उत्तर-दायी नहीं पाया गया।

उपरोक्त आश्वासन खराब मशीनों की खरीदारी की जांच कराने का था न कि खराब हुई मशीनों कोपुनः चालू करने का। प्रश्न यहहै कि क्या खराब मशीनें क्रय की गई थीं यदि हां, तो उनको एप्रूव किसने किया? उनके डिसटिनेशन पर आ जाने के बाद उन्हें किसने चेक करके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया आदि के सम्बन्ध में सूचना न देकर यह कह दिया गया कि मशीनों के खराब होने में किसी को उत्तरदायी नहीं पाया गया। समिति को खेद है कि इस प्रकार की भ्रमोत्पादक सूचना समिति को प्रदान की गई।

अन्त में समिति सचिवालय के उन विभागों के प्रति आभार प्रकट करती है, जिन्होंने आश्वासन की पूर्ति की दिशा में समय समय पर सूचना देकर समिति को अपना सहयोग प्रदान किया। समिति उनसे भी विभागीय सचिवों को भी धन्यवाद देती है जिन्होंने समिति के समक्ष

उपस्थित होकर उसे अपने विभागों से सम्बन्धित अपूर्ण आश्वासनों के बारे में वस्तु स्थिति से अवगत कराया और प्रतिवेदन को तैयार करने में सहायता प्रदान की।

इस प्रतिवेदन को समाप्त करने के पूर्व में इस समिति से सम्बन्धित सभी अधिकारियों एवम् कर्मचारियों को उनके सहयोग तथा परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

कभी इन प्रतिवेदनों पर भी चर्चा होगी ?

श्री अध्यक्ष—

जब आप मागेंगे तब न।

गोरखपुर स्थित घुघली उपनगर के पास छोटी गंडक नदी पर ढोढीला (बैकुन्ठी घाट) पर पुल न बनने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के संबंध में याचिका

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से गोरखपुर स्थित घुघली उपनगर के पास छोटी गण्डक नदी पर ढोढीला (बैकुन्ठी घाट) पर पुल न बनने के कारण उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में श्री गिरजापति त्रिपाठी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

लोक आयुक्त विधेयक के मई मास में कानून बन जाने की घोषणा के सम्बध में मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में कई सूचना प्राप्त हुई हैं। माननीय श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, माननीय श्री बाबू लाल वर्मा तथा माननीय श्रीराम चरन शाह ने दिनांक २८-४-७५ को यह सूचना दी थी कि माननीय मुख्य मंत्री ने २२ अप्रैल, १९७५ को सदन में यह घोषणा की थी कि लोक आयुक्त विधेयक मई महीने में कानून बन जायेगा। किन्तु सदन २८ अप्रैल, १९७५ को अनिश्चित काल के लिये स्थगित होने तथा सत्रावसित होने की दशा में माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा पूरी नहीं हो पायेगी और लोक आयुक्त विधेयक कानून का रूप नहीं ले पायेगा। माननीय सूचना देने वाले सदस्यों का कहना है कि उक्त विधेयक के सम्बन्ध में सदन में एक याचिका भी प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें यह प्रार्थना की गयी थी कि मुख्य मंत्री को इस विधेयक की परिधि के बाहर न रखा जाये अन्यथा यह विधेयक व्यर्थ हो जायेगा। किन्तु सूचना देने वाले सदस्यों का कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री इस मांग का सामना नहीं करना चाहते थे, इसलिये सदन स्थगित करा रहे हैं।

इसी प्रकार माननीय श्री सत्य प्रकाश मालवीय, माननीय श्री मुहम्मद असरार अहमद, माननीय श्री मधुकर दिघे तथा माननीय श्री राम प्रकाश यादव ने एक दूसरी सूचना दिनांक २८-४-७५ को दी थी, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि २५ अप्रैल, १९७५ को माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में यह घोषणा करके कि लोक आयुक्त विधेयक मई में कानून बन जायेगा, स्पष्टतया सदन का अवमान किया है तथा विशेषाधिकार को अवहेलना की है।

दिनांक २८-४-७५ को श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री सत्य प्रकाश मालवीय, श्री मधुकर दिघे तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने उपर्युक्त दोनों सूचनाओं की ग्राह्यता के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये थे, जिनको सुनने के बाद मैंने अपना निर्णय आज देने को कहा था। मैंने स्पष्ट रूप स माननीय सदस्यों से यह जानकारी चाही थी कि

[श्री अध्यक्ष]
उक्त सूचना से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न किस प्रकार बनता है, परन्तु किसी सदस्य ने इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही। श्री सत्य प्रकाश मालवीय ने अवश्य इस ओर ध्यान आकृष्ट किया और लोक सभा के अध्यक्ष, स्व० श्री मावलंकर के इस कथन का हवाला देते हुये कि समयाभाव के कारण अध्यादेश प्रख्यापित करना एक गलत परम्परा है तथा वांछनाय दृष्टान्त नहीं हैं। इसके विपरीत माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह बात कही कि माननोय मुख्य मंत्री का जो कहना था वह यह था कि लोक आयुक्त विधेयक मई महीने में कानून बन जायेगा। अभी मई माह समाप्त नहीं हुआ है इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह कानून नहीं बनेगा। साथ ही माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी बात कही कि विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा उसमें विलम्ब भारत सरकार के परामर्श में विलम्ब के कारण है और यह हो सकता है कि अनुमति मिलने पर सदन का अधिवेशन बुलाकर इस विधेयक को पारित कराया जाय या अध्यादेश द्वारा ही इसे कानून बनाया जाय, जो अनुच्छेद २१३ के अन्तर्गत सदन के सम्मुख किया जाता है। मैंने इस प्रश्न पर उपर्युक्त तर्कों के सन्दर्भ में विचार किया और दिनांक २५-४-७५ एवं २८-४-७५ की कार्यवाही भी देखी। इसे देखने से यह प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह बात नहीं कही कि वे इस सम्बन्ध में अध्यादेश लायेंगे बल्कि यह कहा कि, "मई में कानून बन जायगा और इस सदन के बिना भी तो कानून बन सकता है"। बाद में आगे माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि 'चौधरी साहब ने दो मार्ग बताये हैं, जो मार्ग सुगम होगा, वह करूंगा। दिनांक २८-४-७५ को माननाय संसदीय कार्य मत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने भी अन्य बातों के अतिरिक्त यह बात कही कि "जहा तक कानून का प्रश्न है, यह कभी नहीं कहा गया कि अध्यादेश लायेंगे। कहा यह गया था कि मई म हम कानून बना सकेंग ? इसका मतलब यह है कि चाहे अध्यादेश के जरिये कानून बने या विधान मडल पारित करे" तथा यह भी कहा कि, "चाहे एसेम्बली बुलाकर या चाहे संविधान के अन्तर्गत दूसरा तरह से बनाया जाय"। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि स्पष्ट रूप से यह नहा कहा गया कि अध्यादेश द्वारा ही कानून बनाया जायगा। साथ ही अभी कोई अध्यादेश बनाया नहा गया है, इसालये कायवाहा का कारण उत्पन्न नहा हुआ। इसक आतरिक्त संविधान मे कानून बनान क दा तराके दिय हुए है। एक तो विधान मडल द्वारा पारित विधेयकों के जरिये स तथा दूसरा याद सदन सत्र म न हा तो अनुच्छद २१३ के अन्तगत एक सामित समय के लिये अस्थाय। व्यवस्था क रूप मे अध्यादश जारा करके। अनुच्छद २१३ मे व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार जारा किये गये किसा अध्यादेश का सदन अननुमादन कर सकता है अथवा उसके स्थान पर विधयक आधानयामत कर सकता है। इस प्रकार एक सवधानिक आधकार कायपालिका को प्राप्त है और वह आवश्यकता पड़न पर उसका उपयाग कर सकता है, परन्तु जैसा कि अध्यक्ष स्वगाय श्री मावलकर न कहा है समयाभाव के कारण अध्यादश का प्रख्यापन परम्परा के विरुद्ध एवं अवाछनाय हा सकता है याद परिस्थितियां ऐसा करन के लिय बाध्य न करें। साथ ही मैं यह भी सदन क ध्यान म लाना चाहूगा कि अध्ययन सामात ने एक प्रातवेदन भी इस सदन में रखा है कि अध्यदशा के द्वारा आधानयमन का कायवाहा कम स कम का जाय तो उस दृष्टि से भी यह उाचत नहा है कि जब विधान सभा सत्र म हा तो काइ ऐसा सकेत दिया जाय कि हम अध्यादश क द्वारा कानून बनायग। यह अनुाचत ह। एसा नहा कहा जाना चाहिये। मैं माननाय ससदाय काय मत्रा का ध्यान आकाषत करूगा कि जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है यहा यह नहा कह सकत कि अध्यादेश लायग क्याक जैसा भावलकर साहब न कहा है समयाभाव का कारण नहा बन सकता है, हम बठ सकत ह। हा इतना जरूर है और माननाय नता विराधा दल मा मुझस सहमत होग कि इस किस्म स लाइय, अभा लाइय जब उनका दिमाग साफ नहा और कन्द्र स परामश करना चाहत ह तो हम बाध्य नहा कर सकत। लाकन इस वाछनाय्ता का और ध्यान आकृष्ट करना चाहता हू कि जब भा सदन सत्र म हो तो किसा मत्रा या मुख्य मत्रा का आधकार नहा है कि वह एलान कर कि अध्यादेश लायग। इसालय मैं इस विशषाधिकार क प्रश्न का अग्राह्य करता हू।

स्वास्थ्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री रघनाथ, सदस्य, विधान सभा ने सूचना दी है कि २५ अप्रैल, १९७५ को वे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान पर सवा ८ बजे दिन में एक हरिजन टी० बी० के मरीज का प्रार्थना पत्र लेकर गये थे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री बरामदे में थे। जब माननीय श्री रघुनाथ ने उनको प्रार्थना पत्र दिया तो वे बिगड़ गये और कहा कि 'आप लोग जाहिलों की तरह जब चाहते हैं चले आते हैं यह कोई समय है काम कराने का'। इस पर माननीय श्री रघुनाथ ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि उनसे मिलने का क्या समय है, तब उन्होंने कहा कि वे ९ बजे आ सकते हैं। किन्तु जब वे ठीक ९ बजे वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री पौने ९ बजे चले गये। माननीय श्री रघुनाथ का कहना है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और पहले उपर्युक्त वाक्य कह कर तथा बाद में समय देकर न मिलकर उनको अपमानित किया जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

मान्यवर, मुझे यह बात तो याद नहीं, लेकिन मैंने माननीय सदस्य से कुछ ऐसी-वैसी बात कही होगी, ऐसा सम्भव नहीं। लेकिन समय की जो बन्दिश है, उसका तो उन्हें ध्यान रखना ही चाहिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, समय की बन्दिश मन्त्रियों के लिये भी रहनी चाहिये और उस वक्त के लिये अन्य प्रोग्राम कैन्सिल कर दिये जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय श्री रघुनाथ द्वारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान पर जाकर किसी टी० बी० के मरीज का प्रार्थना पत्र देना न तो सदन की कार्यवाही से संबंधित है और न माननीय श्री रघुनाथ के सदस्य होने के नाते की गई कार्यवाही से सम्बन्धित है। ऐसा प्रार्थना-पत्र कोई भी व्यक्ति माननीय मंत्री को दे सकता है। अतः इस सूचना में विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

मान्यवर, जो पत्रव्यवहार.....

श्री अध्यक्ष—

अब आगे नहीं। लेकिन औचित्य का प्रश्न मैं समझता हूं, कि जिस शासन ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया हो कि माननीय सदस्यों के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार करें उस शासन के हर अंग और हर मंत्री पर भी यह बात लागू होती है। लेकिन विशषाधिकार का प्रश्न यह नहीं बनता।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मान्यवर, आपने नियमों का हवाला दे दिया। मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि जिस शासन ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को माननीय सदस्यों के प्रति शिष्ट व्यवहार के लिये आदेश और परिपत्र निर्गत किये हैं, उसके सदस्यों के लिये और अधिक लाजमी है कि वह माननीय सदस्यों के प्रति समुचित शिष्टाचार के साथ व्यवहार करें।

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, जहां तक शिष्टाचार का प्रश्न है, उस संबंध में इतना अवश्य कहना है कि यहां तो शिष्टाचार का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन माननीय सदस्य जो एलीगेशन लगा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि बीसों बार मुझसे मिले होंगे। उसके बाद उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिये थी।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मेरी पत्नी बीमार थी लेकिन माननीय मंत्री जी ने मेरी अर्ज पर कोई ध्यान नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

वह दूसरी बात है। वह सवाल आपको अलग उठाना चाहिये था।

श्री भीखा लाल—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने आपको स्पेसेफिक रूप से लिखकर दिया है। यह मैं मान सकता हूं, वह समय के अन्दर न गये हों. . . . लेकिन अगर समय के बाहर उनसे मिलने गये तो अभद्र व्यवहार करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अब माननीय सदस्य ने जो लिख कर दिया है तो वह गलत कह रहे हैं अथवा माननीय मंत्री ने जो यहां कहा वह गलत है। यह विवाद का प्रश्न बन जाता है। इसे अवश्य आप विशेषाधिकार समिति के पास भेज दें ताकि सही स्थिति का पता चल सके।

श्री अध्यक्ष—

सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं है। वैसे मैं यह अपेक्षा करता हूं कि विधायकों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार किया जाय श्री रघुनाथ सिंह ने जो लिखकर दिया है उस पर उनको कुछ कहना हो तो कह सकते हैं।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

स्वास्थ्य मंत्री विधायकों के साथ अत्यन्त दुर्व्यवहार करते हैं और भीखा लाल जी जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूं।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह औचित्य का प्रश्न है, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बन सकता।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ—

मैं स्वास्थ्य मंत्री के यहां सवा ८ बजे पहुंचा तो उन्होंने झुंझला कर कहा कि जब चाहें आप लोग चले आते हैं। आप समय से आयें। मैंने कहा कि आपका समय क्या है? उन्होंने कहा ९ बजे के करीब आइये। मैं ९ बजे पहुंचा तो ९ बजे से पहले ही वह चले गये थे।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो लिख कर दिया और जो अब कह रहे हैं उसमें अन्तर है। मंत्री को आवश्यकता हो सकती है और समय देने पर भी वह जा सकता है। आपने इस समय यह नहीं कहा कि उन्होंने आपको जाहिल कहा।

भारी उद्योग मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

यह एक श्री पुरुषोत्तम कौशिक का है। उन्होंने सूचना दी है कि ७ अप्रैल, १९७५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सं० ३ के उत्तर में भारी उद्योग मंत्री ने बताया कि उद्योग निदेशालय, कानपुर ने किसानों को कृष मंत्री के यंत्रों के लिये दिये जाने वाले ऋण के अंतर्गत किसी भी कृषि यंत्र प्रतिष्ठान को रेट कान्ट्रेक्ट में मान्यता नहीं दी है . . . . . .

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

मेरी बात सुन लीजिये। आप तो आगे बढ़ गये।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो लिख कर दिया और यहां जो कहा उन दोनों में आपने भिन्नता कर दी। इसका मतलब यह है कि इस समय आप जाहिल शब्द पर एतराज नहीं कर रहे हैं। अब आप

यह कह रहे हैं कि आप फिर ९ बजे गये जो समय उन्होंने आपको दिया था लेकिन समय देने के बावजूद भी वह आपसे नहीं मिले। मैं यह कहना चहता हूं कि जब उन्होंने आपको जाहिल कहा तो फिर दुबारा आप ९ बजे क्यों गये थे ?

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

जाहिल शब्द उन्होंने कहा था।

श्री अध्यक्ष---

नये सदस्यों को आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं ? मंत्री ने जाहिल अगर कहा तो कैसे यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है ? फिर वह ९ बजे दुबारा मिलने गये। यह जो लिख कर दिया है उस पर मैं फैसला करूंगा या तो वह गलत है जो लिख कर दिया है अथवा वह गलत है जो श्री रथुनाथ ने यहां कहा। माननीय गोविन्द सिंह को सलाहकार बना कर जैसा वह कहें वैसा दुबारा लिख कर आप देंगे तब फैसला करूंगा।

(श्री भगवती प्रसाद के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष---

आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री भगवती प्रसाद---

श्री रघुनाथ वाले मामले से ही सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष---

कोई सम्बन्ध नहीं है। मैंने विशेषाधिकार के उनके प्रश्न को अस्वीकार कर दिया। आपको अब हक नहीं होता है बोलने का। (व्यवधान) आपको मैं इजाजत नहीं देता आप सुनते ही नहीं हैं।

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)---

इजाजत कभी नहीं होगी क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला है।

श्री अध्यक्ष---

भ्रष्टाचार पर आप कम ही बोलते हैं। आप केवल अपने व्यक्तिगत मामले पर ही बोलते हैं। (व्यवधान) माननीय सदस्य लिख कर दें। मैंने अब उसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री भगवती प्रसाद (फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मुझ से सम्बन्धित है यह. . . . .

श्री अध्यक्ष---

दूसरा प्रश्न श्री पुरुषोत्तम कौशिक का है। माननीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक, सदस्य, विधान सभा ने सूचना दी है कि ७ अप्रैल, १९७५ के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में भारी उद्योग मंत्री ने बताया कि उद्योग निदेशालय, कानपुर ने किसानों को कृषि यंत्रों के लिये दिये जाने वाले ऋण के अन्तर्गत किसी भी कृषि यंत्र प्रतिष्ठान को रेंट कान्ट्रेक्ट में मान्यता नहीं दी है, जब कि ३१ मार्च, १९७५ तक उद्योग निदेशालय, कानपुर से पांच सौ कृषि यंत्रों (पम्पिंग सेट, इंजन) को मान्यता प्राप्त रही है। माननीय श्री कौशिक का यह भी कहना है कि भारी उद्योग मंत्री तथा उनके विभाग ने जानबूझकर तथ्यों को छिपाया है तथा विशेषाधिकार का हनन किया ह एवं सदन का अवमान किया है।

माननीय श्री पुरुषोत्तम कौशिक ने अपनी सूचना के साथ ऐसा कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो कि माननीय भारी उद्योग मंत्री ने उपर्युक्त प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह असत्य है और जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिये दिया गया है। इसलिये मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह साधारण घटना नहीं है। मैं दावे के साथ यह बात कहता हूं ..... (व्यवधान) मैं विशेषाधिकार के बारे में ही बोल रहा हूं। ९ मार्च, १९७५ को मेरा प्रश्न लिया गया था और उसके पूर्व भी प्रश्न लिये गये थे। लगभग ५०० या इससे भी ज्यादा कृषि यंत्रों को उद्योग निदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त रही है। अब एक सैंट्रल गवर्नमेंट की आई० एस० आई० की एक स्कीम है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सर्वे किया है और कृषि यंत्रों के ऋण में भयंकर घुटाला निकला है। तो उद्योग मंत्री ने जानबूझ कर इस तथ्य को छिपाया है। ३१ मार्च, १९७५ तक विजेता इंजन, गंगा इंजन, सीको इंजन, प्रदीप इंजन, संगम इंजन, दुर्गा इंजन, महाशक्ति इंजन, परमशक्ति इंजन, हरित क्रांति इंजन, जीवन ज्योति इंजन, पी० एस० जी० इंजन, जवाहर इंजन, विश्वास इंजन, मयूर इंजन, मेनन इंजन इत्यादि को मान्यता रही है। यह बड़ा भारी स्कैंडल है।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। आप भाषण में कह सकते हैं.....

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, ७५ करोड़ रुपये से लेकर १ अरब रुपये तक का आजादी के बाद यह पहला घुटाला है..... (व्यवधान)। सदन को गुमराह किया गया।

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

जानबूझकर तथ्यों को छिपाया गया है। यह हिन्दुस्तान की अद्वितीय घटना है।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता। इसलिये यह अग्राह्य है।

श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा श्री तीरथ राम कोहली के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना माननीय काशीनाथ मिश्र, सदस्य विधान सभा ने दी है कि श्री तीरथ राम कोहली, सदस्य विधान सभा ने माननीय राजस्व मंत्री के फर्जी दस्तखत और फर्जी मुहर लगी एक फर्जी चिट्ठी माननीय अध्यक्ष को जांच कराने हेतु दी है और इस प्रकार सदन का अवमान किया है।

श्री तीरथ राम कोहली ने एक इस प्रकार की चिट्ठी मुझे २१ अप्रैल, १९७५ को दी थी जो मैंने माननीय मुख्य मंत्री को जांच करने हेतु भेज दी है.....

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, मेरा कहना है कि इस प्रकार के हजारों पत्र प्रयाग विश्वविद्यालय के चुनाव के अवसर पर वहां बांटे गये हैं। उसी की एक नकल लगा कर माननीय तीरथ राम कोहली ने माननीय अध्यक्ष को भी दी है। जो राजस्व मंत्री जी का असली पैड है और जो माननीय तीरथ राम कोहली ने फर्जी पैड पर आपको दिया है उन दोनों को मैंने आपके पास भेजा है। उत्तर प्रदेश शासन का जो असली पैड है उसमें केवल "मंत्री" शब्द होता है और जो फर्जी पैड बनाया गया ह उसमें "राजस्व मंत्री" शब्द लिखा है। जो उत्तर प्रदेश शासन की मुहर है उसमें भी अन्तर है। उसमें जो मछली का निशान है उन दोनों में फर्क है। इन दोनों पैडों की नकल मैंने आपकी सेवा में भेजी है। इनसे साफ जाहिर होता है कि जो चिट्ठी आपको दी गई है वह बिलकुल फर्जी है। यह तो मान्यवर, वैसी ही बात हुई कि सरे आम बाजार में यदि कोई चोर चोरी करता है और फिर वही दौड़ने लगे कि चोर भागा जा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

श्री अध्यक्ष—

आपका भी मैं भेजे देता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी से इस पत्र की वास्तविकता के बारे में रिपोर्ट आ जाने पर ही कोई कार्यवाही की जा सकती है । यदि यह साबित हो जाएगा कि श्री तीरथ राम कोहली द्वारा जो पत्र दिया गया था, वह जाली था तब ही इस सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सकता है। आपका भी मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेजे देता हूं, वह जांच में सहायक हो जायेगा। इस प्रकार से यह अग्राह्य और अस्वीकार है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जांच हो जायेगी तो विशेषाधिकार में जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

फिर उठा सकते हैं, यदि यह साबित हो जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

उस समय हमसे राजस्व मन्त्री ने यह कहा था कि इसे माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कहीं से प्राप्त कर लिया था और हमारे दस्तखत बना दिये हैं। आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने वह यों ही खत्म हो जाने दिया। ओम प्रकाश जी ने यह प्रश्न उठाया भी था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया । यह वैसा ही प्रश्न है । यह ठीक है कि यह मुख्य मन्त्री जी से पास जायेगा, तो जांच हो जायगी और सारा मामला साफ हो जायेगा। किन्तु कोहली साहब ने उस दिन क्या कहा था यह भी आप देख लें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

उस दिन निवेदन किया था कि मेरा कोई भी इरादा आक्षेप करने का नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप अपने निर्णय के ऊपर फिर से विचार कर लें, क्योंकि जब तक कोई जानबूझकर या तथ्यों के बिलकुल विपरीत ऐसी बात न करें तब तक उसे गम्भीरता से नहीं लिया जाना चाहिये और न उसमें विशेषाधिकार समिति में भेजने की बात होती है। अत: उस विशेषाधिकार को कैंसिल कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

वह जो कागज गया है, उसके साथ यह भी जा रहा है और वहां जब जाहिर हो जाएगा कि यह जाली है, तब तो आपका केस बन जाएगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

अच्छा उस समय, इसके लिये देना पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष—

पुन: देना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, मैं थोड़े उठाता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारे पुराने राजस्व मन्त्री जी थे उन्होंने भी इस तरह का पत्र लिखा था, जिसमें मुझे लपेटा गया था .....

श्री अध्यक्ष—

हां, एक पत्र लिखा है, आप यदि कहें तो वह भी भेज दूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

यदि वह पत्र है, तो उसके खिलाफ भी विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—
फिर भी आप भेज दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—
जांच के बाद अगर यह सिद्ध हो जाए तो यह विशेषाधिकार समिति में चला जाए। क्योंकि फिर समय नहीं रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—
मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं देता हूं, वह बाद की बात है।
(व्यवधान)

मैं 'अगर' 'मगर' में विश्वास नहीं करता हूं।
(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—
वह विशेषाधिकार समिति में जाएगा या नहीं यह मैं आपका निर्णय चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—
अभी तो इनके खिलाफ कुछ है नहीं, मैं कोहली जी के खिलाफ कैसे . . . .
(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—
आपने मिश्रा जी वाले को खारिज किया है या पेंडिंग रखा है? इस पर आपने क्या निर्णय दिया ?

श्री अध्यक्ष—
यह खारिज हो गया है, यह विशेषाधिकार का नहीं बनता है।
(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—
बतायें क्या इसे पेंडिंग रखा है ?

श्री अध्यक्ष—
यह लम्बित नहीं है, इस पर जांच चल रही है। उस पर हमने फैसला भी दे दिया। आप समझने की कोशिश करें जब हम किसी चीज को जांच के लिये भेजे है, उस पर आप कह रहे हैं विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय या लम्बित कर दिया जाय, जब विशेषाधिकार का प्रश्न बनेगा तब माननीय सदस्य नोटिस देंगे। मुझको सिर दर्द नहीं है कि मैं विशेषाधिकार खुद उठाता रहूं।

श्री काशीनाथ मिश्र—
मान्यवर, यह शासन द्वारा छपा हुआ पैड नहीं है, बल्कि फर्जी पैड है, फोटो से फोटो मिलता है या नहीं, लेकिन वह तो फोटो असली है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष—
बहुत छोटी सी चीज है कि वही जो आपने लिख कर दिया है, जिसको आप प्रमाणित कर रहे हैं वहीं मैंने बहुत पहले माननीय मुख्य मन्त्री जी को मैंने अपना दस्तखत करके कोहली जी का दस्तखत कराकर जांच के लिये सुपुर्द कर दिया है। आप ऐसा कह रहे हैं, जैसे मैं ही जांच कमीशन हूं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—
माननीय काशी नाथ मिश्र हैं तो प्रखर बुद्धि के परन्तु कभी-कभी खर बुद्धि के हो जाते हैं।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, किसने यह नकल किया ? फोटो कोहली जी ने लिया कि नहीं लिया ?

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशी नाथ मिश्र, आप व्यवस्थित होकर आसन ग्रहण करें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, प्राग्दर्शन में तो साबित हो जायेगा।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, प्राग्दर्शन में तो यह साबित हो गया कि पैड दूसरा है।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

एक सदस्य--

मान्यवर पैड दूसरा है, यह तो साबित हो गया।

श्री अध्यक्ष--

प्राग्दर्शन में नहीं साबित हुआ। मैंने एक चीज जांच समिति को भेजा है। माननीय काशीनाथ मिश्र हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं कि मैं मान लूं। मैंने जांच के लिये भेज दिया है। माननीय उदित नारायण जी ने भेजे हैं, उसको भी भेज दूंगा, जांच हो जायगी।

श्री शिव कुमार पाण्डेय--

मान्यवर, उसके बाद तो आप बतावेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं क्यों बताऊंगा ?

श्री शिवकुमार पाण्डेय--

मान्यवर, आप उसको हाउस में नहीं बतावेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिव कुमार पाण्डेय जी को नहीं मालूम है कि इस विधान सभा में एक नहीं सैकड़ों विशेषाधिकार के सवाल माननीय सदस्यों की प्रबुद्ध जागरूकता के कारण आ चुके हैं, अगर उनकी कुंदजेहनी होगी, तो नहीं आयेगा।

श्री अध्यक्ष को पद से हटाने के संकल्प की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अध्यक्ष, विधान सभा के विरुद्ध एक सूचना आयी है, माननीय श्री चौधरी चरण सिंह, माननीय श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, माननीय श्री दया कृष्ण पाण्डेय ने अपने एक संकल्प के साथ इरादा व्यक्त किया है कि वह विधान सभा के अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव लायेंगे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

१४ दिन पहले आयेगा।

श्री अध्यक्ष--
मैं सूचना दे रहा हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र--
सूचना भी नहीं आ सकती।

श्री अध्यक्ष--
मैं श्री काशीनाथ मिश्र से सहमत हूं। जब मेरा मामला है तो आप बैठें। मैं उनसे १०० फीसदी सहमत हूं, लेकिन नेता विरोधी दल ने, नेता जनसंघ ने और श्री दया किशन पांडे ने जो दिया है उसको उन्होंने तो कल नहीं पूछा परन्तु एक माननीय सदस्य ने प्रश्न किया तब हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जो उसका संवैधानिक पहलू है उस ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करूं। जो संविधान की पुस्तक है उसके अनुच्छेद १७९ की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं :--

"विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य--

(क) यदि सभा का सदस्य नहीं रहता तो अपने पद को रिक्त कर सकेगा;

(ख) किसी समय भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, जो उपाध्यक्ष, को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो, अध्यक्ष को सम्बोधित होगा यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है, अपना पद त्याग कर सकेगा; तथा

(ग) विधान सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा।

परन्तु, खंड (ग) के प्रयोजन हेतु कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित न किया जायेगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम से कम १५ दिन की सूचना न दे दी गयी हो।"

हमारे यहां नियम २७० में है।

२७०--कोई भी सदस्य जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिये, अनुच्छेद १७९ (ग) के अन्तर्गत किसी संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना देना चाहे तो वे उसे लिखित रूप में देंगे परन्तु पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये कोई संकल्प अनुज्ञा के लिये तब तक प्रस्तुत नहीं किया जायेगा जब तक कि सचिव को चौदह दिन के पूर्व, ऐसी सूचना न दी गयी हो।

यह अप्रैल २५ को दिया गया और १ मई को पूरा होता है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--
इरादा है प्रस्ताव थोड़े है।

श्री अध्यक्ष--
मैं इसमें कुछ बोलूंगा नहीं। मैंने विधि बता दी।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--
सदन बुलाइये १२ तारीख तक।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --
मुझे हर आज्ञा शिरोधार्य रहेगी। हर चीज की प्रक्रिया है। यह इरादा माननीय सदस्य ने दिया है और जो प्राविधान है कि क्या मामले को इतने दिनों के बीच में माननीय सदस्यों से वार्तालाप से ऐसे पद के सम्बन्ध में जो सर्वोपरि है, के सम्बन्ध में कोई राय न मुकर्रर हो। तो यह प्रस्ताव नहीं है जिसके ऊपर आप तारीख रख देंगे।

श्री अध्यक्ष--
मैं तारीख नहीं रख रहा हूं। यह इरादा है।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

कार्य-स्थगन के सब अस्वीकार किये गये। आज असरकारी दिवस है। आज लाना ही नहीं चाहिए।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

हमारा भी असरकारी है।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना ही कार्य-स्थगन करना चाहते हैं।

श्री राम अधार--

आज मैंने एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा के बारे में आपको दिया है। अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं सदन की कोई कार्यवाही नहीं चलने दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आज असरकारी दिवस है। आप बैठें नहीं तो मैं आपको तुरन्त निकाल दूंगा, मुझे आपको निकालने में १ मिनट नहीं लगेगा।

श्री राम अधार--

मान्यवर, सदन में इस समय माननीय तिवारी जी बैठे हुए हैं....

श्री अध्यक्ष--

असरकारी कार्य में मैं विलम्ब नहीं होने दूंगा। आप कृपया बैठें, मैं नहीं सुनूंगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)--

मान्यवर, आज आधा सरकारी और आधा असरकारी दिवस है। आप कृपया इन्हें २ मिनट का समय दे दें। थोड़ी सी इनकी बात सुन लें?

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय असरार अहमद साहब की बात मान लेता, लेकिन उनकी ही नाक नीची हो जायगी, क्योंकि जो प्रस्ताव अब आने वाला है जिसका माननीय नेता विरोधी दल ने आग्रह किया है उस पर इतना उद्धत और अनुशासन-विहीन है, आपके अनुशासन में नहीं है।

श्री राम अधार--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अब आइटम १२ के अनुसार प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण होगा।

(श्री राम अधार के खड़े होकर बराबर बोलने रहने पर)

माननीय राम अधार को दिन भर के लिए निकालने के पहले मैं पूछन चाहता हूं। (व्यवधान) मैं सरकारी कार्य में आपको बोलने की इजाजत दे देता हूं। लेकिन अब आप बैठें। आपको मालूम नहीं है कि आपको बोलने के लिए कब उठना चाहिये और कब नहीं उठना चाहिए।

श्री राम अधार--

[* * *]

[***] श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह लिखा नहीं जायगा, मैं इन्हें बोलने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राम अधार—

[* * *]

श्री अध्यक्ष—

यदि नहीं बैठते तो मैं आपको एक दिन के लिए बाहर निकालता हूं।

श्री राम अधार—

[* * *]

(इसके उपरान्त श्री राम अधार सदन के मध्य में फर्श पर आकर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे रहें, आराम से बैठिए।

(इसके उपरान्त श्री मुहम्मद असरार अहमद श्री राम अधार को उठा कर ले गये और उन्हें उनकी सीट पर बिठा दिया।)

परिवहन मंत्री के सम्बन्ध में जांच समिति गठित करने के सम्बन्ध में नियम २०० के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मान्यवर, कार्य सूची १२ के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रस्ताव नियम २०० के अन्तर्गत रखा गया है जिसमें कहा गया है कि :

"प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के आरम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायेंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित होंगी।"

सेक्शन २०० यह एक्सक्लुसिव स्पीकर का है। इस धारा का प्रयोग केवल माननीय अध्यक्ष ही कर सकते हैं। नियम ५१, ५६ और कटौती के प्रस्ताव रखने के भी हैं। जहां तक माननीय सदस्यों को अधिकार मिले हैं, उनमें साफ लिखा है कि जो सदस्य देना चाहते हैं, एक प्रति दें, २ प्रति दें। ये सदस्य अगर लिख कर दे दें तो यह चल नहीं सकता है। मान्यवर, समिति का इसमें जिक्र किया गया है कि पद का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में जो जनसंघर्ष समन्वय समिति बनी है, हमारे जिले में भी बनी है, जो तमाम लफंगों की समिति है, जो ट्रेन में डकैती डालते हैं (शोर)

श्री अध्यक्ष—

यह आप नहीं कह सकते हैं। मैंने माननीय काशीनाथ मिश्र की व्यवस्था पर, जो उन्होंने लिखित भी दिया, बोलने के लिये कहा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ठीक है, मैं व्यवस्था पर ही बोलता हूं। मैं अपनी बात को वापस लेता हूं अगर आपको एतराज है। हमारी व्यवस्था की बात सुन लीजिये। मैं यह कह रहा था कि हर जिले में संघर्ष समितियां बनी हैं। मान लीजिये मेरे जिले की संघर्ष समिति ने लिख कर भेज दिया कि काशीनाथ मिश्र बड़े भ्रष्टाचारी हैं, बड़ा घूस लेते हैं और इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव बी० एल० डी० के जो माननीय सदस्य बलिया या और किसी दूसरे जिले से हैं लिख कर भेज दें और यह सदन उस पर विचार करने लगे तो इस प्रकार तो जो २१८ या २२० सदस्य इधर बैठते हैं उनके खिलाफ प्रस्ताव आने लगेंगे। आप किसी तरह से नियम २०० के अन्तर्गत ऐसे प्रस्ताव को यहां ला नहीं सकते।

[***] अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

वह प्रस्ताव के औचित्य और मैरिट्स पर बोल रहे हैं। वह व्यवस्था का प्रश्न उठायें।

श्री काशी नाथ मिश्र—

व्यवस्था पर ही कह रहा हूं। माननीय राज मंगल पांडेय मन्त्री हैं। इनके कैरेक्टर को डिस्कस करने के लिये १०३ में प्रस्ताव दे सकते थे कि माननीय राज मंगल पांडेय के सार्वजनिक चरित्र पर बहस करने की इजाजत दी जाय और वह चर्चा होती। यह नियम के अन्दर है। और चर्चा के बाद जब सदन इस राय का होता कि कोई कमेटी बिठायी जाय .....

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

इन्हीं की व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आपको समय मिलेगा।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मुझे यह कहना है कि इन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप इसको स्वीकार कर चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है कि मैंने स्वीकार किया। लेकिन स्वीकार करने पर ही तो कोई व्यवस्था का प्रश्न उठेगा कि यह नहीं लाया जा सकता नियम के अनुसार। आप भी ऐसा करते हैं कि जो छपा रहता है उसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं। तो व्यवस्था का प्रश्न उठाने का एक स्थान होता है। इस तरह से कोई व्यवस्था का प्रश्न इस स्टेज पर उठा सकते हैं। हमने स्वीकार किया है, लेकिन अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न उठता है तो सब सुन कर व्यवस्था देंगे।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अब आप एक निर्णय दे चुके हैं और आप ही फिर दरवाजा खोल रहे हैं कि आपके निर्णय के खिलाफ हम हर वक्त जो चाहें भाषण देते रहें।

श्री अध्यक्ष—

यह निर्णय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपने जो प्रस्ताव दिया वह एजेन्डा पर रख दिया। निर्णय कहां है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

संवैधानिक आपत्ति तो किसी स्टेज पर की जा सकती है। आखिर में जो कुछ होगा वह तो करने का हक रहता ही है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

जब हम कभी आपके निर्णय के बाद बोलते हैं तो आप रोक देते हैं कि वह चोज खत्म हो गयी। अब इनको रोकिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अभी माननीय काशीनाथ मिश्र ने लफंगे शब्द कह दिया ....

श्री अध्यक्ष---

वह तो उन्होंने वापस ले लिया।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मैं यह कहता हूं कि यह नियम २०० के अन्तर्गत नहीं आ सकता। १०३ के अन्तर्गत वे चर्चा कर सकते हैं। सदन के माने यह नहीं है कि माननीय इन्द्रपाल सिंह या फलाने-ढिमाके ने कुछ दे दिया, सदन कैन नाट वि रिप्रेजेन्टेड वाई मेम्बर्स .... (व्यवधान)

एक सदस्य---

इनकी जबान में लगाम लगवाइये। यह फलाने-ढिमाके क्या है ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

जब कोई मान्यवर, प्रस्ताव आता है तो उसके पेश करने के लिये पहले सदन की अनुज्ञा चाहिये ... ...

श्री अध्यक्ष---

वह किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री काशीनाथ मिश्र---

कोई भी प्रस्ताव बिना सदन की अनुज्ञा के या आपकी बिना आज्ञा के नहीं आ सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इसमें आप जानते हैं, ३ प्रस्ताव की सूचनायें मिली हैं। नियम २०० के के अन्तर्गत वे सूचनायें दी गयी हैं। जहां तक नियम २०० का सम्बन्ध है, अगर यह सिर्फ २०० में ही होती। तो माननीय काशीनाथ मिश्र जी से मैं सहमत हो जाता। उनके तर्क में कुछ दम होता। सामान्य प्रक्रिया के लिये और विशेष कार्यवाही के लिये, सदन से सम्बन्धित कार्यवाही के सम्बन्ध में, सामान्य और विशेष के अन्तर्गत, २ प्रकार की कमेटियां बनाने का अधिकार मुझे है और वह मैं बनाता हूं, यह सही है। अध्यक्ष जब कोई कमेटी बनायेगा तो उसके लिये आपकी स्वीकृति की जरूरत है। जो माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी और माननीय चौधरी साहब कहते हैं कि अध्यक्ष सीधे बनावें, तो उस हद तक आपकी ही बात सही है। नियम २०० देखिये--"प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर और तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व या समय-समय पर जब कभी अन्यथा अवसर उत्पन्न हो विभिन्न समितियां विशिष्ट या सामान्य प्रयोजनों के लिये सदन द्वारा निर्वाचित या निर्मित की जायेंगी या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होंगी।" माननीय काशीनाथ मिश्र कहते हैं कि यह अधिकार अध्यक्ष का है इसका मतलब यह हुआ कि इस धारा के अन्तर्गत आप नोटिस नहीं दे सकते हैं लेकिन फिर भी जैसा कि माननीय काशीनाथ मिश्र ने कहा--और दूसरी धारायें हैं जिनके अन्दर प्रस्ताव लाने की अनुमति है। अगर सिर्फ २०० ही धारा होती इस नियमावली में तो मैं श्री काशीनाथ मिश्र की बात मान लेता लेकिन स्वयं श्री काशीनाथ मिश्र ने कहा तो यह १०३ में आ सकता है। इसको मैंने स्वीकार किया।

अब दो और हैं जिन पर निर्णय लेना है। एक तो श्री मीतीलाल देहलवी का है जो उन्होंने १०३ में दिया है। इसमें कुछ परिवर्तन करने का अध्यक्ष को अधिकार है। वह शब्दावली में ऐक्ट में भी शाब्दिक संशोधन कर देता है। तो उससे मैं सहमत हूं।

लेकिन जहां तक बन मन्त्री के विरुद्ध सवाल है, मैंने बन मन्त्री और राजस्व मन्त्री को वक्तव्य के लिये निर्देशित कर दिया था तो मैंने उसकी जरूरत नहीं समझी। इसके अलावा माननीय नेता विरोधी दल ने जोर देकर कहा कि वे माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध यह प्रस्ताव रखना चाहते हैं।

माननीय सत्यपाल मलिक, श्री मधुकर दिघे, श्री शतरुद्ध प्रकाश तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ने नियम २०० के अन्तर्गत माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध एक समिति बनाने की मांग की है।

अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आ सकता है अथवा नहीं।

उक्त समिति द्वारा दिनांक ३ जनवरी, १९७५ को विधान सभा में श्री सत्यपाल मलिक द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच किये जाने की अपेक्षा की गयी है। नियम १०५ के उपनियम (५) के अनुसार किसी प्रस्ताव में ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठायी जायेगी जिस पर उसी सत्र में अथवा पिछले ६ माह के भीतर जो भी समय पहले हो, चर्चा हो चुकी हो। दिनांक ३ जनवरी, को मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते हुए श्री सत्यपाल मलिक ने माननीय मुख्य मन्त्री पर कुछ आरोप लगाये थे जिनका उत्तर माननीय मुख्य मन्त्री ने दिया तथा अविश्वास का प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हो गया। अभी उस प्रस्ताव पर चर्चा तथा निस्तारण को ६ माह नहीं व्यतीत हुए हैं। अतएव उसी विषय को लेकर दूसरा प्रस्ताव उक्त नियम १०५ के उपनियम (५) के अनुसार नहीं लाया जा सकता। दूसरी बात यह भी है कि संविधान के अनुच्छेद १६४ के खंड (१) के अनुसार मुख्य मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मन्त्री की मन्त्रणा से करते हैं। अतएव मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोप होने की दशा में मन्त्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव से अधिक गम्भीर प्रस्ताव नहीं हो सकता है और जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है उक्त अविश्वास का प्रस्ताव जिस पर विचार करते समय तथाकथित आरोप लगाये गये थे और जिनकी जांच वर्तमान प्रस्ताव द्वारा किया जाना अपेक्षित है का निस्तारण ३ जनवरी को किया जा चुका है। तो दोनों दृष्टियों से मैंने जो माननीय मुख्य मन्त्री के विरुद्ध प्रस्ताव है, उसको खारिज कर दिया है, उसको मैंने अग्राह्य मान लिया था। लेकिन यह २०० के अन्दर मान्य नहीं हो सकता था.....

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

जो रूलिंग आपने दे दी है उसको तो मैं क्वेश्चन नहीं करता लेकिन उसके प्रोसीड्योर के मुताल्लिक कुछ अर्ज करता हूं। आपने विदड्राल कर लिया उस रोज और आपने रूलिंग नहीं दी और यह हुआ कि आप इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं, वह तो दे दी। मैंने यह कहा है कि इसमें दो विचारणीय मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जा सकता है। इनको यानी मुख्य मन्त्री को तो गवर्नर ने नियुक्त किया है। यहां जो प्रस्ताव है उसमें निपटारा जिनमें मुख्य मन्त्री को करना है जैसे किसी मन्त्री के विरुद्ध आप लावें और प्राग्दर्शन में उनको लगे--कि उक्त मन्त्री के विरुद्ध लगाया गया आरोप सही ह, तो वह उनको हटा सकते हैं। उसका उपचार तो यहां है लेकिन मुख्य मन्त्री को हटाने का एक ही तरीका है और वह है अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा ही।

चौधरी चरण सिंह--

नहीं, मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि इस मसले पर बहस नहीं हुई है और वह ओपेन है।

श्री अध्यक्ष--

वह खुला नहीं है। मैंने तर्क देकर यह कहा है कि वह अग्राह्य है। ६ महीने के अन्दर जिस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है....

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूं कि आपने जो रूलिंग दी उस पर मुझे नहीं कहना है, लेकिन आपका जो यह प्रोसीड्योर रहा है मैं बाअदब अर्ज करना चाहता हूं सही नहीं है। जो शंका आपके मन में उठी आपने उस पर अपना निर्णय दे दिया। उधर से कुछ नहीं कहा गया, उधर से एक आम बात कही गयी कि नहीं होना चाहिये। आपने कहा कि आपको दो आर्गूमेन्ट्स मिले। हो सकता है कि आपकी राय सही हो लेकिन हमको उन आर्गूमेंट्स को जवाब देने का मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---

प्रक्रिया तय करने का अधिकार तो नियमानुसार अध्यक्ष को है ।

चौधरी चरण सिंह---

अब अधिकार आपको तो सब कुछ है लेकिन सवाल यह है कि ऐसे इम्पार्टेन्ट मामलों में जिनकी तरफ से यह प्रस्ताव आया है अगर उनके दृष्टिकोण को भी आप न सुनेंगे ..

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ...

चौधरी चरण सिंह---

व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं आ सकता।

श्री देव बहादुर सिंह---

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं उसे उठा सकता हूं। आपने अनुमति नही ली और वसे ही बोलने लगे। आपने कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया।

श्री अध्यक्ष---

अब माननीय असरार अहमद साहब भी, जो व्यवस्था का प्रश्न उठा था उसमें बीच में बोले थे, इसी तरह से व्यवस्था के बीच में।

चौधरी चरण सिंह---

मैं यही कह रहा था कि वह भी प्वाइंट आफ आर्डर के बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते थे और मैंने उनसे कहा भी था कि आपको यह नहीं करना चाहिये। लेकिन आपके लिये यह था कि आप उनको उस समय हुक्म देते।

श्री देव बहादुर सिंह---

मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठा रहा हूं। आपका तो कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर है ही नहीं।

चौधरी चरण सिंह---

प्वाइंट आफ आर्डर पर प्वाइंट आफ आर्डर नहीं होता। उनको बैठना होगा। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष ने जो रूलिंग दी है उसका प्रोसीड्योर सही नहीं है। यह मेरी राय है और मैं यह कह रहा हूं।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

यह किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

चौधरी चरण सिंह—

तो अध्यक्ष जी, मैं जो प्रोसीड्योर की बात कह रहा था . . . . .

श्री तेज बहादुर सिंह—

आपके निर्णय के बाद किस नियम के अन्तर्गत आप इनको बोलने दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आपको इजाजत नहीं है मैंने नेता विरोधी दल को इजाजत दी है।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

आपके फैसले के बाद बोलना आपके प्रति अविश्वास पैदा करना है और यह किस नियम के अन्तर्गत इजाजत आप दे सकते हैं, इसको जरा बतलावें ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, यह अभी नहीं उठता है।

चौधरी चरण सिंह—

मैंने तो यह कहा था कि आपको अधिकार है और आपने दे दिया है लेकिन मैं तो आज के लिये आगे के किसी दिन के लिये कहता हूं कि हममें से किसी ने कोई बात पेश की और आपने सोचा कि आप इसी वक्त रूलिंग नहीं दे सकते इसलिये चैम्बर में गौर करके तब रूलिंग देंगे। आपने यह सोचा इस मसले पर भी कि चैम्बर में गौर करके रूलिंग देंगे। उधर से कोई आर्गूमेंट दिया नहीं गया और हमने पेश कर दिया। तो हमारे सामने उस समय जब हमने पेश किया न आपका व्यू प्वाइन्ट था और न रूलिंग पार्टी का जिनका हम जवाब देते। तो मेरी गुजारिश यह है कि इस तरह से आपके मन में एक आर्गूमेंट आया और आपने अपना डेसीजन कर दिया तो इस माने में तो वह एक्स पार्टे जजमेन्ट हो गया। आपका और सरकारी पक्ष का आर्गूमेंट हमारे सामने होता और हम उसका जवाब देते तो मुमकिन था कि हमारा जवाब सुनकर आपको तसल्ली हो जाती। और जिस नियम का आपने हवाला दिया है वह इस पर बिलकुल भी एप्लाई नहीं करता।

श्री अध्यक्ष—

कौन सा ?

चौधरी चरण सिंह—

नियमावली का नियम १०५(५) यह है :

"उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठायी जायेगी जिस पर उसी सत्र में अथवा पिछले ६ मास के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता हो, चर्चा हो चुकी हो।

श्री अध्यक्ष—

३ जनवरी को जिस पर चर्चा हो चुकी है। अब कैसे हो सकती है ?

चौधरी चरण सिंह—

चर्चा तो उस पर हुई और मैं उस पर चर्चा दुबारा नहीं उठा रहा हूं, हम तो कमेटी मुकर्रर करने की बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सत्यपाल मलिक जी का जो प्रस्ताव था . . . .

चौधरी चरण सिंह—

वह तो सिर्फ कमेटी मुकर्रर करने की बात है। और मैं यह समझता हूं कि आपका उस पर एक्स-पार्टे जजमेंट हुआ जो आपने आज दिया है।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय नेता विरोधी दल से बिलकुल एकदम इत्तिफाक नहीं करता। उसको एकतरफा कहना मेरे साथ अन्याय है। मैंने न शासन को सुना और न आपको मौका दिया, लेकिन जो प्रश्न हमारे सामने आया था, आज आखिरी दिन है, मैंने उस पर अपना निर्णय दे दिया। मैंने एक दिन कहा था कि हमको जो बताना चाहते हों ..... (व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

आइटम नम्बर १२ पर जो है उसके लिये कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह यह है कि नियम २०० के अन्दर माननीय काशीनाथ जी मिश्र का कहना है कि यह आपके लिये एक धारा है इस पर आप विचार कीजिये कि नियम १०३ के अन्दर आ सकता है। उन्होंने कहा कि २०० के अन्दर नहीं आ सकता। तो मैंने कह दिया कि २०० के अन्तर्गत तो नहीं आ सकता लेकिन १०३, १०४ या १०५ के अन्दर आना चाहें तो आ सकता है। अगर सिर्फ धारा २०० होती तो मेरे लिये इसको स्वीकार करना कठिन हो जाता, लेकिन दूसरी धाराओं के अन्दर इसको लिया जा सकता है। लेकिन अब जैसा कि मैं कह रहा था कि माननीय बन मन्त्री के विरुद्ध दो हैं। एक आया कि वक्तव्य हो, मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया और वक्तव्य हुआ। फिर हुआ कि बड़ा वक्तव्य दिया जाय, उसको स्वीकार किया। फिर चौधरी साहब ने कहा कि बन मन्त्री अपना वक्तव्य दें, उसको भी स्वीकार किया। जब सवाल आया २०० में प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो हमने उसको अग्राह्य किया। अब माननीय मुख्य मन्त्री और बन मन्त्री के बारे में, यह स्थिति है। माननीय राजमंगल पांडेय के बारे में श्री मलखान सिंह का है उसको भी मैं खारिज कर सकता था। लेकिन माननीय सदस्यों ने बताया है कि माननीय राज मंगल पांडेय के विरुद्ध क्या विशिष्ट अपराध हैं। माननीय चौधरी साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब चौधरी साहब ने एक मिनिस्टर के विरुद्ध हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। माननीय नेता विरोधी दल उस समय जो उनका एक चार्ज था कि गाजियाबाद में इन्होंने इतना रुपया लिया था। उसको मैंने स्वीकार किया और उस पर ढाई घन्टे की चर्चा हुई। वह अलग है। लेकिन कमेटी बनाना है तो हमने इशारा किया था कि अध्यक्ष कमेटी नहीं बनाता है, इसका सदन फैसला करेगा। जब सदन की राय हो जाय तब बना सकते हैं। लेकिन जो मैं कमेटी बैठाऊंगा चौधरी साहब उसको स्वीकार नही करेंगे। यदि मैं शासन में होता तो चौधरी साहब की एक सर्वसम्मति कमेटी बनाता जो सब की जांच करती।

(श्री मुलायम सिंह के खड़े होने पर अनेक सदस्यों ने कहा कि आप बैठें)

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

आप लोग यह कहेंगे तो मैं नही बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं और निर्णय दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि बैठ जायं तो ठीक कहा है। आप बैठें।

श्री मुलायम सिंह यादव—

आप डांट कर सदन चलाना चाहते हैं ..... (शोर) .....जो ज्ञापन है उसमें संलग्न है।

श्री अध्यक्ष—

वह आधार नहीं है। आधार है माननीय सदस्य की ईमानदारी और अपनी जानकारी पर हमको देना चाहिये। धौंस में स्वीकार कराते हैं तो वह नहीं होगा। जो आरोप आया है मुझको नहीं मालूम कि किस प्रकार की आप जांच चाहते हैं।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

आप डांट कर न कहें।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

आप डांटते हैं और धौंस देते हैं तो यह नहीं होना चाहिये .....

श्री अध्यक्ष—

श्री मलखान सिंह का स्वीकार किया गया है। जो इन्होंने लिखा है वह स्वीकार नहीं है। इनका तो नाम जोड़ा गया है।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है।.....(शोर) ..... माननीय राज मंगल पांडेय ने २-४ शब्दों में कहा था ..... (शोर)

(व्यवधान)

श्री बांके लाल—

यदि धौंस में स्वीकार करते हैं तो बुद्धिहीनता का परिचय देते हैं।

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, मैं जानकारी चाहता हूं भविष्य के लिये कि मेरा प्रस्ताव अस्वीकार बिना तर्क जाने हुये कर दें तो ठीक नहीं ह, इसलिये मैं जानकारी चाहता हूं कि जिसके बिना पर आपने अस्वीकार किया है....

श्री अध्यक्ष—

माननीय चरण सिंह जी ने मेरे साथ अन्याय किया क्योंकि एक सवाल यहां लाकर रखते हैं तो तुरन्त बाद दूसरा सवाल भी रख देते हैं। और मुझे वक्त नहीं देते कि मैं उस पर सोचूं .....

चौधरी चरण सिंह—

मैंने कुछ अगर कह दिया, इसके मतलब यह नहीं है कि सत्य पाल मलिक जी का हक नहीं रहा। उस समय तक कोई आर्गूमेंट नहीं हुये थे, मुझे क्या मालूम था कि आपके दिमाग में क्या है और आप क्या फैसला देंगे। आपने भी कोई आर्गूमेन्ट नहीं दिया था और न उधर से कोई चीज आई और न आपने कोई चीज सुनी, इसलिये फ्यूचर के लिये यह जानना चाहता हूं कि अगर इस तरह के एकतरफा जजमेंट देंगे तो कैसे सदन चलेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपने कहा कि ऐसे मामले आते हैं और आपको सोचने का अवसर नहीं मिलता। जब आप निर्णय दें तो इसमें क्या अनुचित है कि आप माननीय सदस्य जिन्होंने कोई प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किया हो, उनको अपने तर्क रखने का अवसर दें क्योंकि आपको किसी निर्णय पर पहुंचने के लिये इसमें आपको सहायता मिलेगी और यह उचित व्यवस्था भी है

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]
और न इसमें कोई दो राय हो सकती है। इसलिये जब माननीय चरण सिंह जी ने यह कहा कि तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिये, यह तो आपके सहयोग वाली चीज है और इसमें आप अवसर दे सकते हैं। यह माना कि आपको अधिकार है कि आप कोई भी निर्णय लें, लेकिन अगर कोई ऐसा गम्भीर अवसर आये तो आपको अवसर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप जो बात कह रहे हैं वह सही है और मैं हर चीज पर समय देता हूं। आपको शिकायत है किसी मामले पर? इसके साथ ही हमको अपना काम भी निपटाना है। मैंने पिछली दफा भी यह कहा था कि मैं कोई कार्य बकाया नहीं रखना चाहता, जितना है सबको समाप्त करना चाहता हूं .....

श्री बांके लाल—

इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी की बात न सुनें ...

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये मैंने कह दिया था कि जो माननीय सदस्य अपना तर्क रखना चाहते हैं वह मेरे कक्ष में आकर मेरी मदद करें और बराबर कहता रहता हूं कि मेरे कक्ष में आकर मेरी सहायता करें, लेकिन धौंस में आकर माननीय चरण सिंह जी की बात मानकर एक गलत काम उन्होंने मुझसे अपने बारे में करवा लिया .....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपका यह मेन्टल ऐक्ट था।

श्री सत्य पाल मलिक—

मान्यवर, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि मेरे प्रस्ताव से आपने जो अन्दाज लगाया कि मैं क्या चाहता हूं, वह गलत है। मैं चर्चा नही चाहता था चर्चा तो हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों का प्रस्ताव उसके एक्जीक्यूशन के बारे में था और हम कभी यह नहीं चाहते थे कि दुबारा चर्चा हो। आपने कहा था कि मुख्य मन्त्री को तो अविश्वास के प्रस्ताव से हटाया जा सकता ह, लेकिन हम यह चाहते हैं कि उनकी जांच न तो न्यायपालिका कर सकती है और न सरकारी तन्त्र कर सकता है। चूंकि इनकी तस्वीर सारे देश में लुटेरे और चोरों की तस्वीर है, हम अपने बारे में भी वह चीज चाहते हैं। और मान्यवर, सारे प्राविजन्स हैं। पार्लियामेंट में मुदगल कमेटी बन चुकी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सदस्यों ने जो व्यवहार किया उसके लिये कमेटी बन चुकी है। बहस का मुद्दा यह था कि हमारी जो इच्छा नहीं थी उसको हमारी इच्छा समझकर हमारा प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। मैं उसे नहीं उठाना चाहता। मैं यह चाहता हूं कि यह कमेटी बननी चाहिये क्योंकि राजनीति करने वालों की जांच करने के लिए और कोई मजबूत बाजू नहीं है, सिवाय इस सदन के।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे और आपके दोनों के ज्ञान वर्द्धन के लिये इसमें विस्तृत व्यवस्था दूं। बहुत समय तो नहीं मिला लेकिन संक्षेप में निवेदन करूंगा। श्री मलखान सिंह आदि द्वारा दिये गये प्रस्ताव में दिनांक १४ अप्रैल, १९७५ को उत्तर प्रदेश जन-संघर्ष समन्वय समिति द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री को श्री राजमंजल पांडेय परिवहन मन्त्री के विरुद्ध दिये गये आरोपों की जांच का प्रस्ताव है। उक्त आरोप-पत्र की एक प्रति श्री मुलायम सिंह यादव के प्रस्ताव के साथ नत्थी है और उसको देखने से यह प्रतीत होता है कि श्री राजमंगल पांडेय के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये हैं, वे व्यक्तिगत हैं और केवल मन्त्री की हैसियत से किये गये कार्यों के ही सम्बंध में नहीं हैं। उनमें ऐसे भी आरोप

हैं, जो उनकी सदन की सदस्यता अथवा सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं कहा जा सकता। यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या यह सदन ऐसी समिति नियुक्त कर सकता है जिससे यह अपेक्षा की जाय कि किसी सदस्य के विषय में वह, उसकी सदस्यता से असम्बद्ध अथवा उसकी सदस्यता से पूर्व के कार्यों की जांच करे।

इसी प्रकार एक मामला विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में १३, १६, १८ और २० दिसम्बर, १९७४ को लोक सभा में उठा था और उस पर दिनांक २० दिसम्बर, १९७४ को अपना निर्णय देते हुये माननीय अध्यक्ष, लोक सभा ने यह कहा था कि विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के लिये यह आवश्यक है कि किसी सदस्य का कदाचरण सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित हो। प्रस्तुत मामले में श्री आर० एल० गोयनका का कथित आचरण सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं था। अतएव, माननीय अध्यक्ष ने विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना पर अपनी सहमति नहीं दी। यद्यपि यह विषय विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न से सम्बन्धित है, तथापि उससे यह स्पष्ट होता है कि सदस्यता से अतिरिक्त या सदन की कार्यवाही से असम्बद्ध किसी कार्य के लिये सदन द्वारा जांच चाहे वह विशेषाधिकार की समिति के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से हो, अपेक्षित नहीं है।

इसके अतिरिक्त सन् १९५१ में श्री मुदगल के मामले में सदन के सदस्यों पर कदाचरण के आरोपों की जांच के सम्बन्ध में एक प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। उस प्रक्रिया को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में (१९५६ में) आम राय द्वारा स्वीकृत किया गया था। फिर लोक सभा में मन्त्रि-परिषद् के कुछ सदस्यों के विरुद्ध इस आरोप की जांच करने के लिये कि वह बिड़ला समूह के वेतन भोगी हैं, एक सदन की समिति नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रश्न उठाया गया था। उस समय प्रस्ताव पर दिनांक ३१ मई, १९६७ को अपना निर्णय देते हुए लोक सभा के अध्यक्ष, श्री एन० संजीवैया रेड्डी ने श्री मुदगल के मामले में स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया तथा ऐसे मामलों में जो प्रक्रिया निर्धारित थी, उसका उल्लेख "कौल तथा शकधर की पुस्तक" "संसदीय प्रणाली और व्यवहार" के पृष्ठ २८९–९० पर दिया हुआ है, जिसके अनुसार जब किसी सदस्य के कथित कदाचरण के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है तो सामान्य प्रथा यह है कि प्रधान मन्त्री उन आरोपों की जांच करता है और यदि प्रधान मन्त्री यह समझे और अध्यक्ष यह फील करें कि ऐसी जांच के लिये कोई प्रत्यक्ष कारण है तो यह मामला सभा के सामने लाया जाता है। इस सम्बन्ध में तब तक संसदीय समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा जाता है और उससे कहा जाता है कि वह इस विशेष मामले की जांच करे और एक निर्दिष्ट तिथि तक अपनी रिपोर्ट सभा को दे।

उपर्युक्त परम्परा के अपवाद स्वरूप लोक सभा का ही गत वर्ष का लाइसेंस कांड है। उसकी जांच के लिये समिति नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रश्न लोक सभा में आया था, जिस पर काफी विवाद था और अन्तत : उसे माननीय अध्यक्ष ने कार्य-मन्त्रणा समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट किया था और कार्य-मन्त्रणा समिति में सहमति के पश्चात् तत्सम्बन्धित प्रस्ताव को उठाने की इजाजत दी गयी थी। इस प्रकार यह मामला सन् १९५६ एवं १९६७ में डाली गयी प्रथा का अपवाद था जो सम्भवत : कार्य-मन्त्रणा समिति में सर्वसम्मति के आधार पर हुआ था। राइट आनरेबिल लार्ड जस्टिस सोलमन की अध्यक्षता में रायल कमीशन आन ट्रिब्यूनल्स आफ इन्क्वायरी, १९६६ की रिपोर्ट जो नवम्बर, १९६६ में यूनाइटेड किंगडम की संसद को प्रस्तुत की गयी थी, में इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि क्या संसद अपनी समिति द्वारा इस प्रकार के मन्त्रियों या सदस्यों के विरुद्ध आरोपों की जांच करे। इस सम्बन्ध में कमीशन ने पृष्ठ १० से १५ तक इतिहास का उल्लेख करते हुये ऐसे मामलों का भी उल्लेख किया है, जिनके सम्बन्ध में संसद की समिति अथवा न्यायाधिकरण द्वारा जांच की गयी और अपनी रिपोर्ट के पैरा

[श्री अध्यक्ष]

३५ (पृष्ठ १८) पर यह स्पष्ट कहा है कि ऐसी संसदीय समितियों का जो सार्वजनिक दुराचरण के किन्हीं आरोपों की जांच के लिये नियुक्त की जाती हैं, जो इतिहास रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और अन्त में यह भी कहा है कि यद्यपि आयोग इस बात को स्वीकार करता है कि बहुत से ऐसे प्रयोजन हैं, जिनके लिये संसदीय समिति बहुत अधिक उपयोगी और वास्तव में आवश्यक है, परन्तु सार्वजनिक दुराचार के आरोपों की जांच उनमें से एक नहीं है। ऐसे मामले कमीशन की राय में पूर्णतय : राजनैतिक प्रभाव से मुक्त रहने चाहिये। यही वजह है कि १९१२ में मारकोनी के मामले के बाद यूनाइटेड किंगडम में कोई ऐसी संसदीय समिति इस प्रकार के आरोपों की जांच के लिये नियुक्त की गयी नहीं प्रतीत होती है।

आईवर जैनिंग की पुस्तक कैबिनेट गवर्नमेंट (तृतीय संस्करण) के पृष्ठ १०६ पर मन्त्रि-परिषद् के सदस्य के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच का उल्लेख है, जिसमें इंगलैण्ड का संसद के संकल्प द्वारा 'ट्रिब्यूनल आफ इनक्वायरी (एवीडेंस ऐक्ट, १९२१) के अन्तर्गत जांच न्यायाधिकरण की नियुक्ति कराके की गयी थी और जिसके अध्यक्ष श्री न्यायाधिपति लिन्सको थे। यह मामला १९४८ का है और इसमें कोई संसदीय समिति गठित नहीं की गयी थी। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि श्री व्हेरे की पुस्तक गवर्नमेंट बाई कमेटी के पृष्ट ६८ पर किये गये कथन से होती है कि कुशासन और कदाचार के आरोपों की जांच के लिये ट्रिब्यूनल्स आफ इनक्वायरी (एवीडेंस ऐक्ट, १९२१) के अन्तर्गत न्यायाधिकरण नियुक्त किये जाते हैं, न कि कोई संसदीय समिति नियुक्त की जाती है। इसी प्रकार श्री उदय नाथ जैन की पुस्तक पार्लियामेंटरी कमेटीस इन इन्डिया के पृष्ठ ३२१ पर इस बात को लिखा है कि इस देश में समितियां जांच के लिये संसद या विधान मण्डल द्वारा नियुक्त की जाती हैं, परन्तु वह जांच केवल सूचना एकत्रित करने या कोई त्रुटि उजागर करने तथा सुधार और पुनर्गठन का सुझाव देने के लिये होती हैं। इस सन्दर्भ में विद्वान लेखक ने अमेरिका के एक सिनेटर द्वारा कहे गये शब्दों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं :

"The investigation is a 'delicate instrument which can not withstand the jolts and jars, the stress and strain of crude partisan handling."

उपर्युक्त तथ्यों एवं विद्वान् लेखकों के कथनों के सन्दर्भ में मैं समझता हूं कि यद्यपि श्री मलखान सिंह द्वारा किया गया प्रस्ताव नियमानुकूल है, फिर भी किसी सदस्य या मन्त्री के इस प्रकार के कदाचार के आरोपों की जांच के लिये इस सदन की समिति की नियुक्ति उपयुक्त नहीं कहीं जा सकती है, लेकिन चूंकि अचानक नियम २०० के अन्तर्गत स्वीकार करने का नेता विरोधी दल के खिलाफ आ चुका है, इसलिये मेरा कोई चारा नहीं। अत : मैं अपवाद के रूप में माननीय मलखान सिंह को प्रस्ताव करने की इजाजत देता हूं।

श्री काशीनाथ मिश्र ---

लेकिन मान्यवर, किस नियम के अनुसार ? नियम तो कोई हो ?

*डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक ५ सदस्यीय समिति का गठन करता है जोकि मन्त्रि-परिषद् के सदस्य, श्री राज मंगल पांडेय के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये अपने पद का दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी आरोप-पत्र जोकि दिनांक १४ अप्रैल, १९७५ को उत्तर प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जन -संघर्ष समन्वय समिति द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री को दिया गया है—की जांच करके अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत कर दे।

(शेष सदस्यों के नामांकन के लिये माननीय अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है।)

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रस्ताव नियम २०० के अन्तर्गत दिया है। इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से, मान्यवर, सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि सामाजिक जीवन और खासतौर से शासन में और राजनीति में काम करने वाले लोगों के प्रति जनता के किन्हीं नागरिकों की ओर से या सदन के माननीय सदस्यों की ओर से उनके आचरण और पद का दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में अगर कोई शिकायत होती है, तो उसके लिये नियमों में, मान्यवर, आपको अधिकार है और सदन को अधिकार है कि कमेटी गठित करके जांच की जाय। अध्यक्ष महोदय, इस तरह की कमेटी के गठन की प्रक्रिया को प्रथा पार्लियामेन्ट में भी है। चूंकि माननीय मन्त्री के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं और उन आरोपों के जांच की कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है, अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं मिला है कि इनके खिलाफ जो आरोप हैं, उनकी जांच की जाय कि क्या सत्यता है, तो जब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो इस सदन को अधिकार है कि इनके विरुद्ध जो आरोप हैं, उनकी जांच के लिये कमेटी गठित की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इनके विरुद्ध जो विभिन्न आरोप लगाये गये हैं उनके बारे में मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूं। वर्ष १९७३ में जब माननीय मन्त्री मन्त्रिमन्डल में सम्मिलित थे, और इनके पास परिवहन विभाग था, तो इस विभाग में परिचालकों की कुछ जगहें निकलीं। ११० जगहें परिचालकों की भर्ती करने के लिये निकलीं और उन ११० जगहों के लिये हजारों उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्र आये। लेकिन हुआ यह कि ११० पदों की भरती में जो नियुक्ति-पत्र दिये गये उनमें से ८० उम्मीदवारों के पते थे द्वारा श्रीमती मालती पांडे, ११०, अशोक नगर, लखनऊ। तो इस प्रकार से माननीय मन्त्री जी के पद का दुरुपयोग हुआ और यह आरोप माननीय सदन के विचाराधीन है। इसकी जांच करने के लिये समिति का गठित करना अनुचित नहीं होगा।

श्री काशी नाथ मिश्र—

व्यवस्था का प्रश्न है। यह प्रस्ताव केवल कमेटी बनाने के लिये है। राजमंगल पांडेय के सार्वजनिक जीवन अथवा उनके चरित्र के ऊपर बहस करने के लिये यह प्रस्ताव नहीं है। अगर ऐसा होता तो प्रस्ताव का रूप ही दूसरा होता। राजमंगल पांडेय के सार्वजनिक जीवन के कार्यकलापों का उल्लेख करना न्यायसंगत नहीं होगा। यह इस प्रस्ताव की परिधि के बाहर है। आरोपों की चर्चा नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष—

एक बात मुझे कहनी है कि २ बजे तक समय दिया था। १५ मिनट मैं अपनी तरफ से बढ़ाये देता हूं। ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा।

डाक्टर मलखान सिंह—

माननीय मन्त्री ने मन्त्रि-परिषद् में परिवहन विभाग संभाला जिस समय उस समय १० हजार आवेदन-पत्र स्कूटर्स के आबंटन के लिये इस विभाग के पास थे। इन १० हजार प्रार्थना-पत्रों में एक दर्जन को भी स्कूटर नहीं दिये गये।

श्री अध्यक्ष—

जन-संघर्ष समिति द्वारा आरोपों का आप जिक्र कर सकते हैं लेकिन विशिष्ट आरोपों का जिक्र नहीं कर सकते।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

माननीय सदस्य सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ....

डाक्टर मलखान सिंह—

मैं बता रहा था कि ३० अक्तूबर, १९७४ तक ९६ स्कूटर देवरिया को दिये गये, १२४ इलाहाबाद को। ये दिये गये उनको, जिन्होंने चुनाव में कार्य किया था और बाकी जिलों में १, २ अथवा ३ आवंटित किये गये।

श्री अध्यक्ष—

यह चार्जेज सब आरोप पत्र में दिये हुये हैं।

डाक्टर मलखान सिंह—

लखनऊ कारपोरेशन को छोड़कर जितने कारपोरेशन्स हैं किसी को भी स्कूटर का आबंटन ठीक से नहीं किया गया।

मान्यवर, देवरिया और इलाहाबाद को छोड़कर बाकी सभी जिलों को किसी को एक, किसी को दो स्कूटर दिये ...

श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी—

आप सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। इन्हें बैठाइये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

यहां पर इस समय कमेटी बनाने का प्रस्ताव है। कोई मिनिस्टर गलत काम करता है तो ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो सवाल उठा है उसको खत्म करना है। माननीया बख्शी जी जरूरत से ज्यादा उत्तेजित न हों। जवाब देने का मौका मिल जायेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, सिर्फ कमेटी बनाने का प्रस्ताव है उसके सम्बन्ध में एक-दो बातें इलस्ट्रेटिवली कह कर समाप्त किया जाना चाहिये। यह एक्जौस्टिव बहस नहीं है। उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में आपने कह दिया कि अपवादस्वरूप एक-दो बातें होनी चाहिये। उधर से जैसा मनोभाव होगा वैसे ही इधर से भी जवाब दिया जायेगा।

डाक्टर मलखान सिंह—

माननीय मुख्य मन्त्री जी को आपत्ति है। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं आरोपों की विस्तार से विवेचना नहीं करूंगा। मान्यवर, मैं कह रहा था कि माननीय मन्त्री जी देवरिया जिले से चुने गये थे और उस वक्त जिन लोगों ने या जिलाधिकारियों ने उनके हित में कार्य किया उनको उन्होंने फियट एलाट की हैं .... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

जो आपने लिखकर दिया है वहीं तक सीमित रहें।

श्री गोपी नाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, इलेक्शन से पहले ये पोस्ट औफिस क्लर्क थे और इन पर १५ हजार रुपये के गबन का चार्ज लगाया गया था। जब नौकरी जाने लगी तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आप इल्जाम लगा रहे हैं।

डाक्टर मलखान सिंह—

मान्यवर, मैं कह रहा था कि स्वतन्त्रता संग्राम में इन मन्त्री जी ने कोई सजा नहीं भोगी। थोड़े दिनों नजरबन्द रहे। उसका फायदा इन्होंने यह उठाया कि एक जाली सर्टिफिकेट बनवा लिया।

एक सदस्य—

चरित्र हनन की चर्चा यहां पर हो रही है। इनको वही प्रस्ताव पढ़ने का अधिकार है जो उन्होंने लिखकर दिया है....

श्री अध्यक्ष—

आप संक्षेप में कहें। (कई सदस्यों के खड़े होने पर) क्या आप चाहते हैं कि बहस ३-४ दिन तक चले।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, ये पोस्ट औफिस में क्लर्क थे और १५ हजार रुपये का गबन का मामला इनके ऊपर था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं लेकिन यदि प्रस्ताव न हो तो यह नहीं कह सकते।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, ये बीच में क्यों बोल रहे हैं। आप व्यवस्था दें, जो उचित समझें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप जल्दी समाप्त करें।

डाक्टर मलखान सिंह—

मैं कह रहा हूं कि ये स्वतन्त्रता संग्राम में जेल नहीं गये, कोई यातना नहीं भोगी। हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो स्वतन्त्रता संग्राम में भरती होकर जेल भेजे गये.... (व्यवधान) नजर बन्द रहे हैं। ५० एकड़ जमीन जिला नैनीताल में पट्टे पर करवाई। और उस जमीन को जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० के विपरीत आपने अपने रिश्तेदारों व सम्बन्धियों को हस्तान्तरित कर दिया, ताकि वह सीलिंग से बच सके। यह स्वतन्त्रता संग्राम में जेल नहीं गये। जेल गये किन्तु इन्हें कोई सजा नहीं हुई। केवल कुछ दिन नजरबन्द रहे थे। इनको सजा तो झांसी की एक अदालत से लड़की भगाने के सम्बन्ध में हुई थी..... (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

इसमें यह तो है कि श्री राजमंगल पांडेय जो स्वतन्त्रता संग्राम के न सेनानी हैं और न किसी प्रकार से इन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम की यातनायें भोगीं। किन्तु यह जो आप कह रहे हैं, वह नहीं है। (व्यवधान)।

श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया—

यह जो लड़की भगाने वाली बात इन्होंने कही है, इस पर आपका क्या कहना है इसे आप निकलवाइये। (व्यवधान)।

श्री जयराज गौतम (जिला सुल्तानपुर)---

यह चरित्रहनन का कार्य यहां हो रहा है, अध्यक्ष जी आप इसको रोकवाइये।

(घोर व्यवधान)

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)---

इस तरह से हम सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज के बाद यदि आपके लोगों ने इस तरह की गड़बडी की, जो भी असरकारी दिवस है, उस पर हम लोगों के प्रस्तावों पर यदि आप ने हम लोगों को कोई कार्यवाही नहीं करने दी तो सरकार की कार्यवाही भी हम नहीं चलने देंगे (व्यवधान)...अध्यक्ष जी, आप मना क्यों नहीं करते।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

असरकारी दिवस का मतलब यह थोड़े है कि सदन के माननीय सदस्यों पर कीचड़ उछाला जाए।

डाक्टर मलखान सिंह---

मैं यह कह रहा था कि इनको सजा स्वतन्त्रता संग्राम की लड़ाई में नहीं, बल्कि एक लड़की भगाने के आरोप में झांसी की एक अदालत में हुई थी, वह अपील में फिर बाद में सजा माफ हो गई। ये इन्होंने गम्भीर अनियमितायें की हैं। इसलिये इनके विरुद्ध तमाम गम्भीर से गम्भीर और पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करने के लिये आप एक समिति का गठन करें जो जांच करके अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत कर दे।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष जी, जो कुछ बात मलखनान सिंह जी ने कही है कि माननीय राजमंगल पान्डेय स्वराज्य की लड़ाई में जेल नहीं गये, उस सम्बन्ध में मैं उनको इत्तिला देना चाहता हूं, शायद वह अपनी बात को सही कर लें। यदि नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वह सदन को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। वह (श्री पान्डेय) मेरे साथ नैनी प्रिजन में सन् १९४२ के स्वतन्त्रता संग्राम में, प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र के नाते, छात्र आन्दोलन में बन्दी रहे हैं। उसके लिये जेल का रिकार्ड आपके सामने किसी वक्त पेश किया जा सकता है। अगर आप उस तथ्य को वापस नहीं लेते हैं तो मैं मानूंगा कि आप जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं और फिर काशी नाथ मिश्र उसके लिये प्रक्रिया शुरू कर देंगे।

(व्यवधान) (घोर शोर)

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)---

माननीय मुख्य मन्त्री जी एक बात का जवाब दे दें कि ६ महीने ये जेल में रहे कि ६ दिन तक रहे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय मलखान सिंह जी, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बात उठाई है आपको सम्बोधित कर रहे थे।

डाक्टर मलखान सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको विदित है कि जनसंघर्ष प्रतिनिधि ने एक आरोप-पत्र माननीय मुख्य मन्त्री जी को दिया है। (शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप क्यों उनकी बात सुनने नहीं देते हैं ?

(व्यवधान) (कई सदस्य एक साथ खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

आप बिलकुल न बोलें, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा है उनको कहने दीजिये, वह रिकार्ड पर आयेगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अगर कहा कि जानबूझकर आप कह रहे हैं तो उसका जवाब दे देने दीजिये।

डाक्टर मलखान सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि चूंकि आपने कहा कि वह जेल में आपके साथ रहे, मैं यह कह रहा हूं कि एक जन-संघर्ष सामान्य समिति ने एक आरोप लगाया, वह आपको मिला। माननीय मन्त्री जी स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान ६ महीने की सजा जेल में नहीं भोगी।

श्री अध्यक्ष---

अब उन्होंने अपना बयान बदल दिया। अब कुछ उन्होंने जिसे वाटर डाउन कहते हैं कर दिया है।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, जो प्रस्ताव श्री मलखान सिंह जी ने अभी प्रस्तुत किया है वह प्रस्ताव किसी भी प्रकार पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस प्रक्रिया और इस सदन के इतिहास, इस सदन में जो इतने वर्षों से प्रक्रिया चली आ रही है इसके बिलकुल विरुद्ध है। श्रीमन्, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सदन में लगभग जो पिछले यहां पर जो अध्यक्षों की रूलिंग रही है, इस सब का ध्यान करते हुये नियम समिति ने जो नियम बनाये हैं, उनको देखते हुए कोई भी नियम इस नियमावली का नहीं है जिसके अन्तर्गत किसी सदस्य या किसी मन्त्री के आचरण पर हाउस की कमेटी विचार करे। (व्यवधान) श्रीमन्, केवल एक नियम है २००। अगर नियम २०० पढ़ना है तो इसके साथ ही साथ मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि नियम २०५ भी देख लें। नियम २०५ में लिखा है---इनमें से प्रत्येक समिति के सदस्यों की पदावधि एक वित्तीय वर्ष होगी। यानी नियम २०० के अनुसार जो समितियां बनायी जाती हैं उनकी एक साल की अवधि होगी और उसी नियम २०५ के आगे लिखा है कि---"परन्तु इन नियमों के अन्तर्गत निर्वाचित या नाम-निर्देशित समितियां जब तक विशेष रूप से अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाये, उस समय तक पद धारण करेंगी जब तक कि नयी समिति नियुक्त न हो जाये।" अभी स्टैंडिंग कमेटी जिनका चुनाव स्थगित किया गया है, यह उनके लिए है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने स्थगित नहीं किया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

आपने नहीं, हमने, सदन ने।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी, इस्टीमेट्स कमेटी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी आदि का जिनको स्पीकर नामिनेट करता है या यह सदन इलेक्ट करता है। आप नियम २०५ को पढ़ें। इसमें साफ लिखा हुआ है कि इनमें से प्रत्येक समिति के सदस्यों की पदावधि एक वित्तीय वर्ष होगी। तो श्रीमन्, आप कल्पना करें कि जो प्रस्ताव माननीय मलखान सिंह ने रखा है, वह कैसे रह सकता है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम २१६ की ओर ले जाना चाहता हूं। उसके उप नियम (४) को आप देखें। अगर यह रिपोर्ट हाउस

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

दे दे तो क्या होगा ? मान लीजिये कमेटी बन जाये। नियम २१६ (४) में लिखा हुआ है कि---प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरान्त किन्तु उपस्थित की तिथि से १५ दिन के भीतर किये जाने पर अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उस प्रतिवेदन पर विचार के लिये समय नियत करेंगे। सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे। मान्यवर, यह कोई भावना या नाराजगी का प्रश्न नहीं है। नियम २१६ आपके सम्मुख है। सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे तो फिर क्या होगा ? सारा काम निरर्थक हो जायेगा।

श्री बाबू लाल वर्मा ---

यह जो नियम का हवाला माननीय मन्त्री जी दे रहे हैं यह बहुत पुराने हैं, १९१८ के बने हैं। उस समय देश और प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार नहीं था जितना आज है। यह जो नियम पढ़े गये हैं यह पुराने हैं। आज भ्रष्टाचार बढ़ गया है।

श्री अध्यक्ष---

आप नये नियम बना देंगे। अभी पुराने हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

अब श्रीमन्, मैं विधान सभा की शक्तियों के बारे में कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद १९४(३) में लिखा है कि---"अन्य बातों में राज्य के विधान मन्डल के सदन की तथा ऐसे विधान मण्डल के सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगीं जैसी कि वह विधान मण्डल समय-समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंगलिस्तान की पार्लियामेन्ट की हाउस आफ कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की हैं।" अब श्रीमन्, हमारे संविधान में लिखा है हमारी समितियों की वही शक्तियां होगीं जो हाउस आफ कामन्स की हैं। अब हाउस आफ कामन्स के अनुसार शक्तियां क्या होंगी ? हाउस आफ कामन्स की समितियों का सारा इतिहास साक्षी है, वहां पर राजनीतिक आधार पर समितियां बनीं। मेरे पास इसका पूरा इतिहास है। पहले पहल जब हाउस आफ कामन्स में इस प्रकार की समिति बनी लिट्रेचट (Litrecht) की संधि के बारे में तो उसके अध्यक्ष सर रौबर्ट वालपोल थे। रौबर्ट वालपोल का जब बहुमत नहीं रहा तो उनके खिलाफ कमेटी बैठ गई और उनके खिलाफ निर्णय दे दिया। १९१२ में लिबरल शासन के पोस्ट मास्टर जनरल (Post Master General) के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने मार्कोनी कम्पनी को राज्य में बेतार के तार के स्टेशनों को लगाने का टेन्डर घूस लेकर स्वीकार किया। तो हाउस आफ कामन्स में एक कमेटी बन गई। चूंकि सदस्यों की संख्या पार्टियों के आधार पर थी, इस कारण इसकी रिपोर्ट भी मेजोरिटी और माइनोरिटी के आधार पर बंट गई। बहुमत रिपोर्ट के द्वारा इस अभियोग को गलत पाया गया और अल्पमत द्वारा वह दोषी पाये गये। तो फिर हाउस आफ कामन्स ने इस पर पूरा विचार किया और निर्णय लिया कि इस प्रकार के मामलों में संसदीय समितियां नहीं होनी चाहिये। इन सब बातों को देखते हुये इंगलैन्ड में Tribunal of Inquiry (Evidence) Act, 1924 पास किया। वर्ष १९६६ में इस प्रकार की एक सेलेक्ट पार्लियामेन्टरी कमेटी ने जांच की कि इस प्रकार के ट्राइब्यूनल आफ इनक्वायरी (एविडेन्स) ऐक्ट, १९२१ के क्या परिणाम निकले। उसके जो विचार हैं, उन्हें मैं पढ़े देता हूं। वे इस प्रकार से हैं :

"The record of such Committees (Select Parliamentary Committee) appointed to investigate allegations of public misconduct is, to say the least, unfortunate, as we have shown in Chapter II.

The Marconi scandal for this purpose sounded the death knell of this form of investigation, and because it was wholly discredited, the Act of 1921 was passed. To go back to it would, in our view, be a retrograde step.

मारकोनी वाले मामले में जांच हुई। इस प्रकार की जांच की मृत्यु हो गई। फिर ऐक्ट पास किया गया। यहां पर.....

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय संसदीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नतीजा क्या निकला? यह नतीजा कहां निकला कि इस प्रकार कमेटी नहीं बन सकती है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां पर दलीय दृष्टिकोण से विचार होने लगे वहां पर इस प्रकार के निष्कर्ष गम्भीर नहीं निकल सकते हैं। नियमावली में साक्षी का प्रश्न है। कमेटी साक्ष्य लेगी, तो क्या यह एवीडेन्स ऐक्ट होगी? जो साक्ष्य यहां पर होगा क्या वह प्रिविलेज्ड एवीडेन्स होगी? क्या जो गवाहियां हाउस की कमेटी के सामने होंगी, वे ऐसी होंगी जिस पर बाहर कोर्ट में निर्णय हो सके? तो यह सम्भव नहीं है।

हमारे संविधान के ३ भाग हैं—एक जुडिशियरी, एक एक्जीक्यूटिव और तीसरी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम जुडिशियरी नहीं कर सकती है और जुडिशियरी का काम एक्जीक्यूटिव नहीं कर सकती है। तो यह एक ऐसा मामला है तथाकथित जांच का जिसे यह लेजिस्लेचर नहीं कर सकती है, जुडिशियल बाडी कर सकती है।

मान्यवर, माननीय चरण सिंह जी, नेता विरोधी दल, जब स्वयं मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने २९ नवम्बर, १९६७ को संसद सदस्यों के नाम एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि सब बातों की तुलना में कमीशन आफ पब्लिक इनक्वायरी जो पब्लिक आर्डिनेन्स निकलेगा, यह ज्यादा ठीक होगा। इस पत्र में इन्होंने कहा था कि "अपने राज्य में, हम लोगों ने कमीशन्स आफ इनक्वायरी ऐक्ट के उपबन्धों, प्रशासकीय सुधार आयोग द्वारा संस्तुत लोकपाल योजना, दन्ड विधि और प्रक्रिया के वर्तमान उपबन्धों, संविधान के उपबन्धों और जांच न्यायाधिकरणों पर ब्रिटिश रायल कमीशन की रिपोर्ट तथा पार्लियामेन्टरी कमिश्नर फार एडमिनिस्ट्रेशन विषयक ब्रिटिश सरकार के श्वेत पत्र पर सावधानी से विचार करने के उपरान्त इस समस्या के न्यायोचित समाधान के लिये एक योजना तैयार की है और इस योजना के आधार पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक व्यक्तियों की जांच अध्यादेश, १९६७ जारी किया है।" उस समय भी विद्वान नेता विरोधी दल की सरकार ने विचार किया। उन्होंने हाउस की कमेटी को रिजेक्ट किया और आर्डिनेन्स लाये। तो जिसे सदन ने पहले भी रिजेक्ट कर दिया आज उसको लाना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं होगा।

चौधरी चरण सिंह—

अगर आप उस आर्डिनेन्स को एक्सेप्ट कर लें, वैसा ही कानून बना दें तो यह रेजोल्यूशन अपने दोस्तों से कह कर वापस करा दूंगा। कोई इलाज नहीं रह गया तब लाये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो लोक आयुक्त सम्बन्धी मई में कानून बनाने की बात है उसमें इसकी बहुत सी बातें हैं। उसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है। तो मेरा नेता विरोधी दल और नेता जनसंघ से आग्रह है कि इस प्रकार अगर हाउस में रोज आरोप लगने लगेंगे तो कोई अन्त नहीं होगा और आरोपों की झड़ी लग जायगी। कितनी स्टैंडिंग कमेटीज बैठेंगी, आप कल्पना करें। इतिहास के सन्दर्भ में हमें इस प्रश्न को देखना चाहिये। जो लोग राजनीति

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

के जानकार नहीं हैं, जो पोलिटिकल साइन्स की नाइसिटीज को नहीं जानते हैं, जो कांस्टीट्यूशनल और पार्लियामेन्टरी फार्म आफ गवर्नमेंट की नाइसिटीज को नहीं जानते, हो सकता है कि उनकी समझ में बात न आये या कम आये, लेकिन इस सदन के अन्दर विचारक मौजूद हैं। कहां है वह आज? मैं उनकी बुद्धि और विवेक को अपील करता हूं कि अपने हृदय के अन्तरतम से कहें कि क्या हम इस प्रकार की कोई परिपाटी डालने के लिये तैयार हैं जो यहां के इतिहास, यहां की परम्परा, यहां के संविधान, हाउस आफ कामन्स जिससे शक्ति हमें मिली हुई है उसके प्रतिकूल है और सही काम चल सके सदन का इस भावना के जो अनुकूल नहीं है क्या हम उसे स्वीकार करेंगे? मुझे विश्वास है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर हम इस पर विचार करेंगे। आज यह सरकार है, कल दूसरी सरकार आयेगी। कोई भी मिनिस्टर शासन को नहीं चला सकता है अगर उसका मनोबल ऊंचा न हो और रोज उसे एक्सप्लेनेशन देना पड़े। तो यह भविष्य के लिये, प्रजातन्त्र को शक्ति प्रदान करने के लिये आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रस्ताव को हम नामन्जूर करें।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)---

एक मेरा निवेदन सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा आपने हमको बांध दिया।

श्री भीखा लाल---

दो मिनट में सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

एक सिद्धान्त मैंने अपनाया है कि जिसने प्रस्तुत किया है उसको मैंने अवसर दिया। उसका जवाब हो गया। अब जवाब के बाद फिर कैसे वह उठेगा?

श्री भीखा लाल---

हमसे कहा जा रहा है कि वोट दो। लेकिन जिस चीज पर वोट देना है उस चीज का हमको पता ही नहीं है और हमसे कहा जा रहा है कि कमेटी बनाओ। तो अंधेरे में तीर कैसे चलायें? आपको भले ही मालूम हो, इस सदन को मालूम नहीं कि क्या आरोप हैं?

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी आपने अपनी बोलने की इच्छा को व्यक्त नहीं किया था। यह अद्भुत और अभूतपूर्व परम्परा होगी कि आखिरी जवाब के बाद भी बहस चलायी जाय।

प्रश्न यह है कि यह सदन माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक ५ सदस्यीय समिति का गठन करता है जो कि मन्त्रि-परिषद् के सदस्य, श्री राजमंगल पांडेय के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये अपने पद का दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धी आरोप-पत्र जोकि दिनांक १४ अप्रैल, १९७५ को उत्तर प्रदेश जन संघर्ष समन्वय समिति द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री को दिया गया है---की जांच करके अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

चौधरी चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय .... (व्यवधान) जो वोट आप ले चुके उस प्रस्ताव के बिषय में कुछ नहीं कहना है। यह कहना है कि यह प्रस्ताव एक मजबूरी में लाया गया, किसी को उसके लाने में खुशी नहीं है ..... (शोर---व्यवधान)।

श्री काशी नाथ मिश्र--

प्रस्ताव के बारे में अब कोई चर्चा नहीं हो सकती।

श्री भीखा लाल--

अब उनको भी बोलने की इजाजत नहीं होना चाहिये। (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

क्योंकि कोई रास्ता नहीं रह गया था इसलिये यह लाना पड़ा। मैं यह उम्मीद करता था कि माननीय दोस्त इसको मन्जूर करेंगे लेकिन नहीं मंजूर किया, जिसका मतलब यह है कि सार्वजनिक जीवन में ये लोग स्वच्छता नहीं चाहते हैं। इसलिये मैं और यह मेरा दल सदन त्याग करता है।

(चौधरी चरण सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

पब्लिक लाइफ को स्वच्छ रखने के लिये हमारे साथी ने यह प्रस्ताव मूव किया था, हम समझते थे कि ये लोग इसे स्वीकार करेंगे। सदन ने उसे स्वीकार नहीं किया, न्याय की भावनाओं को न्याय से दूर कर दिया .... (व्यवधान) इसलिये हम लोग भी सदन का त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हरिकेवल (जिला देवरिया)--

हम और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी सदन त्याग करते हैं।

(श्री हरिकेवल अपने सदल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को नौकरी में प्राथमिकता तथा बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)†

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक में कुछ संशोधन किये जा रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष--

श्री ओम प्रकाश सिंह का सूची का १३वां प्रस्ताव चल रहा था वह नहीं है। उस विषय में सरकार की तरफ से किसी को कुछ कहना है, तो कहें।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

हम इसका विरोध करते हैं, किसी को कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के जो व्यक्ति विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त करके लौटे हैं तथा जो देश में ही पी० एच० डी० या समकक्ष शोध किये हैं उन्हें अनिवार्य रूप में प्राथमिकता के आधार पर योग्यतानुसार नौकरी दी जाय तथा इस प्रकार के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

†१७ अगस्त, १९७४ की कार्यवाही से।

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७५ †

उच्च शिक्षा मन्त्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७५, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २–३

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २९, १९७४ द्वारा यथा: संशोधित तथा पुन: अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या १०, १९७३ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुन: अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा यथासंशोधित तथा पुन: अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा १ में, उपधारा (३) में शब्द 'राज्य सरकार' के पश्चात् शब्द 'समय-समय पर' बढ़ा दिये जायें।

धारा १२ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा १२ में, उपधारा (९) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाये और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्—

"परन्तु जब किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध अथवा सहयुक्त महाविद्यालय का कोई अध्यापक अथवा अन्य कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाय तो उसे उस भविष्य निधि में जिसका वह अभिदाता है, अंशदान करते रहने की अनुमति होगी और विश्वविद्यालय का अंशदान उस सीमा तक रहेगा जिस सीमा तक वह उसके कुलपति नियुक्त होने के ठीक पूर्व अंशदान करता रहा हो।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४-५

धारा २१ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा २१ में, उपधारा (३) में, शब्द "राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय" के पश्चात् शब्द "अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या शिशेष आदेश के अनुसार के सिवाय" बढ़ा दिये जायें।

धारा २८ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा २८ में –

(क) उपधारा (४) में, शब्द "प्रवेश पाने के लिये मापदण्ड या रीति" के पश्चात् शब्द तथा कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है)" रख दिये जायें ;

---

†१० अप्रैल, १९७५ की कार्यवाही में छपा है।

(ख) उपधारा (५) में, शब्द "इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में प्रवेश" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में और शिक्षा में उपाधि के लिये शिक्षण पाठ्य-क्रमों में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है)" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६ से ८

धारा ३३ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा ३३ में, शब्द "जो विहित की जाय" के स्थान पर शब्द "जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें" रख दिये जायें।

धारा ३७ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा ३७ में, उपधारा (२) का परन्तुक निकाल दिया जाय।

धारा ५१ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ५१ में, उपधारा (२) के खण्ड (झ) में शब्द "वैतनिक अधिकारियों" के स्थान पर शब्द "वैतनिक कर्मचारियों" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ६, ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

खंड ९-१०

नये अध्याय ११-क का बढ़ाया जाना

९—मूल अधिनियम के अध्याय ११ के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

अध्याय ११-क

उपाधि महाविद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों का वेतन संदाय

परिभाषायें

६०-क—इस अध्याय में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(१) 'महाविद्यालय' से कोई ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उसे तत्समय राज्य सरकार से पोषण अनुदान मिलता हो (किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप से पोषित महाविद्यालय नहीं है);

(२) 'उप निदेशक' से सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस अध्याय के अधीन उप-निदेशक के सभी या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है;

(३) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, 'कर्मचारी' से ऐसे महाविद्यालय का अध्यापनेतर कर्मचारी अभिप्रेत है —

(क) जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष १९७४-७५ के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो; या

(ख) जो शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से किसी पद पर नियुक्त किया गया हो ;

(४) 'पोषण अनुदान' से किसी महाविद्यालय का ऐसा सहायक अनुदान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उस महाविद्यालय के स्तर के लिये समुपयुक्त पोषण अनुदान मानने के लिये निदेश दें ;

(५) 'वेतन' का वही अर्थ होगा जो धारा ५६ के खण्ड (ख) में उसके लिये दिया गया है ;

(६) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, 'अध्यापक' से ऐसा अध्यापक अभिप्रेत है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष १९७४-७५ के दौरान राज्य सरकार द्वारा पोषण अनुदान दिया जा रहा हो, अथवा जो—

(क) सम्बद्ध कुलपति की अनुज्ञा से १ अप्रैल, १९७५ के पूर्व सृजित किसी पद पर, या

(ख) शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) की अनुज्ञा से ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् सृजित किसी पद पर,

सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुल पति के अनुमोदन से नियोजित हो।

समय के भीतर और अप्राधिकृत कटौतियां किये बिना वेतन का भुगतान

६०-ख—(१) किसी प्रतिकूल संविदा के होते हुये भी ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् किसी कालावधि के सम्बन्ध में किसी महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का संदाय उस मास के जिसके लिये या जिसके किसी भाग के सम्बन्ध में वह देय है, अनुवर्ती मास की बीसवीं तारीख की समाप्ति के पूर्व या उससे और पहले ऐसी तारीख को जैसा राज्य सरकार सामान्य आदेश द्वारा उस निमित्त नियत करे, उसे किया जायगा।

(२) सिवाय उन कटौतियों के जो इस अधिनियम, परिनियमों, या अध्यादेशों, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत हो, वेतन का संदाय किसी भी प्रकार की कटौतियों के बिना किया जायगा।

निरीक्षण करने की शक्ति

६०-ग—(१) उप निदेशक किसी समय इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये किसी महाविद्यालय का निरीक्षण कर सकेगा अथवा निरीक्षण करवा सकेगा या उसके अध्यापकों अथवा कर्मचारियों के वेतन के संदाय के सम्बन्ध में उसके प्रबन्धतन्त्र से ऐसी सूचना तथा अभिलेख (जिसके अन्तर्गत रजिस्टर, लेखा बहियां तथा वाउचर भी हैं) मांग सकेगा अथवा वित्तीय औचित्य के ऐसे सिद्धान्तों के अनुपालन के लिये उसके प्रबन्धतन्त्र को कोई निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी की छटनी करने अथवा किसी अपव्ययकारक व्यय के प्रतिबन्ध के लिये कोई निदेश भी है) दे सकेगा जिसे वह उचित समझे।

(२) उपधारा (१) के अधीन छटनी के लिये प्रत्येक निदेश शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् जारी किया जायगा और उसमें ऐसा भावी दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब से ऐसी छटनी प्रवृत्त होगी।

(३) जहां उपधारा (१) तथा (२) के अनुसार छटनी के लिये कोई निदेश जारी किया जाय, वहां सम्बद्ध अध्यापक अथवा कर्मचारी, इस अध्याय के अधीन संदेय पोषण अनुदान के प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से महाविद्यालय का अध्यापक अथवा कर्मचारी नहीं रह जायगा।

कतिपय महाविद्यालयों की दशा में वेतन संदाय की प्रक्रिया

६०-घ—(१) प्रत्येक महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र अपने अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन के संवितरण के प्रयोजनों के लिये, किसी अनुसूचित बैंक अथवा सहकारी बैंक या डाकखाने में एक पृथक लेखा (जिसे आगे इस अध्याय में 'वेतन संदाय लेखा' कहा गया है) खोलेगा, जिसे प्रबन्धतन्त्र के एक प्रतिनिधि और उप निदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जो उप निदेशक द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, संयुक्त रूप से चलाया जायगा :

परन्तु वेतन संदाय लेखा खोले जाने के पश्चात्, यदि उप निदेशक का, धारा ६०-ज के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में ऐसा करना समीचीन है, तो वह बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि लेखा अकेले प्रबन्धतन्त्र के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जायगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखंडित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि उपधारा (३) में निर्दिष्ट दशा में, अथवा जहां किसी अन्य दशा में प्रबन्धतन्त्र को हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् उप निदेशक की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो उप निदेशक बैंक को यह अनुदेश दे सकेगा कि वेतन संदाय लेखा केवल उप निदेशक द्वारा ही अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे वह उस निमित्त प्राधिकृत करे, चलाया जायगा और वह किसी भी समय ऐसे अनुदेश को विखंडित कर सकेगा।

(२) राज्य सरकार समय-समय पर, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा किसी महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह छात्रों से फीस के रूप में प्राप्त धनराशि का ऐसा भाग, और महाविद्यालय की या उसके लाभार्थ पूर्णत : या अंशत : धर्मार्थ स्वति किसी जंगम, या स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय का ऐसा भाग भी, यदि कोई हो, ऐसी तारीख तक जिन्हें उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, वेतन संदाय लेखा में जमा करे, और तदुपरान्त प्रबन्धतन्त्र ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

(३) जहां उप निदेशक की यह राय हो कि प्रबन्धतन्त्र ने उपधारा (२) अथवा तदधीन जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार फीस नहीं जमा की है, वहां उपनिदेशक, आदेश द्वारा, प्रबन्धतन्त्र को छात्रों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा और तदुपरान्त, उप निदेशक छात्रों से प्रत्यक्षत : (या तो महाविद्यालय के अध्यापकों के माध्यम से अथवा ऐसी अन्य रीति से जिसे वह उचित समझे) फीस वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गयी फीस को वेतन संदाय लेखा में जमा करेगा।

(४) राज्य सरकार भी वेतन संदाय लेखा में पोषण अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय करेगी जो, उपधारा (२) तथा (३) के अधीन जमा की गई धनराशि को ध्यान में रखते हुये, उपधारा (५) के अनुसार संदाय करने के लिये आवश्यक हो।

(५) वेतन संदाय लेखा में जमा धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायगा, अर्थात् —

(क) ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् की किसी कालावधि के लिये महाविद्यालय के अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को देय होने वाले वेतन के संदाय के लिये ;

(ख) सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखे में प्रबन्धतन्त्र का अंशदान, यदि कोई हो, जमा करने के लिये।

(६) किसी अध्यापक अथवा कर्मचारी का वेतन, वेतन संदाय लेखा से उसी बैंक में उसके लेखे में, यदि कोई हो, धनराशि का अन्तरण करके, अथवा यदि उस बैंक में उसका लेखा न हो तब चेक द्वारा संदत्त किया जायगा।

वेतन के संबंध में दायित्व।

६०-ङ—(१) राज्य सरकार प्रत्येक महाविद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों के ३१ मार्च, १९७५ के पश्चात् की किसी कालावधि के सम्बन्ध में देय होने वाले वेतन का संदाय करने के लिये देनदार होगी।

(२) राज्य सरकार कोई ऐसी धनराशि जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा उपधारा (१) के अधीन कोई दायित्व उपगत हो, महाविद्यालय की अथवा उसम निहित सम्पत्ति की आय को कुर्क करके वसूल कर सकेगी मानो वह धनराशि ऐसे महाविद्यालय द्वारा देय भू-राजस्व का बकाया हो।

(३) इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि इससे किन्हीं ऐसे देयों के सम्बन्ध में जो अध्यापक अथवा कर्मचारी को देय हो, महाविद्यालय के दायित्वों का अल्पीकरण होता है।

दण्ड, शास्तियां तथा प्रक्रिया

६०-च—(१) यदि धारा ६०-ग के अधीन किसी निदेश का या धारा ६०-ख या धारा ६०-घ के उपबन्धों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो व्यतिक्रम किये जाने के समय महाविद्यालय का प्रबन्धक था या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जिसमें उसके कार्यकलाप का प्रबन्ध और संचालन करने का प्राधिकार निहित था जब तक कि वह यह न साबित कर दे कि व्यतिक्रम उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने व्यतिक्रम के किये जाने का निवारण करने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी, धारा ६०-ख के उपबन्धों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करने की दशा में जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा और किसी अन्य व्यतिक्रम की दशा में कारावास जो छः मास तक हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।

(२) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान उप निदेशक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेगा।

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा, किन्तु कोई पुलिस अधिकारी जो उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का हो, किसी ऐसे अपराध का अन्वेषण प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं करेगा और न वारन्ट के बिना गिरफ्तार करेगा।

(४) कोई भी न्यायालय जो प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से नीचे की पंक्ति का हो, इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

आदेश का अंतिम होना।

६०-छ—इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार, शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उप निदेशक या अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश या निदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपति नहीं की जायगी।

नियम बनाने की शक्ति

६०-ज—(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(२) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की कालावधिपर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और जब तक

कि कोई बाद की तारीख नियत न की जाय, सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा अभिशून्यन तद्धीन पहिले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

१०—मूल अधिनियम की धारा ६८ में शब्द "विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का कोई विनिश्चय" के पश्चात् शब्द तथा कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे परिनियम, अध्यादेश या विनियम जो राज्य सरकार या कुलाधिपति द्वारा निर्मित या अनुमोदित परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी है)" रख दिये जायें। धारा ६८ का संशोधन

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

११—मूल अधिनियम की धारा ६९ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्— धारा ६९ का प्रतिस्थापन

"६९—राज्य सरकार या शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा) या उप निदेशक (जैसा धारा ६०-क में परिभाषित है) या प्राधिकृत नियंत्रक या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या परिनियमों या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये तात्पर्यित या आशयित किसी कार्य के लिये न कोई वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और न कोई अन्य विधिक कार्यवाहियां की जा सकेंगी।"

श्री अध्यक्ष—

इस पर संशोधन के प्रस्तावक नहीं हैं। अतः प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२, १३, १४ तथा १५

१२—मूल अधिनियम की धारा ७२ में— धारा ७२ का संशोधन

(क) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विद्यमान विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी यथाशीघ्र, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जायगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व, ऐसे प्राधिकारी के एक सदस्य के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से ऐसा सदस्य नहीं रह जायगा।"

[श्री अध्यक्ष]

(ख) उपधारा (२) में, उसके परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्—

"परन्तु ऐसा कोई निदेश ३१ दिसम्बर, १९७६ के पश्चात् नहीं दिया जायगा । "

धारा ७४ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा ७४ में—

(i) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय, अर्थात्:—

"(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी,—

(क) किसी ऐसी अधिनियमिति के अधीन की गयी सभी नियुक्तियां, जारी किये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियां या डिप्लोमा अथवा जारी किये गये प्रमाण पत्र, मंजूर किये गये विशेषाधिकार अथवा की गयी कोई अन्य बातें (जिनके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन क्रमशः की गयी, जारी किये गये, प्रदत्त, मंजूर किये गये या की गई समझी जायगी, और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश द्वारा अधिक्रान्त न कर दिये जायें प्रवृत्त बनी रहेंगी,

(ख) चयन समितियों की ऐसी सभी कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई तथा ऐसी चयन समितियों की संस्तुतियों के सम्बन्ध में, यथास्थिति, प्रबन्धतंत्र या कार्य परिषद् द्वारा की गई सभी कार्यवाहियां, जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व उनके आधार पर नियुक्ति का कोई आदेश न दिया गया हो, इस बात के होते हुए भी कि चयन की प्रक्रिया में इस अधिनियम द्वारा परिष्कार कर दिया गया है, विधिमान्य समझी जायेंगी, किन्तु ऐसे विचाराधीन चयन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी और उसी प्रक्रम से जारी रखी जायेगी जहां वे ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व थीं ।" ;

(ii) उपधारा (३) में—

(१) खंड (घ) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि उक्त उपधारा (५) के स्पष्टीकरण १ तथा २ के उपबन्ध इस खण्ड में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के पैनल तथा इस खंड के अधीन ऐसे पैनलों में से किये गये नाम-निर्देशनों पर भी लागू होंगे ; ";

(२) खंड (छ) में, उपखंड (३) में, शब्द तथा अंक "वर्ष १९७५ में" के पश्चात् शब्द तथा अंक "अथवा वर्ष १९७६ में" बढ़ा दिये जायें ।

१४—मूल अधिनियम की अनुसूची में क्रम-संख्या ५ की प्रविष्टियों अनुसूची का संशोधन के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय, अर्थात्—

"५—कानपुर विश्वविद्यालय

(१) बुन्देलखंड तथा अवध विश्वविद्यालयों की स्थापना होने तक ।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, बांदा, बाराबंकी, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव जिले ।
(२) अवध विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर, किन्तु बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना होने के पूर्व ।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, बांदा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर हरदोई, जालौन, झांसी, कानपुर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव के जिले ।
(३) अवध विश्वविद्यालय की तथा बुन्देलखंड विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो जाने पर ।	इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र के सिवाय इलाहाबाद, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर तथा उन्नाव के जिले ।"

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ का संशोधन

१५—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में, खंड (घ) में शब्द "बेसिक शिक्षा निदेशक" के स्थान पर शब्द "शिक्षा निदेशक" रख दिये जायें । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३४, १९७२ की धारा २ का संशोधन ।

श्री अध्यक्ष—

इस पर भी खंड १२ के कोई प्रस्ताव संशोधन के नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड १२, खंड १३, खंड १४ तथा खंड १५ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १६

१६—मूल अधिनियम की धारा ३ में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:— धारा ३ का संशोधन

"(च-१) सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, पदेन;

(च-२) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, पदेन;" ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७ व १८

धारा ४ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में,

(१) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ग) जिला बेसिक शिक्षा समितियों अथवा नगर बेसिक शिक्षा समितियों द्वारा संस्थाओं की स्थापना के संबंध में तदर्थ सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्तर मापक निर्धारित करना तथा उक्त संस्थाओं द्वारा शिक्षण प्रदान करने और परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में प्रवेश दिलाने के लिये परीक्षार्थियों को तैयार करने के सम्बन्ध में उनके प्रशासन पर अधीक्षण रखना ;" ;

(२) खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया, जाय, अर्थात्—

"(ङ) किसी जिले में या राज्य में अथवा उसके किसी भाग में बेसिक शिक्षा के विकास, प्रसार या तथा सुधार और उसमें अनुसन्धान के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति या नगर बेसिक शिक्षा समिति द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का (परिष्कार सहित या रहित) अनुमोदन करना ;" ;

(३) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायं, अर्थात्:—

"(छ–१) जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों पर, इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के सम्पादन में, अधीक्षण रखना और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, समितियों को निदेश देना, जो ऐसी समितियों पर बन्धनकारी होंगे ;

(छ–२) ऐसे प्रयोजनों के लिये जिसे परिषद् उचित समझे (जिला बेसिक शिक्षा समितियों तथा नगर बेसिक शिक्षा समितियों के सदस्यों में से) उप-समितियों का गठन करना।"।

धारा ६ का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (३) निकाल दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १७ व खंड १८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १९ व २०

धारा १० का प्रतिस्थापन तथा नयी धारा १०-क का बढ़ाया जाना।

१९.—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित धारायें दी जायं, अर्थात्:—

"१०-(१) प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये एक समिति स्थापित की जायेगी जो जिला बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष, जिला परिषद्, पदेन, जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) तीन व्यक्ति जो जिला परिषद् के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ग) अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन), पदेन ;

(घ) जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी, पदेन ;

(ङ) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन ;

(च) अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), यदि कोई हो, और उसकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षिका, पदेन ;

(छ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा ;

(ज) विद्यालय उप-निरीक्षक, पदेन, जो समिति का सहायक सचिव होगा।

(२) पदेन सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्य ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर पद धारण करेंगे, जैसा राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(३) जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद् के अधीक्षण और निदेशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेंगी, अर्थात् —

(i) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना ;

(ii) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना ;

(iii) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार तथा सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

नगर बेसिक शिक्षा समितियां

१०-क.—(१) प्रत्येक नगर, नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया या टाउन एरिया के लिये एक समिति स्थापित की जायगी जो नगर बेसिक शिक्षा समिति कहलायेगी और जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) महापालिका का नगर प्रमुख, यथास्थिति, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी, का प्रेसीडेन्ट, पदेन, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) तीन से अनधिक व्यक्ति जो, यथास्थिति, महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(ग) जिला विद्यालय निरीक्षक, पदेन ;

[श्री अध्यक्ष]

(घ) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पदेन ;

(ङ) सर्किल का अधिकारितायुक्त विद्यालय अवर उपनिरीक्षक, पदेन;

(च) सर्किल की अधिकारितायुक्त बालिका विद्यालय सहायक निरीक्षिका, पदेन ;

(छ) अधीक्षिका, बालिका शिक्षा, यदि कोई हो, पदेन ;

(ज) शिक्षा अधीक्षक, यदि कोई हो, और यदि ऐसा कोई अधिकारी न हो तो सर्किल का अधिकारितायुक्त विद्यालय अवर उप निरीक्षक; पदेन; सदस्य-सचिव ।

(२) उपधारा १० की उपधारा (२) और (३) के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों सहित, नगर बेसिक शिक्षा समिति पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जिला बेसिक शिक्षा समिति को लागू होते हैं ।"

धारा ११ का संशोधन

२०--मूल अधिनियम की धारा ११ में, उपधारा (२) के खंड (क) में, शब्द "यथास्थिति, जिला परिषद् अथवा अन्तरिम जिला परिषद्" के स्थान पर शब्द "जिला बेसिक शिक्षा समिति" रख दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १९ व २० इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २१ व २२

नई धारा १२-क का बढ़ाया जाना

२१--मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :--

"१२-क--(१) जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य को जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी बेसिक स्कूल का निरीक्षण करने तथा ऐसे निरीक्षण के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे जिला परिषद् के अध्यक्ष को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करने की शक्ति होगी ।

(२) यथास्थिति, महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी या टाउन एरिया कमेटी के प्रत्येक सदस्य को-उस स्थानीय निकाय, जिसका वह सदस्य हो, की सीमा में स्थित किसी बेसिक स्कूल का निरीक्षण करने तथा ऐसे निरीक्षण के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर ऐसे स्थानीय निकाय के, यथा-स्थिति, नगर प्रमुख अथवा प्रेसीडेन्ट को निरीक्षण टिप्पणी प्रस्तुत करने की शक्ति होगी ।"

धारा १९ का संशोधन

२२--मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (१) में, शब्द "किसी स्थानीय निकाय के बेसिक स्कूलों" के स्थान पर शब्द "परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों" रख दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड २१ व २२ इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७५

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनःअधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ द्वारा यथा-संशोधित तथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्व-विद्यालय अधिनियम, १९७३ का और उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, १९७२ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

१--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन अधिनियम, १९७५ कहलायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामजी लाल सहायक--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७५, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विधि संशोधन विधेयक, १९७५, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम ५१ के अन्तर्गत सभी सूचनायें अस्वीकृत हैं ।

ग्रामा धावां, चिनहट, जिला लखनऊ की भूमि को वन मंत्री के कुटुम्ब के सदस्यों के नाम कराने के सम्बन्ध में वन मंत्री का स्पष्टीकरण

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)--

अध्यक्ष जी, आपने पत्र संख्या ९७९, दिनांक १७ अप्रैल, १९७५ द्वारा "यदि मैं चाहूं तो" मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिये लिखा था। मुझे खेद है कि दुर्भाग्यवश मैं तबसे अस्वस्थ रहा और विलंब से अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

यद्यपि मैं स्पष्टीकरण २ अप्रैल, १९७५ को इस सदन में दे ही चुका हूं। कहना है कि ग्राम धांबा, जिला लखनऊ की भूमि को अपने कुटुम्ब के सदस्यों के नाम कराने के संबंध में श्री मोतीलाल देहलवी द्वारा नियम ५१ के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जैसा कि मैं दिनांक

[श्री अजीत प्रताप सिंह]

२ अप्रैल, १९७५ को इस सदन में अपना स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि ग्राम धांवा में मेरे पुत्र अजय प्रताप सिंह के नाम साढ़े सात बीघा भूमि है। ये उस समय बालिग थे और उनके पास कोई भूमि नहीं थी और न ही इस पट्टे के बाद ही इस भूमि के अलावा कोई भूमि है।

इस सम्बन्ध में राजस्व मंत्री जी का वक्तव्य भी दिनांक २५ अप्रैल, १९७५ को हो चुका है। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है कि मेरे पुत्र के नाम जो पट्टा हुआ है वह भूमि प्रबंधक समिति द्वारा हुआ है और इस कार्यवाही में किसी भी स्तर पर कोई राजनैतिक अथवा व्यक्तिगत दबाव नहीं डाला गया है। अन्य पट्टों के साथ साथ श्री अजय प्रताप सिंह को भी उक्त भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही शासन द्वारा की ही जा रही है। इसके अलावा जो भी विवाद मुझसे और जोड़े जा रहे हैं, वास्तविकता से परे और काल्पनिक हैं।

अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, आजमगढ़ के प्राचार्य सहित सभी कर्मचारियों को ६ माह से वेतन न मिलने से कई विषय के प्रवक्ता न होने के कारण छात्रों की पढ़ाई में रुकावट से छात्र असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम ५१ के अन्तर्गत श्री राम सुन्दर पाण्डेय ने बताया था कि अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, आजमगढ़ के प्राचार्य सहित सभी कर्मचारियों का वेतन लगभग ६ मास से बाकी है, कई विषय के प्रवक्ता न होने के कारण अध्यापन कार्य से भी छात्राओं में विशेष असन्तोष है, साथ ही पुस्तकालय एवं कार्यालय बंद होने के कारण महाबिद्यालय के सभी कार्य बन्द हैं।

२—उक्त प्रसंग में प्राप्त सूचनाओं के अनुसार तथ्य यह है कि महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों को फरवरी, १९७५ मास तक का भुगतान किया जा चुका है। मार्च, १९७५ मास के वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। अतः यह बात सत्य नहीं है कि उस कालेज में प्राचार्य सहित सभी कर्मचारियों का वेतन लगभग छः मास से बाकी है। संस्कृत तथा अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता के पद रिक्त हैं। संस्कृत विषय स्वयं प्रधानाचार्या पढ़ाती हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष एवं लिपिक वर्गीय पदों पर कोई व्यक्ति कार्यरत नहीं है और पुस्तकालय तथा कार्यालय बन्द हैं। किन्तु महाविद्यालय में पढ़ाई बन्द नहीं है।

३—गोरखपुर विश्वविद्यालय ने सूचित किया था कि महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति में विवाद उत्पन्न हो गया है जिसके कारण उसकी प्रशासनिक व्यवस्था अनुकूल नहीं है। इस प्रसंग में कुलपति ने समुचित व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। तदनुसार शासन ने २४ दिसम्बर, १९७४ के शासनादेश द्वारा इस महाविद्यालय का अनुपालन अनुदान निलम्बित करके मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक, गोरखपुर को इस महाविद्यालय के अनुमोदित कर्मचारियों के वेतन वितरण का अधिकार प्रदान किया जिसके फलस्वरूप ही महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के फरवरी, १९७५ मास तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है। मार्च, १९७५ के वेतन भुगतान की कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि शीघ्र ही भुगतान हो जायगा।

४—मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक, गोरखपुर ने इस महाविद्यालय की जांच करके यह संस्तुति की है कि यहां पर प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया जाय। इस मामले पर शासन विचार कर रहा है।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय, यह वेतन कब दिया गया?

श्री रामजी लाल सहायक—

निश्चित तिथि तो नहीं बता सकता, लेकिन फरवरी तक का दे दिया गया है।

अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, आजमगढ़ के आचार्य सहित सभी कर्मचारियों को ६ माह से १०१ वेतन न मिलने से कई विषय के प्रवक्ता न होने के कारण छात्रों की पढ़ाई में रुकावट से छात्र असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री राम सुन्दर पांडेय--

मान्यवर, यह वेतन सवाल स्वीकृत होने के बाद दिया गया है और माननीय मंत्री झूठ बता रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रवक्ता की जगह खाली है उस पर नियुक्ति न होने के क्या कारण हैं ?

श्री राम जी लाल सहायक--

जब प्रबन्ध समिति चाहेगी तब भरेगी। जैसा मैंने कहा कि भविष्य में वहां पर प्राधिकृत नियंत्रक भेजने की बात सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--

यह प्राधिकृत अधिकारी कब नियुक्त करेंगे ?

श्री रामजी लाल सहायक--

निश्चित तिथि तो नहीं बता सकता, लेकिन इस पर विचार हो रहा है।

सदन के अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

अध्यक्ष जी, कुछ माननीय सदस्य--इधर के और उधर के--ने यह सोचा था कि आज इस सदन में विचार विनिमय हो कि जो हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको काम करने में कठिनाई हो रही है क्षेत्र की, तो कैसे उस सम्बन्ध में सुविधाओं की बाबत कोई बात सोची जाय। लेकिन सारा विरोध पक्ष उठकर चला गया और बहुत हमारे चाहने के बाद भी, जिसके आप भी साक्षी हैं, यह चीज किनारे न आ पाई है, इसलिये मुझे खेद है कि आज उस सम्बन्ध में कुछ गौर नहीं हो पायेगा।

राजनैतिक दृष्टि से इस तरफ के माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से हमें गलती पर रखने की सारी प्रक्रिया है, उस परिप्रेक्ष में इस प्रश्न को सोचने की जरूरत है। सरकार मानती है कि जो काम करने के लिये सुविधाये है वह विधायकों के पास पूरी नहीं हैं और इसलिये यथासमय इस पर जरूर विचार करेंगे। अन्त में आपको धन्यवाद है कि एक लम्बे सेशन को आपने जिस दृढ़ता और जिस कुशलता के साथ चलाया है, उसके लिये न केवल मेरा दल बल्कि और जो लोग यहां बैठे हुये हैं वह सब न केवल आपमें विश्वास प्रकट करते हैं बल्कि आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सदन की गरिमा और शोभा को बढ़ाया है। अन्त में मेरा प्रस्ताव यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये आज उठ जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये उठ जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन २ बजकर ५४ मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
२९ अप्रैल, १९७५।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७ पर)

फरवरी, १९७४ से अक्तूबर, १९७४ तक प्राप्त शिकायतें

१—महापालिका के ३८ वें अधिवेशन में चुंगी विभाग के कम से कम तीस कर्मचारी वर्दी तथा बगर वर्दी के ३०-५-७४ की बैठक के समय सभा भवन की गैलरी में उपस्थित थे।

२—उक्त बैठक में एक भी अधिकारी नहीं गया। श्री रहमान अली, सभासद, के पूछने पर नगर प्रमुख महोदय ने सदन को बताया कि महापालिका अधिकारियों ने सदन की बैठक में जाने से इन्कार कर दिया।

३—श्री सत्य प्रकाश मालवीय से १-६-७४ की बैठक में मीटिंग शुरू होने के पांच मिनट के पास ही अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नों का उत्तर जल कल अभियन्ता के नहीं होने से नहीं दिया जा सका है और एजेण्डा के सभी आइटम पास किये जाते हैं। यह कह कर अधिवेशन समाप्त कर दिया। ३० मई, १९७४ के एजेण्डा की आपत्तियों की पूर्ति किए बिना और सभी सदस्यों को मिनिट्स, एजेण्डा की आख्यायें व प्रस्तावों को वितरित किए बिना आइटम पास करना गलत था।

४—क्योंकि २४-१-७४ तथा २७-३-७४ की महापालिका की बैठकों की जो नोटिसें घुमाई गई थीं, उनमें कोई कार्यसूची नहीं वितरित की गई थी कि किन विषयों पर बैठक में विचार होगा, अतएव इन दोनों तिथियों की बैठकों द्वारा किन्हीं संकल्पों की पुष्टि नहीं हो सकती और क्रमशः संकल्प संख्या ३७८ से ४०४ तथा ४०६ से ४०७ का कार्यान्वयन रोका जाए।

५—नगर प्रमुख श्री राम जी द्विवेदी के दिनांक ४ जून, १९७४ को विदेश भ्रमण पर जाने के उपरान्त मुख्य नगर अधिकारी और अभियन्तागण भी मुख्यालय से बाहर बिना कार्य वाहक नगर प्रमुख (उप नगर प्रमुख श्री एस० समीउल्ला) को पूर्व सूचना दिये हुए चले गए। सहायक नगर अधिकारी जो कि कार्यवाहक उप नगर अधिकारी तथा संभवतः मुख्य नगर अधिकारी का भी कार्य देख रहे थे वह भी दिनांक ४ जून, १९७४ की अपरान्ह में उपस्थित नहीं थे।

६—मुख्य नगर अधिकारी आमतौर से कार्यकारिणी समिति की बैठक में मौजूद नहीं रहते। मीटिंग से पहले, और बावजूद इन्हें खासतौर से मीटिंग में आने की हिदायत के पहले उनकी इत्तिला आ जाती है कि किसी कार्य की वजह से मीटिंग में नहीं आ सकते। उनकी गैर मौजूदगी में कोई भी अधिकारी ठीक ढंग से समिति को किसी भी कार्य के बारे में अवगत नहीं करा सकता।

७—कार्यकारिणी समिति के २६वें अधिवेशन के २१ अप्रैल, १९७४ की दूसरी बैठक के कार्यवृत्ति में महापालिका अधिकारियों के गैर कानूनी कार्यों का उल्लेख करते हुये यह निश्चय किया गया था कि मुख्य नगर अधिकारी अगली बैठक में उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में समिति को अवगत करायें। फिर भी दिनांक ३१ मई, १९७४ की बैठक में न तो मुख्य नगर अधिकारी आये और न नगर अभियन्ता ही आये। इनकी गैर मौजूदगी में कार्य-सूची में जो कार्य था, उन पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि माननीय सदस्यों को उनके बारे में जानकारी देने के लिए कोई मौजूद नहीं था।

८—नवम्बर, १९७३ से मई, १९७४ तक पिछले सात माह में मुख्य नगर अधिकारी ने एक हजार रुपये से अधिक के संविदों की सूचना कार्यकारिणी को नहीं दी, जब कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १३२(५) के अन्तर्गत पन्द्रह दिन के भीतर सूचना देना जरूरी था।

९—नवम्बर, १९७३ से मई, १९७४ तक पिछले सात माह में मुख्य नगर अधिकारी ने **दस** हजार रुपये से पचास हजार रुपये तक के खर्च के संविदों पर कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १३२ (३) के अनुसार नहीं ली। ऐसे कई काम कराये गये हैं जो इस सीमा में आते हैं, लेकिन व्यय को काट कर ऐसा बांटा गया है कि उक्त सीमा से नीचे ही मामला रहे ताकि समिति की स्वीकृति नहीं लेनी पड़े।

१०—नगर प्रमुख श्री राम जी द्विवेदी अपने पूर्व पदाधिकारी श्री सत्य प्रकाश मालवीय के अधिकार दुरुपयोग के मामलों को छिपाते हैं और निम्नांकित मामलों में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की :

(१) श्री मालवीय ने अपने वित्तीय साझीदार श्री कमला प्रसाद मोहिले के नाम पर बांधवरी मार्ग पर एक मुहल्ले का नाम मोहिलेनगर रखा तथा इस मुहल्ले में अपने भवन की संख्या (८९) भी बिना महापालिका स्वीकृति के निर्धारित कर ली।

(२) श्री मालवीय ने सर्वश्री मोहिले तथा अमृत लाल से मिल कर अलीपुर आवास योजना में छल-कपट द्वारा बहुत से लोगों से अनधिकृत निर्माण कराया और नाजायज आमदनी की।

(३) श्री मालवीय ने वित्तीय साझीदार श्री मोहिले तथा सराय आकिल पुलिस स्टेशन के अनुसार कुख्यात चरित्र के श्री अमृत लाल ने जवाहर लाल नेहरू मार्ग के भवन संख्या ९१ पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है जो कि राजर्षि के संदेशों के प्रचारार्थ डिवाइन लाइट मिशन के संतों को दिया गया था। श्री मालवीय ने इस भवन का गैर कानूनी बंटवारा तीन भागों में ९१, ९१-ए तथा ९१-ए/एक करके अंकन किया। भवन का जो भाग डिवाइन लाइट मिशन के संतों के कब्जे में था उसका ताला तोड़कर उनके कागजात को हटा दिया गया और तीनों व्यक्ति अब उसमें व्यापार करते हैं। श्री मोहिले और श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत आपूर्ति निगम से औद्योगिक विद्युत् लेकर आटा-चक्की भवन में चला रहे हैं। इस जालसाजी में श्री सत्य नारायण पाण्डे, भूतपूर्व एम० एल० ए० का भी सहयोग रहा है। श्री विजय प्रताप सिंह, सभासद द्वारा इस सम्बन्ध में की गई शिकायत का नगर प्रमुख श्री रामजी द्विवेदी ने महापालिका भवन विभाग में दबा दिया है। इन भवनों में होटल, रेस्ट्रां और दुग्ध व्यवसाय अवैध तरीके से बेनामी पद्धति पर किया जा रहा है, जिसमें श्री ज्वाला प्रसाद तिवारी का भी सहयोग है। भवन के खुले भाग में जलाने वाली लकड़ी और कोयले का व्यापार श्री मोहिले और श्री अमृत लाल द्वारा बेनामी पद्धति पर किया जा रहा है।

११—नगर प्रमुख, श्री रामजी द्विवेदी ने जनवरी, १९७४ के ईद के पूर्व पर चौक घंटाघर के पास अल्पसंख्यकों की छोटी-छोटी दुकानों को उजड़वा दिया और कहा कि "मुसलमानों को ही यहां पर क्यों बसने दिया जाए"।

१२—नगर प्रमुख, श्री रामजी द्विवेदी ने गलत ढंग से अपने अनेकों सगे सम्बन्धियों सर्वश्री राधेश्याम दुबे कन्हैया लाल शर्मा, राम शिरोमणि पाण्डे, शम्भू नाथ शर्मा, जीतेन्द्र बाहरी, अरुण कुमार तिवारी, अरुण श्रीवास्तव, राम शंकर, सुधाकर शुक्ला, सुरेश चन्द्र, सत्येन्द्र द्विवेदी, हरि नारायण दूबे, ब्रह्म देव बाजपेयी, सूर्य नारायण मिश्र आदि की नियुक्ति महापालिका में कराई।

१३---नगर प्रमुख द्वारा आर० बी० ओ० ऐक्ट का उल्लघंन कर भवन का निर्माण महापालिका के धन व सामान से हो रहा है। निर्माण की देख-रेख नगर अभियन्ता और ओवरसियर करते हैं तथा दो गैंग चौदह-चौदह व्यक्तियों के कई महीने से इनके घर पर कार्य कर रहे हैं। खन्डहर जैसे कृष्ण नगर स्थित मकान में परिवर्तन और परिवर्द्धन महापालिका व्यय पर किया जा रहा है। महापालिका निधि से घर पर और महापालिका कार्यालय में पचास हजार रुपये लागत की साज-सज्जा निजी प्रयोग हेतु क्रय किया। महापालिका के पंखे तथा फर्नीचर बिना रजिस्टर में दर्ज कराये नाजायज ढंग से अपने निवास पर उठवा ले गए।

१४---नगर प्रमुख ने अपने निजी मकान का मूल्यांकन केवल एक सौ अस्सी रुपये वार्षिक कराया है।

१५---नगर प्रमुख सर्वश्री श्री रामचन्द्र व्यास (मुख्य नगर अधिकारी), सुधीर मेहता (नगर अभिन्ता), गंगा प्रसाद (उप नगर अधिकारी), मोहन लाल सिंह व बच्चू लाल तिवारी (सहायक कर अधीक्षक), देवेन्द्र मणि तिवारी (कर अधीक्षक) के साथ मिलकर राजस्व विभागों, जन कार्य, लाइसेंस नजूल एवं स्वास्थ्य विभागों को महापालिका परिसर से हटाकर नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करा भ्रष्टाचार कर रहे हैं।

१६---नगर प्रमुख को ठेकेदारों से एक प्रतिशत लेकर दिया जाता है। फर्जी नाम के एक व्यक्ति श्री गुलाब को तीन हजार रुपये घूस लेकर हड्डी का ठेका दिया गया। सम्बन्धित पत्रावली देखने से ज्ञात होगा कि बिना नगर स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के प्रधान लिपिक के लेख पर टेन्डर की स्वीकृति नगर प्रमुख द्वारा दी गई, जब कि वह स्वीकृति कार्यकारिणी द्वारा दी जानी चाहिये थी। इसमें महापालिका को सात हजार रुपये की हानि हुई है। लाखों रुपये का टेन्डर महापालिका की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकार किया जा रहा है, जो अवैध है।

१७---नगर प्रमुख द्वारा महापालिका का अधिवेशन बिना कार्य-सूची वितरित कराये और बिना समय की सूचना दिये बुलाये जाते है। कोई कार्यवृत्त अब तक परिचालित नहीं हुई है जो कार्य सूची बनती है, उसमें नियमों के प्रतिकूल एक मद यह भी रहता है कि अध्यक्ष की अनुमति से अन्य आवश्यक विषय रखा जा सकता है। फर्जी तरीके के संकल्प बनाए जाते हैं। अधिकांश प्रस्ताव अपने चमचे सभासदों सर्व श्री विजय प्रताप सिंह, विजय नरायन सिंह, ललित मोहित टण्डन, श्री चन्द्र गुप्ता व डा० शरीफ आलम के द्वारा आते हैं और बिना किसी विवाद के पारित हो जाते हैं। बैठक का कोरम पूरा नहीं होता और बाद में उपस्थित रजिस्टर पर फर्जी तरीके से सभासदों के हस्ताक्षर कराये जाते हैं।

१८---नगर प्रमुख के मकान के पीछे लगभग सत्रह हजार रुपये के खर्चे से एक पैरा पिट वाल तालाब साइड में बना था, जिसे अपने कब्जे में कर दीवाल उठवा कर घेर लिया है।

१९---नगर प्रमुख अपने नाम से मुख्य नगर अधिकारी के रहते हुए साठ हजार सीमेन्ट बोरी का परमिट लेकर भ्रष्ट तरीके से ठेकेदारों को दे रहे हैं।

२०---नगर प्रमुख, नगर अभियन्ता (विकास) की माध्यम से मनमाने ढंग की योजनायें बिना महापालिका, कार्यकारिणी समिति व विकास समिति की स्वीकृति व टाउन प्लानर की राय लिये बिना बनवाकर लाखों रुपये कमीशन खा रहे हैं।

२१---नगर प्रमुख एक नई व एक पुरानी दो एम्बैसडर कार, एक जीप रात दिन अपने तथा परिवार के अन्य लोगों के इस्तेमाल में गैर कानूनी ढंग से ला रहे हैं।

२२---उप नगर अधिकारी (दो) नगर अभियन्ता (विकास) नगर अभियन्ता (दो) चुंगी अधीक्षक, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अभियन्ता (वर्कशाप), तथा अभियन्ता (पंपिंग स्टेशन, गऊघाट) महापालिका की एम्बेसडर कार जीप, स्टाफ कार का इस्तेमाल कर रहे हैं और शासन द्वारा वाहन भत्ता भी लेते हैं।

२३—विरोधी दलों की ओर से श्री जनेश्वर मिश्र का दल जुलाई को चुनाव था। व्यस्तता के कारण महापालिका बैठक में उनके लिये शामिल होना असंभव था। इस बात को जानते हुए भी उसी तिथि को छः बजे शाम बिना एजेण्डा की सूची और कोई वैधानिक सूचना दिये हुए महापालिका बैठक नगर प्रमुख ने बुलाया ताकि अवैधानिक तथा मनमाने ढंग से एजेण्डा पास हो जाय। इसी प्रकार मतगणना के दिन २७ फरवरी को भी बैठक बुलाई थी, जिसकी कार्य वृत्ति २८-५-७४ को वितरित कराई गई और इसमें निम्नांकित विषय ऐसे स्वीकृत दिखाये गये जो २७ फरवरी की बैठक में रखे ही नहीं गये थे :—

(क) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग आवास योजना हेतु दक्षिणी आवास योजना के अन्तर्गत तीन ब्लाक (आठ फ्लैट) के निर्माण हेतु नगर प्रमुख के आदेश दिनांक १२-२-७४ द्वारा महापालिका की प्रत्याशा में स्वीकार संशोधित व्यय अनुमान रु० २,९०,००० की संपुष्टि।

(ख) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग आवास योजना हेतु सदियावाद में दो कमरे वाले तीन ब्लाक (आठ फ्लैट) के निर्माण हेतु महापालिका की प्रत्याशा में नगर प्रमुख के आदेश दिनांक १२-२-७४ द्वारा रु० २,९०,००० का संशोधित व्ययानुमान की स्वीकृति की संपुष्टि।

(ग) दक्षिणी आवास योजना सी० पी० सेक्शन के अन्तर्गत नूरुल्लारोड व स्वीपर्स क्वार्टर के बीच स्थित खुले भूखण्ड पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिये नियमित दो कमरों वाले अट्ठारह भवनों का निर्माण के लिये संशोधित व्यय अनुमान रु० २,५२,१०१.५० पै० आख्या में वर्णित नए आइटमों की स्वीकृति नगर प्रमुख के आदेश महापापालिका की प्रत्याशा में दिनांक १४-२-७४ की संपुष्टि।

(घ) बाघम्बरी गृह स्थान योजना में अल्प आय वर्ग के ब्लाक नंबर चार, पाच तथा छः के संशोधित व्यय अनुमान रु० १,७९,३८०.७७ पै० की महापालिका की प्रत्याशा में नगर प्रमुख के आदेश की संपुष्टि।

(च) वाघम्बरी गृह स्थान योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये दो कमरों वाले १४४ भवनों की नींव में आर० सी० सी० की रपट फाउन्डेशन डालने हेतु अतिरिक्त कार्य की धनराशि रु० ८,६५४ प्रति ब्लाक की स्वीकृति की प्रत्याशा में दी गई स्वीकृति की संपुष्टि।

(छ) नेवादा आवास योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग आवास हेतु दो समरूप कमरों वाले एक ब्लाक (छः फ्लैट) के निर्माण के सम्बन्ध में नगर प्रमुख द्वारा महापालिका की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत संशोधित व्यय अनुमान रु० ९७,००० की संपुष्टि।

२४—इसी प्रकार निम्नांकित संकल्पों द्वारा भी कार्यसूची से बाहर की मदों की संपुष्टि दिखाई गई :—

(क) संकल्प संख्या ४०६ दिनांक २७ फरवरी, १९७४ द्वारा नगर प्रमुख के आदेश की संपुष्टि, जब कि सम्बन्धित विषय दिनांक २७ फरवरी, १९७४ की बैठक की कार्य-सूची में शामिल नहीं था।

(ख) संकल्प संख्या ३८६, दिनांक २४ जनवरी, १९७४ के चौतीसवें साधारण अधिवेशन की बैठक में दक्षिणी आवास योजना पश्चिमी भाग के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों हेतु कमरों के निर्माण हेतु रु० ३,७०,६८३.२५ पैसे की निविदा स्वीकार करने के सम्बन्ध में नगर प्रमुख के आदेश दिनांक ११ जनवरी, १९७४ की संपुष्टि।

(ग) संकल्प संख्या ३९९, दिनांक २४ जनवरी, १९७४ द्वारा हेस्टिंग्ज रोड पर निर्मित हो रहे श्री रेवती रमण बहुगुणा क्रय विक्रय केन्द्र के सम्बन्ध में की गई संपुष्टि, जबकि यह विषय दिनांक २४ जनवरी, १९७४ की बैठक की कार्य-सूची में नहीं था, तथा

(घ) संकल्प संख्या ४०३(ख), दिनांक २४ जनवरी, १९७४ द्वारा घंटाघर पर स्थित नजूल की भूमि पर बहुखन्डी भवन के निर्माण के सम्बन्ध में की गई संपुष्टि । संकल्प से यह भी नहीं ज्ञात होता कि निविदा कितने रुपयों का था ।

२५—नगर प्रमुख, मुख्य नगर अधिकारी और नगर अभियन्ता (विकास) ने मिलकर टैगोर टाउन हाउसिंग स्कीम में कुछ महापालिका भूखन्डों को कम से कम दामों में अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के नाम आबंटित किया ।

२६—सर्वश्री रामजी द्विवेदी (नगर प्रमुख), राम चन्द्र व्यास (मुख्य नगर अधिकारी) तथा सुधीर मेहता (विकास अभियन्ता) ने संयुक्त रूप से पचास हजार रुपया घूस लेकर सात नम्बर हेस्टिंग रोड पर जो बंगला है उसे केवल एक लाख कुछ हजार में विकवा दिया जबकि बंगले की लागत लगभग तीन लाख रुपये की होगी ।

२७—महापालिका के दिनांक २९ जुलाई, १९७४ के चालीसवें अधिवेशन की जो कार्य-सूची वितरित हुई, उसके साथ मदों के सम्बन्ध में कोई आख्या नहीं थी, जबकि ऐसा होना चाहिए । कार्य-सूची का अन्तिम और दसवां मद "अन्य आवश्यक विषय अध्यक्ष की अनुमति से" था । इस प्रकार की मद कार्य-सूची में रखने के लिये उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में कोई प्राविधान नहीं है, फिर भी, यह मद रखी गयी और प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदस्यों को नहीं दी गई ।

२८—चुंगी विभाग में लगभग पच्चीस नायब मुहर्रिर एवं पच्चीस चपरासी पांच-पांच सौ रुपये प्रत्येक से घूस लेकर बिना चयन समिति के गठन के रखे गये । तथा

२९—चुंगी विभाग के लेखा लिपिक, श्री शिव शंकर नाथ मेहरोत्रा, महापालिका कर्मचारियों से पैसा लेकर काम करते हैं ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर २२१२)

औषधि नियन्त्रण संगठन के सुदृढ़ीकरण आदि के लिये गठित समिति की प्रमुख संस्तुतियों तथा उन पर लिये गये निर्णय का विवरण

क्रम सं०	संस्तुति	कृत कार्यवाही अथवा निर्णय
१	औषधि नियन्त्रण संगठन स्वतन्त्र इकाई हो जिसके अधीन ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी हों जिन्हें औषधि निर्माण एवं विश्लेषण का ज्ञान हो—इसमें फार्मेसी के स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था हो।	औषधि नियन्त्रण संगठन को फिलहाल स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अधीन ही रखने का निर्णय लिया गया है।
२	औषधि विश्लेषण के लिये प्रदेश में जो प्रयोगशाला है उसमें माइक्रो-बायोलाजिकल टैस्ट, पायरोजन एस्टो-मेशन, बाय ऐसे इत्यादि की जांच की सुविधा नहीं है। यह प्रयोगशाला वर्ष में केवल १,००० नमूनों की मामूली जांच कर सकती है जबकि इसके पास लगभग ५०,००० नमूने अवशेष हैं? यह व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इस प्रयोगशाला में केवल खाद्य के नमूनों की ही जांच की जाय और औषधि विश्लेषण के लिये एक नयी प्रयोगशाला बनाई जाय।	चूंकि जन-विश्लेषक प्रयोगशाला का विस्तार अथवा नयी प्रयोगशाला की स्थापना अभी सम्भव नहीं है इसलिये वर्तमान प्रयोगशाला को दो शिफ्ट में चलाने की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है और औषधि नियन्त्रक से इस सम्बन्ध में प्रस्ताव मांगे गये हैं।
३	पंचवर्षीय योजना में सम्भवत: भारत सरकार से उक्त प्रकार की नई प्रयोगशालाय बनाने अथवा नया इक्विपमेंट खरीदने का प्राविधान किया गया है।	सीमित वित्तीय साधनों के कारण इस समय नयी प्रयोगशाला स्थापित करना सम्भव नहीं है।
४	प्रदेश में औषधि निर्माण का कार्य मूल रूप से कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद तथा वाराणसी तथा आगरा क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें एक सहायक निदेशक तथा कई वरिष्ठ निरीक्षक रक्खे जायं। क्षेत्रीय सहायक निदेशक नये निर्मा-ताओं तथा विक्रेताओं को लाइसेन्स देने के प्रार्थना-पत्रों की जांच करके अपनी संस्तुति औषधि नियन्त्रक को दिया करें।	चूंकि औषधि निर्माण के नये प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेने के लिये क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक या उसके नामांकित अधिकारी तथा औषधि निरीक्षक संयुक्त रूप से जांच करते हैं इसलिये क्षेत्रीय सहायक निदेशक (औषधि) के पद के सृजन की आवश्यकता नहीं है।

क्रम-सं०	संस्तुति	कृत कार्यवाही अथवा निर्णय
	५ भारत सरकार द्वारा निर्धारित माप-दन्ड के अनुसार २५ निर्माण फर्मों पर एक निरीक्षक तथा २०० विक्रेताओं पर एक निरीक्षक होना चाहिये जिसके अनुसार प्रदेश में औषधि निर्माण के लिये १६ तथा विक्रेताओं के लिये ४० निरीक्षक होना चाहिये किन्तु समिति ने इस मापदन्ड को बढ़ाकर संस्तुति की कि यदि ३० निर्माण फर्मों अथवा ३०० विक्रेताओं के लिये एक निरीक्षक रक्खा जाय तो प्रदेश में ४४ निरीक्षकों की आवश्यकता होगी।	इस समय प्रदेश में औषधि निरीक्षकों के जो ३६ पद हैं वही पर्याप्त हैं।
	६ भारत सरकार के ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के अनुरूप में प्रदेश भी स्टेट ड्रग्स एडवाइजरी बोर्ड स्थापित किया जाय।	समिति के सुझावानुसार बोर्ड के गठन के आदेश जारी किये जा चुके हैं।
	७ निरीक्षकों को कुछ आवश्यक किताबें जैसे फार्मों कोपिया उपलब्ध कराये जायं और टेक्निकल जनरल्स में प्रकाशित नयी बातों से औषधि निरीक्षकों को जानकारी कराने की व्यवस्था होनी चाहिए।	स्वास्थ्य सेवा निदेशक को आदेश भेजे जा चुके हैं कि वह ऐसी पुस्तकों के क्रय के लिय औषधि नियन्त्रक के डिस्पोजल पर ५०० रुपये की धनराशि रख दें।
	८ औषधि निर्माताओं तथा विक्रेताओं के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही के लिए प्रासीक्यूट करने की व्यवस्था होनी चाहिए औषधि निर्माण तथा विक्रय में हुए जुर्म के लिये कड़ी सजा दी जानी चाहिये। कुछ प्रदेशों में विशेष न्यायालय स्थापित किये गये हैं जिनमें केवल औषधि, खाद्य अपमिश्रण हेतु मामलों में वाद चलाये जाते हैं। यह व्यवस्था प्रदेश में भी होनी चाहिये	औषधि निर्माताओं तथा विक्रेताओं के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही के लिये अलग से प्रासीक्यूटिंग स्टाफ आवश्यक नहीं है। इस आशय के आदेश जारी किये जा चुके हैं कि औषधि निरीक्षक न्यायालयों से अनुरोध करके अपने मुकदमों को इकट्ठा ही एक तारीख में सुनवाई के लिये नियत करा लिया करें।
	९ आगरा, इलाहाबाद, झांसी तथा मेरठ में डिप्लोमा कोर्स चलाने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि प्रदेश में फार्मेसी की कमी न हो। प्रदेश में ऐसी संस्थान होनी चाहिये जिसमें	प्रदेश के इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, आगरा तथा झांसी के मेडिकल कालेजों में प्रत्येक वर्ष फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण ४८० प्रशिक्षार्थियों को दिया जाता है। यह संस्था प्रदेश की आवश्यकताओं की

क्रम-सं०	संस्तुति	कृत कार्यवाही अथवा निर्णय
	बी० फार्मा एम० फार्मा तथा पी-एच० डी० की व्यवस्था हो ।	पूर्ति के लिये पर्याप्त है और इस कारण समिति की सिफारिश पर अलग से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गई ।
१०	औषधि निर्माण की इकाइयों को वाध्य किया जाय कि वह अलग-अलग या सामूहिक रूप से विश्लेषण के लिये निजी प्रयोगशाला बनायें ।	औषधि नियन्त्रक को आदेश भेजे जा चुके हैं कि वे ऐसी इकाइयों के मालिकों से अनुरोध करें कि वे अपनी औषधियों के विश्लेषण के लिये निजी प्रयोग-शालाएं बनाने की व्यवस्था करें।
११	लोन लाइसेंसीज के लिए एक अवधि निर्धारित कर दी जाय ताकि यदि वे लाइसेंसी उक्त अवधि में औषधि निर्माण की व्यवस्था स्वयं नहीं करता है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाय ।	औषधि नियन्त्रक से पूछा गया है कि वे प्रदेश में ऐसे लोन लाइसेंसीज की संख्या सूचित करें, जो कि बहुत समय से किसी व्यक्ति के निर्माण इकाई की सहायता से औषधि का निर्माण कर रहे हैं और अपनी निजी औषधि निर्माण इकाई स्थापित नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोन लाइसेंसीज के लाइसेंस आगे चलने देने अथवा समाप्त करने के बारे में उनकी संस्तुति मांगी गई है।
१२	खाद्य अपमिश्रण और औषधि नियन्त्रण को अलग-अलग रखा जाना चाहिये। खाद्य अपमिश्रण को स्वास्थ्य सेवा निदेशक पर अलग छोड़ दिया जाय।	इस संस्तुति को स्वीकार करना सम्भव नहीं हुआ।
१३	औषधियों के क्रय की व्यवस्था को ठीक किया जाय, केन्द्रीय औषधि संग्रह भंडार को सुदृढ़ किया जाय, आदि ।	इस सम्बन्ध में वित्त विभाग तथा उद्योग विभाग के परामर्श से मामले का परीक्षण किया जा रहा है।
१४	निम्न स्तर की दवाओं के निर्माण तथा नकली दवाओं के कारोबार की रोक थाम के लिये ड्रग्स ऐक्ट के अध्याय ४ के प्राविधानों का कड़ाई से पालन किया जाय।	औषधि नियन्त्रक को तद्नुसार आदेश भेजे जा चुके हैं।
१५	औषधि विक्रेता रजिस्टर्ड डाक्टरों के नुस्खों पर ही उन दवाओं के बेचने के लिये अधिकृत हैं जो ड्रग्स ऐक्ट के परिशिष्ट एच० तथा एल० में दी हुई है। इस सुविधा के लिये विक्रेताओं के पास सभी	स्वास्थ्य सेवा निदेशक को आदेश दिये गये हैं कि इन्डियन मेडिकल काउन्सिल को लिखा जाय कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एक डाइरेक्टरी तैयार कराने की व्यवस्था करें ।

क्रम-सं०	संस्तुति	कृत कार्यवाही अथवा निर्णय
	रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की एक डाइरेक्टरी होनी चाहिये जिससे प्रत्येक विक्रेता इस बात की जांच कर सके कि जिस डाक्टर ने नुस्खा दिया है वह रजिस्टर्ड है अथवा नहीं।	
१६	यदि किसी औषधिनिर्माता को औषधि निर्माण के किसी अपराध दन्ड दिया जाता है तो उसका लाइसेन्स निरस्त कर देना चाहिये। देश में जिलेटीन कैपसूल्ज बनाने की तीन इकाइयां हैं और यदि इनके द्वारा निर्मित कैपसूलों के वितरण पर कड़ा नियन्त्रण रक्खा जायेगा तो नकली दवायें बनाने वालों पर रोक लग सकती है। समिति ने यह भी कहा है कि औषधि निर्माण के अपराध में कड़ा दन्ड दिया जाना चाहिये और नकली दवायें बनाने वालों की सूचना देने वालों को पुरस्कार देने का प्राविधान होना चाहिये।	औषधि निर्माण आदि के अपराध के लिये कठोर दन्ड दिये जाने का प्राविधान विधान मन्डल द्वारा अनुमोदित विधेयक में पहले ही किया जा चुका है और अब उस विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अपेक्षित है।
१७	प्रदेश में पैथडीन और मार्फिने की आवश्यकता का अनुमान लगा लिया जाय और तभी इन दवाइओं के बनाने के लिये जेन निर्माताओं को लाइसेंस दिये गये हैं उनके उत्पादन का अध्ययन किया जाय।	पैथडीन और मार्फिन के निर्माण पर कोई उच्चतम सीमा लागू नहीं की जा ककती है क्योंकि इन औषधियों की प्रदेश में कितनी आवश्यकता है यह आंकना सम्भव नहीं है।
१८	निरीक्षकों के पैनल द्वारा औषधि निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया जाय।	औषधि निर्माण इकाइयों के किसी पैनल द्वारा निरीक्षण आवश्यक नहीं है क्योंकि वर्तमान प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक औषधि निर्माण इकाई का वर्ष म दो बार निरीक्षण करने की व्यवस्था है। वैसे शासन द्वारा सामान्य निर्देश जारी किये जा चुके हैं कि औषधि निरीक्षक मुस्तैदी से काम कर।
१९	औषधि निर्माण के जो नये लाइसेंस दिये जायं वे केवल उन्हीं औषधियों के बारे में दिये जायं जिसमें सोफिस्टीकेटेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीक आवश्यक नहीं है।	स्वास्थ्य सेवा निदेशक की अध्यक्षता में औषधि निर्माण के लिये लाइसेंस देने की जो समिति है वह लाइसेंस के प्रार्थना पत्रों पर हर पहलू से विचार करके लाइसेंस दिये जाने की संस्तुति करती है। अत : इस समिति के लिये कोई मापदन्ड निर्धारित करना आवश्यक नहीं है।

क्रम-सं०	संस्तुति	कृत कार्यवाही अथवा निर्णय
२०	लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप से लिये जायं।	नमूने व्यापक लाइफ सेविंग ड्रग्स केवल पब्लिक अन्डरटेकिंग से क्रय की जाती है, जिनका अपने ही स्तर पर पर्याप्त निरीक्षण होता रहता है लाइफ सेविंग ड्रग्स के निर्माण की जो इकाइयां अन्य प्रदेशों में हैं उनके सामयिक निरीक्षण की अलग व्यवस्था होगी। इस सम्बन्ध में कोई आदेश अलग से जारी किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।
२१	स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हीं फर्मों से दवायें ली जायं जिनके पास निर्माण तथा विश्लेषण की पर्याप्त सुविधायें हों।	शासन के सामान्य आदेश है कि सरकारी अस्पतालों में प्रयोग में लाई जाने वाली दवायें केवल प्रख्यात फर्मों से ही खरीदी जायं।
२२	औषधि निर्माताओं की संस्थाओं से अनुरोध किया जाय कि डाक्टरों के प्रतिनिधियों को औषधि निर्माण की फैक्टरियों को देखने का अवसर दें।	औषधि नियन्त्रक को निदेश भेजे जा चुके हैं कि वे समिति के प्रश्नगत सुझाव की ओर ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन का ध्यान आकृष्ट करें और उनसे अनुरोध करें कि ऐसे सुझावों पर यथासम्भव अमल करें।
२३	औषधि उद्योग से सम्बन्धित लोगों से कहा जाय कि वह प्रदर्शनियों में भाग लें और चिकित्सा अधिवेशनों में भी भाग लें।	तदैव
२४	इस प्रदेश के औषधि निर्माता गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में जाकर औषधि इकाइयों को देख कर अपनी जानकारी बढ़ायें।	तदैव
२५	औषधि निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनार होने चाहिये। औषधि नियन्त्रण संगठन द्वारा किये गये कार्य का प्रचार होना चाहिये। और प्रदेश में अन्य प्रदेशों के औषधि नियन्त्रकों के अधिवेशन भी आयोजित किये जाने चाहिये।	इस पर यथासमय विचार हो सकता है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९ पर)

क्षेत्र समिति, रामनगर की बैठक दिनांक ९ सितम्बर, १९७४ के प्रस्ताव ५ का उद्धरण

सहकारी ऋण की वसूली की प्रगति पर विचार करते हुये श्री अजादार हुसैन, प्रधान, ग्राम सभा, बदोसराय ने कहा कि जितना लोन या खाद बंटी है वह ५० प्रतिशत फर्जी व गबन है जिसकी वसूली के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी (सह०) एक्स पार्टी डिक्री दे देते हैं और इस सम्बन्ध में जांच नहीं करते हैं।

श्री अजादार हुसैन, प्रधान ने यह भी किहा कि सहायक विकास अधिकारी (सह०) द्वारा जारी किये गये खाद के परमिटों पर जो दिनांक २५, २६ अगस्त, १९७४ को जारी किये गये हैं के सम्बन्ध में घोर असन्तोष व्यक्त किये तथा सा० वि० अ० द्वारा वसूली की कड़ाई एवं एक्स पार्टी डिक्री से आतंकित होकर उनके स्थानान्तरण की मांग की।

मरकामऊ का ९,८०० रु० का मामला प्रस्तुत हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि कर्जा नहीं बंटा है परन्तु वसूली हो गई। इस सम्बन्ध की सूचना ए० डी० ओ० सी० महोदय को दी गई थी उन्होंने एक्स पार्टी जजमेन्ट दे दिया है। वसूली जब तक बन्द रखी जाने की मांग की गई जब तक कि उक्त मामले की जांच एवं निर्णय न हो जावे।

उपरोक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में एक समिति सदस्यों द्वारा गठित की गई जो एम० ली० सी० महोदय के साथ उच्च अधिकारियों से अपनी रिपोर्ट के साथ डिक्री मिलेगी।

समिति के निम्न सदस्य चुने गये :—

(१) श्री हुकुम सिंह, प्रमुख
(२) श्री साधूराम, प्रधान
(३) श्री अजादार हुसैन, प्रधान
(४) श्री शंकर लाल अवस्थी, चे०
(५) वैद्याजी
(६) श्री राम सिंह, प्रधान, शेखपुर
(७) श्री बाबू सिंह, प्रधान।

इस जांच का पूर्ण लिखा पढ़ी कार्य श्री अजादार हुसैन करेंगे। इस जांच में खन्ड विकास अधिकारी भी वांछित सहयोग प्रदान करेंगे।

क्षेत्र समिति, रामनगर की बैठक दिनांक २६ फरवरी, १९७५ के प्रस्ताव ८ व ९ का उद्धरण

८—मास्टर प्लान के अन्तर्गत नये सदस्यों की भर्त्ती पर विचार किया गया परन्तु सहकारिता का विषय आते ही अधिकांश सदस्यों ने अपना असन्तोष व्यक्त किया तथा इसमें सहयोग देने में असमर्थता प्रकट की।

९—सहकारी ऋण की वसूली के सम्बन्ध में विचार विमर्ष पर सदस्यों ने यह कहा कि ५० प्रतिशत गलत ऋण वितरण है जिसके गबन होने की सम्भावना है। अतः वसूली के समय यह ध्यान रखा जाय कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वास्तव में कर्ज नहीं लिया है

था लिया था और अदा कर दिया है उन्हें व्यर्थ परेशान न किया जाय। सदस्यों ने यह बताया कि नवम्बर, दिसम्बर, १९७४ तक लगभग १०,००० रु० वसूल हुआ है जो संभवतः बैंक नहीं पहुंचा है इसकी जांच कराई जाय। सा० नि० अ० (सह०) के अवकाश पर होने के कारण इस विषय पर तुरन्त कोई जानकारी नहीं कराई जा सकी उनके अवकाश से आने पर पूर्ण स्थिति की जानकारी करके अगली बैठक पर प्रस्तुत की जायेगी।

सहकारिता विभाग से सम्बन्धित जो जांच डी० एल० ओ० साहब ने की थी उसके परिणाम सें समिति को अवगत नहीं कराया गया। अतः उच्च अधिकारियों से इस विषय पर जानकारी प्राप्त की जाय।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२ पर)

सेवा में,

माननीय सामुदायिक विकास मन्त्री महोदय,

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि हम आपका ध्यान लखीमपुर खीरी जिला परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके कारण जिला परिषद् एवं जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है, आपने जबसे प्रशासन संभाला है जनता में इस बात का विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और इस विश्वास की पुष्टि के लिये आवश्यक है कि हम निम्नलिखित भ्रष्टाचार के तथ्य आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और यह आशा करते है कि बिना किसी राजनैतिक भेदभाव से भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। फिर चाहे जो दोषी व्यक्ति किसी राजनीति दल का हो या उसका पद कितना ही ऊंचा क्यों न हो :—

१—भारत सरकार द्वारा गांधी शताब्दी राजकीय स्तर पर राज्य भर में बड़ी धूम-धाम से मनाई गई उसका संचालन जिलाधिकारी तथा समारोह अधिकारी के माध्यम से होना बतलाया जाता है। गांधी शताब्दी के सम्बन्ध में श्री कमाल अहमद रिजवी, निवासी लखीमपुर तत्कालीन नेता संगठन कांग्रेस के द्वारा जिला परिषद् खीरी के प्रेस में लगभग दो लाख रुपये के छोटे बड़े टिकट छपाये गये और श्री कमाल अहमद रिजवी ने अपने प्रभाव का प्रयोग उन टिकटों की बिक्री में उप विद्यालय निरीक्षक तथा जिला परिषद् के आधीन विद्यालयों के अध्यापकों का प्रयोग किया गया। जिससे बहुत बड़ी धनराशि एकत्रित हुई उस धनराशि का आय-व्यय का ब्योरा श्री कमाल अहमद रिजवी अथवा उप विद्यालय निरीक्षक ने आज तक न तो जिलाधिकारी को दिया न जिला परिषद् को। उस समय यह चरचा उठायी गयी तो उप विद्यालय निरीक्षक ने यह बताया कि जो धन शेष है उसका उपयोग बेसिक शिक्षकों के आवास गृह को बनाने के लिये किया जायेगा परन्तु आज तक किसी भी आवास गृह का निर्माण न हो सका इससे स्पष्ट है कि गांधी शताब्दी के पवित्र नाम पर जनता के धन की लूट खसोट की गयी। इसके लिये जिम्मेदार और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कराने की हम मांग करते हैं।

२—आपके समक्ष एक भ्रष्टाचार का और नमूना प्रस्तुत कर रहा हूं गत वर्षों में उर्दू के प्रसिद्ध कवि गालिब की यादगार में गालिब शताब्दी राजकीय स्तर पर मनाई गयी। और पुन : उक्त कमाल अहमद रिजवी के द्वारा १००-१०० रुपये के कूपन जिला परिषद् के प्रेस से छपाये गये और तमाम पैसा चेकों के द्वारा किसानों से भी प्राप्त किया गया उस धन का भी आय व्यय का ब्योरा आज तक गोल है। और जनता में आम भावना है कि गालिब शताब्दी के नाम पर लाखों रुपया एकत्रित किया गया उसका कोई भी अंश गालिब शताब्दी के नाम पर व्यय नहीं किया गया उक्त धन श्री कमाल अहमद रिजवी के पास एकत्रित किया गया था क्या आप जन-धन की बरबादी को रोकने के लिये जांच करायेंगे।

३—जिला परिषद् खीरी में एक स्टेशन वैगन गाड़ी १२ हजार रुपये में नीलाम की गई वह पैसा जिसकी जेब में गया और परिषद् के किसी खाते में गया इसका पता नहीं चला।

४—जिला परिषद् खीरी की मोटर व जीपों का दुरुपयोग उनके अधिकारी अपने निजी काम में करते हैं और सरकारी पेट्रोल का दुरुपयोग करते हैं और यदि कोई इस बात का आन्दोलन उठायेगा तो अधिकारी गण उसको दबाने का प्रयास करेंगे।

५—श्री कलेक्टर सिंह सहायक अभियन्ता निर्माण विभाग, जिला परिषद् खीरी जो पहले ओवरसियर थे उनकी पदोन्नति का एक मात्र कारण निपुण भ्रष्टाचारी होना है। उन्होंने अनेकों सड़कों पर अर्थवर्क का कार्य मात्र कागजों पर ही करवा डाला और मौके पर फावडा भी न चला और उसका पेमेन्ट १० प्रतिशत ठेकेदार को देकर स्वयं ले लिया यदि जिला परिषद् के द्वारा मरम्मत की गयी सड़कों और निर्मित की गयी सड़कों की सूची और उस पर व्यय किया गया धन प्रकाशित किया जाय तो एक बहुत ब गबन का पता चल सकता है। श्री कलेक्टर सिंह का कहना है कि इन बड़ी रकमों को हजम करने की ताकत मुझ में नहीं मैं तो एक मामूली आदमी हूं।

६—श्री कलेक्टर सिंह ने १८ हजार रुपये का एक फर्जी काम कागज पर दिखा दिया उसका पेमेन्ट जब करवाने की चेष्टा की तो जिलाधिकारी से इस बात की शिकायत की गयी और उनके सामने तथ्य रखा गया कि जिस काम का यह भुगतान कराया जा रहा है वह काम हुआ ही नहीं। अत: जिला परिषद ने वह पेमेन्ट रुकवा दिया था जिला परिषद् चुनाव उपरान्त परिषद् के अध्यक्ष उन १८ हजार रुपये का भुगतान कराने के लिये प्रतिशील हैं। हम लोगों का आपसे आग्रह है कि आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कराने की कृपा गुप्तचर विभाग अथवा सी० बी० आई० के द्वारा करेंगे। इतना ही नहीं लखीमपुर-देवकली रोड-खचान्ची पुरवा मार्ग पर हरे फलदार वृक्ष लगे हुये थे परन्तु सस्ते दामों पर श्री कमाल अहमद रिजवी ने उनको कटवा दिया जब कि एक-एक पेड़ की कीमत ७००-७०० रुपया से कम न थी।

७—बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखीमपुर भी भ्रष्टाचार का अड्डा है अध्यापकों का स्थानान्तरण रुपये लेकर किया जा रहा है और जो व्यक्ति वर्षों से अपने काम से १००-१०० मीलों की दूरी पर पड़े हैं उनका स्थानान्तरण नहीं किया जा रहा है बेसिक शिक्षकों से बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने सहायक एस० डी० आई० के द्वारा मनचाही रकमें वसूल कर रहे हैं।

आपके समक्ष यह ज्ञापन प्रस्तुत कर हम यह मांग करते हैं कि आप निष्पक्ष जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दन्डित करेंगे वह चाहे कितना बड़ा नेता, अधिकारी या व्यक्ति हो। और भ्रष्टाचार उन्मूलन से हम सभी का उत्साह बढ़ायेंगे। वास्तविकता में निष्पक्ष जांच से प्रदेश की जनता में विश्वास पैदा करेंगे कि भ्रष्टाचार को मिटाने में आप प्रगतिशील हैं।

हम हैं भ्रष्टाचार विरोधी
लखीमपुर के छात्रगण।

दिनांक

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३ पर)

माह	लिये गये यात्रा भत्ता की धनराशि (रुपयों में)	तिथियां जिनमें यात्रा की गई	यात्रा का स्थान	उद्देश्य
१	२	३	४	५
अप्रैल, १९७४ ..	३४३.७५	११	रायबरेली	सरकारी कार्य हेतु
		१६–१८	उन्नाव	
		१९–२१	हरदोई	
		२२	सीतापुर	
		२३–२४	खीरी	
		२४–२५	उन्नाव।	
मई, १९७४ ..	३५८.७५	२–४	खीरी	तदैव
		१३–१४	सीतापुर	
		१७–२०	उन्नाव	
		२७ से २–६–७४	रायबरेली एवं इलाहाबाद।	
जून, १९७४ ..	३८२.०५	४–६	हरदोई	तदैव
		६–७	इलाहाबाद	
		१४–१५	हरदोई	
		२३–२४	हरदोई	
		२५–३०	रायबरेली।	
जुलाई, १९७४ ..	२८२.९०	२–४	उन्नाव	तदैव
		११–१२	हरदोई	
		२२–२३	उन्नाव	
		२४–२५	सीतापुर	
		२६–२७	रायबरेली।	
अगस्त, १९७४ ..	२८८.७०	९–१०	उन्नाव	तदैव
		१३–१४	हरदोई	
		१९	उन्नाव।	
		२८–२९	हरदोई।	
		३०–३१	फैजाबाद।	
सितम्बर, १९७४ ..	२८४.४५	११–१२	उन्नाव।	तदैव
		१८–२०	सीतापुर।	
		२७	रायबरेली	
		२८–३०	उन्नाव	
		३० से १–१०–७४।	खीरी	

१	२	३	४	५
अक्तूबर, १९७४ ..	१७५.४०	१०–११	सीतापुर	सरकारी कार्य हेतु
		२२	उन्नाव	
		२३	हरदोई	
		२८–२९	उन्नाव	
		३० से १–११–७४	इलाहाबाद।	
नवम्बर, १९७४ ..	१६४.१०	४–६	सीतापुर	तदैव
		८–९	रायबरेली	
		१२	उन्नाव	
		१९–२१	रायबरेली	
		२६–२९	उन्नाव।	
दिसम्बर, १९७४ ..	१०१.१५	४–६	उन्नाव	तदैव
		१२	काकोरी	
		१७–१८	रायबरेली	
		१९–२१	उन्नाव।	
जनवरी, १९७५ ..	१२०.६५	७–८	सीतापुर	तदैव
		९	काकोरी	
		१०–११	रायबरेली	
		२२–२३	हरदोई	
		२४–२५	रायबरेली।	

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३ पर)

जोरही-तिन्दवारी मार्ग के १० कि० मी० का निर्माण कार्य क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत पहले ७.५२ लाख रुपये की लागत से स्वीकृत था। परन्तु बाद में धन की उपलब्धता के आधार पर इसके ७.१ कि० मी० भाग पर ही निर्माण कार्य अन्तिम रूप से स्वीकृत किया गया, जिसमें क्षेत्र समिति, तिन्दवारी की ओर से १–१ कि० मी० तथा क्षेत्र समिति, बडोखर खुर्द की ओर से ६ कि० मी० का भाग सम्मिलित था। इस सड़क के दोनों मार्गों पर अब तक जो कार्य किया गया उसका विवरण इस प्रकार है। अब तक ४,८५,२१३ रु० व्यय हो चुका है :—

(१) मिट्टी का कार्य	..	१०–६ कि० मी०
(२) सोलिंग कलेक्शन	..	७–३ कि० मी०
(३) सोलिंग कन्सालिडेशन	..	६–१ कि० मी०
(४) ब्लैन्कट कलेक्शन	..	६–१ कि० मी०
(५) ब्लैन्कट लेंइंग	..	६–१ कि० मी०
(६) टाप कोट कलेक्शन	..	६–० कि० मी०
(७) टाप कान्सालिडेशन	..	५–० कि० मी०
(८) पुलिया निर्माण संख्या	..	९–० कि० मी०

२—इस सड़क के अन्तिम रूप से स्वीकृत ७–१ कि० मी० भाग पर मिट्टी का कार्य १०–६ कि० मी० तक तथा सोलिंग कलेक्शन का कार्य ७–३ कि० मी० तक सड़क के निर्माण कार्य में हुई कटौती के पूर्व ही कार्य की महत्ता को देखते हुए किया जा चुका था।

[नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर [पीछे पृष्ठ ४४ पर ।)

तालिका

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

वर्ष	बोया गया वास्तविक क्षेत्रफल	वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल			असिंचित क्षेत्रफल
		सरकारी साधन	व्यक्तिगत साधन	योग	
१	२	३	४	५	६
१—प्रथम पंचवर्षीय योजना	,, १६२३६५६३	२०५३५४२	२८६७६१७	४९२११५९	११३१५४०४
२—द्वितीय पंचवर्षीय योजना	,, १६६६३००२	२३९९९२९	२४२९०२५	४८२८९५४	११८३४०४८
३—तृतीय पंचवर्षीय योजना	,, १६६९२४१४	३१८१६५७	३०४३०३३	६२२४६९०	१०४६७७२४
४—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में वर्ष १९७२–७३ तक।	१६६९२९०३	३२५६२३०	३९७३४६९	७२२९६९९	९४६३२०४

पी०एस०यू०पी०—एल० ११४ वि० सभा(९८१)—१९७५—८४५ ।